राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ८] द्वितीय विधान सभा के आठवें सत्र, १९६० का ५०वां दिवस [संख्या ३३

बुधवार, १३ अप्रेल, १९६०

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ८ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सिंचाई, स्वास्थ्य, पंचायत, निर्वाचन एवं स्वायत्त शासन-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या ९८७.

श्री बृजेन्द्रपाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ९८८.

श्री पी० के० चौधरी।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ९८९.

श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ९९०.

श्री मोहब्बतसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ९९१.

श्री रामधन।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ९९२.

श्री गोवर्धनसिंह केन।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ९९३.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ९९४.

श्री सूरजमल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

Page No.2

पाली जिले की पंचायत समितियों के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाएं

६६५. श्री शंकरलाल (रायपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) पाली जिले की प्रत्येक पंचायत समिति के अन्तर्गत कितनी सिंचाई की योजनाएं सर्वे होने के बाद स्वीकृत हो चुकी हैं और कितनी योजनाओं की स्वीकृति विचाराधीन है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) स्वीकृत योजनाओं का कार्य चालू न होने के क्या कारण हैं और ये योजनाएं अब कब तक चालू हो जावेंगी ?

(३) स्वीकृति हेतु विचाराधीन योजनाएं कब से विचाराधीन हैं, उनकी स्वीकृति न होने के क्या कारण है तथा अब कब तक उनकी स्वीकृति हो जाने की सम्भावना है ?

उप मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) पाली जिले की प्रत्येक पंचायत समिति के अन्तर्गत जिन सिंचाई योजनाओं का सर्वे होने के बाद स्वीकृति हो चुकी है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति सरकार के विचाराधीन है उसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(२) स्वीकृत योजनाओं का कार्य न होने के निम्न कारण हैं :

(१) एडमिनिस्ट्रेटिव मन्जूरी हो जाने के बाद टेक्निकल मन्जूरी लेनी पड़ती है जिसमें करीब करीब तीन महीने लग जाते हैं चूंकि योजना की डिटेल्स वगैरह बनानी पड़ती है ।

(२) हर एक योजना के काम के लिये टेन्डर आमन्त्रित किये जाते हैं जिसमें कम से कम डेढ़ माह का समय लग जाता है ।

(३) यदि इस समय में टेन्डर उचित रेट पर नहीं आता तो दुबारा मांगे जाते हैं । इसमें डेढ़ माह का और समय लगता है ।

(४) टेन्डर आ जाने के बाद भी कुछ समय उसकी मन्जूरी इत्यादि में लग जाता है । स्वीकृत योजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित करने का प्रयास किया जाता है ।

(३) ये लगभग ३–४ माह से विचाराधीन हैं और शीघ्र ही इन पर मुनासिब कार्यवाही कर दी जावेगी ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री शंकरलाल : ये टेन्डर उचित रेट पर नहीं आते तो कितनी बार दुबारा लेने का प्रावधान है रूल्स में ?

श्री दौलतराम सारण : जितनी बार में ठीक प्रकार से आवें ।

श्री शंकरलाल : पांच, दस, पन्द्रह बार में भी नहीं आने पर क्या प्रावधान है ? आप कितनी बार तक टेन्डर मंगाते रहेंगे ? फिर उचित रेट का क्या मतलब है ?

श्री दौलतराम सारण : अगर बार बार मंगाने के बाद भी टेन्डर ठीक तरह से नहीं आते हैं तो डिपार्टमेन्टल कार्य कराया जाता है ।

श्री शंकरलाल : मुनासिब कार्यवाही करा दी जावेगी, इसका क्या तात्पर्य है ?

श्री दौलतराम सारण : इसका अर्थ यह है कि प्रोपर वे में आने पर कार्यवाही की जावेगी।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, यह जो लिस्ट दी है मैं समझता हूं कि यह विभाग द्वारा पूरी लिस्ट नहीं आई है। इसमें रायपुर व जैतारण तहसील की योजनाएं हैं ही नहीं, जब कि बहुत सी वहां की विचाराधीन हैं। रायपुर में धांपोदा की योजना है, इसका नाम भी नहीं है। जिले की सारी योजनाएं मांगी थीं पर इसमें तो पांच-सात ही बताई गई हैं। फिर आपने क्या ये मेजर स्कीम्स दी हैं या माइनर दी हैं या मिडल ?

श्री दौलतराम सारण : मेजर कोई नहीं है, माइनर हैं और शायद एक-दो कोई मीडियम स्कीम्स हों।

प्रश्न संख्या ६६६.

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

कल्याण हॉस्पिटल, सीकर

६६७. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) सीकर के कल्याण हॉस्पिटल में सन् १६५६ में इन्डोर बीमारों की औसत संख्या क्या रही है ?

(ख) क्या यह सही है कि अस्पताल के लिये केवल ४४ स्थान ही स्वीकृत हैं तथा इतनों के लिये ही बजट स्वीकृत है ?

(ग) क्या यह सही है कि जिला परिषद् तथा जिला विकास कमेटी ने भी हॉस्पिटल में स्थान व बजट बढ़ाने के सम्बन्ध में सरकार से बार बार मांग की है ?

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) ७१ ।

(ख) वैसे संख्या ४४ है, पर बजट ज्यादा है।

(ग) स्थानीय कलेक्टर ने सिफारिश की है।

(घ) सरकार इस अस्पताल को तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में बी श्रेणी के अस्पताल में उन्नत करने का विचार रखती है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : बजट कितने बैड्स का है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आवश्यकतानुसार जितनी जरूरत पड़ती है, दे देते हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि बीमार सर्दी में भी बाहर बरामदों और नीचे फर्श पर पड़े रहते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी बात तो नहीं है, बैड्स तो ज्यादा दे भी दिये हैं हालांकि उनकी रेगुलर सैंक्शन नहीं है। दवाएं भी सैंक्शन कर रखी हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : बैड्स

Page No.4

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

ज्यादा नहीं हैं, तभी तो बीमारों को नीचे सुलाया जाता है, बाहर बरामदों में सुलाया जाता है। अगर बैड्स होते तो वे कमरों में होते।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो स्थान की कमी की वजह से ऐसा है। अब उसको तीसरी योजना में ठीक करने का इरादा है।

प्रश्न संख्या ६६८.

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६६६.

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

पाली जिले के चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को बकाया वेतन की व्यवस्था

१०००. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) पाली जिले में मेडिकल एण्ड हैल्थ विभाग के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनको ६ महीने से अधिक अर्से से तनख्वाह नहीं मिल रही है? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(ख) इन कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह न मिलने का क्या कारण है?

(ग) उक्त कर्मचारियों ने अपने उच्च अधिकारियों को कब कब इस विषय में लिखा व उन पर उच्च अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की?

(घ) क्या यह सही है कि हैड ऑफ दी डिपार्टमेंन्ट ने कभी भी इस ओर तवज्जुह नहीं दी कि उनके अधीनस्थ जिन कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह नहीं मिली, उन्हें समय पर तनख्वाह दिलाई जावे?

(ङ) प्रश्न नम्बर (क) के जवाब में दी हुई सूची में अंकित कर्मचारियों की तनख्वाह को जल्दी से भुगतान कराने के लिये सरकार ने कब कब व क्या स्टेप्स लिये?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : इसका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : श्री रिद्धिचन्द पालीवाल।

(श्री पृथ्वीराज पटेल के खड़े होने पर)

वे खुद बैठे हैं।

(हंसी)

सवाई माधोपुर जिले की पंचायतों व तहसील पंचायतों के रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु चुनाव

१००१. **श्री रिद्धिचन्द पालीवाल** [गंगापुर सिटी—श्री पृथ्वीराज (गंगापुर—सु०) द्वारा पूछा गया] :

(हंसी)

Page No.5

(श्री रिद्धिचन्द पालीवाल)

क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सवाई माधोपुर जिले में २ अक्टूबर, १९५९ के पश्चात् कौन कौन सी पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं तथा कौन कौन सी पंचायतों व तहसील पंचायतों में रिक्त स्थान पड़े हुए हैं ? इनके चुनाव न कराये जाने का कारण क्या है ? क्या यह सच है कि गंगापुर तहसील पंचायत के सरपंच का चुनाव नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक चुनाव हो जावेगा ?

पंचायत मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : सूची संलग्न है। इसमें चुनाव नहीं होने का कारण भी अंकित कर दिया गया है।

गंगापुर तहसील पंचायत के सरपंच क चुनाव नहीं हुआ क्योंकि तहसील पंचायत से पंचायतों के मतदाताओं की सूची प्राप्त नहीं हुई है। अब यह चुनाव शीघ्र करा दिया जावेगा ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री शंकरलाल (रायपुर) : यह तहसील पंचायत में रहता है, सरकार के पास नहीं रहता है क्या ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : तहसील पंचायत जानकारी सरकार को भेजती है।

प्रश्न संख्या १००२.

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित)

नीम का थाना का बिहार सीमली बांध

१००३. **श्री ज्ञानचन्द मोदी** (नीम का थाना) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) तहसील नीम का थाना में बिहार सीमली बान्ध का ठेका कितने रुपये में किस ठेकेदार के नाम हुआ है ?

(२) अब तक कितना काम हुआ है और पूरे काम में कितना समय लगेगा ?

उप मन्त्री सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) तहसील नीम का थाना में श्यामपुर बिहार बान्ध का ठेका किसी ठेकेदार को नहीं दिया गया है।

(२) कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। कार्य शुरू होने के बाद करीब दो वर्ष इसके सम्पूर्ण होने में लगेंगे ।

श्री ज्ञानचन्द मोदी : यह कब तक कर दिया जावेगा ?

श्री दौलतराम सारण : अभी तो टेन्डर इन्वाइट किये हैं।

प्रश्न संख्या १००४.

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

चम्बल नहर

१००५. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No.6

(श्री दयाकृष्ण विजय)

(क) सन् १९५६ के अन्त तक चम्बल नहर की खुदाई तथा पुलिया आदि बनवाई की सरकारी क्या रेट्स थी ?

(ख) वर्तमान में क्या रेट्स हैं ?

(ग) क्या रेट्स की वृद्धि का कारण यह है कि ठेकेदारों का पेमेन्ट ठीक समय पर नहीं किया गया ?

(घ) चम्बल की नहरें कब तक पूरी तैयार हो जानी चाहिये थीं ?

उप मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (क) चाही गई सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) चाही गई सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) चम्बल की नहरें जून, १९६० के अन्त तक तैयार होनी थी जो उस तारीख तक बन कर तैयार हो जावेगी, ऐसी आशा की जाती है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री दयाकृष्ण विजय : रेट्स की वृद्धि का क्या कारण है ?

श्री दौलतराम सारण : कीमतें बढ़ना ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि ठेकेदारों को पेमेन्ट समय पर नहीं मिलने की वजह से वे लोग काम करने के लिये आगे नहीं आते और इसकी वजह से हाई रेट्स पर सरकार को दूसरों के टेन्डर स्वीकार करने पड़ते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : जी, ऐसा नहीं है । आप देखते हैं कि सभी चीजों की कीमतें बढ़ी हैं और इन कीमतों के बढ़ने का असर इन रेट्स पर भी पड़ना स्वाभाविक है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि बीगोद कॉलोनी के लिये कोई पांच, छः बार में भी रेट्स नहीं आई और फिर जो आई वे चालीस-पचास प्रतिशत हायर रेट्स थीं और वे ही स्वीकार करनी पड़ी सरकार को ?

श्री दौलतराम सारण : कौनसे टेन्डर की आप बात कहते हैं ? मैं नहीं कह सकता, जब तक आप निश्चित नहीं बताते कि कौनसे ठेकेदार का क्या टेन्डर था ।

श्री दयाकृष्ण विजय : इसका कारण यह था कि वहां के ठेकेदारों द्वारा जैसा चाहा जा रहा है उस तरह से शीघ्र पेमेन्ट की सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है क्या यह सही नहीं है ?

श्री दौलतराम सारण : कौनसा ?

श्री दयाकृष्ण विजय : चम्बल प्रोजेक्ट का ?

श्री दौलतराम सारण : चम्बल प्रोजेक्ट में तो बहुत से ठेकेदार हैं । आप नाम बताएं कौनसे ठेकेदार की बात आप करते हैं ?

Page No.7

श्री दयाकृष्ण विजय : नाम तो बता सकता हूं। नहीं,बता सकता, ऐसी बात नहीं है पर मैं तो सभी के बारे में आम बात कहना चाहता हूँ कि उनको समय पर नियमानुसार पेमेन्ट जल्दी से नहीं मिलता और इसी कारण वे इस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए अधिक ऊंची रेट्स देते हैं।

श्री दौलतराम सारण : आप अलग से प्रश्न पूंछिये। यह प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है।

प्रश्न संख्या १००६.

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १००७

श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

श्री मनरूपराम।

माताजी के गुढा के बजाय गजनीपुरा में पंचायत स्थापित करने की मांग

१००८. **श्री मनरूपराम परिहार** (खारची सु०) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि देसूरी तहसील की रानी पंचायत समिति क्षेत्र के गांव माताजी का गुढा में नया पंचायत बोर्ड स्थापित करने की सिफारिश देसूरी तहसीलदार ने तारीख ७। १२। ५६ को करके रानी समिति को भेजी है ? यदि हां, तो उस क्षेत्र में कितने गांव रखे हैं, उनकी जन-संख्या क्या क्या है और बड़ा गांव कौनसा है;

(ख) क्या यह सही है कि रानी पंचायत समिति ने तारीख ३०। १२। ५६ को पाली जिला परिषद् को उक्त माताजी का गुढा की सिफारिश की है ?

(ग) क्या यह भी सही है कि तारीख ३०। १२। ५६ के पहले नया पंचायत बोर्ड माताजी का गुढा में नहीं किया जावे जिसकी अलग अलग गजनीपुरा, ठाकुरजी का गुढा और गांव भररी की जनता ने लिखित में सरकार के पास ऐतराज पेश किये हैं ?

(घ) क्या यह भी सही है कि जिला परिषद् की बैठक दिनांक १६। १७ फरवरी, ६० में भी सदस्यों ने जबानी और लिखित में ऐतराज पेश किये हैं कि विकास, जन संख्या व आवागमन की सुविधा नजदीक में खींवाड़ा में पोस्ट आफिस होने की दृष्टि से और मौजूदा गजनीपुरा में सरकारी स्कूल होने से पंचायत गजनीपुरा में होनी चाहिये ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

पंचायत मंत्री(श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (क) जी हां ! चार गांव रखे हैं जिनके नाम तथा जन-संख्या निम्न हैं : माताजी का गुढा ३८२, गजनीपुरा ५५१, बरड़ी १४७, गुढा ठाकुरजी ३७४, इनमें बड़ा गांव गजनीपुरा में है।

(ख) जी हां

(ग) जी हां। गजनीपुरा, ठाकुरजी का गुढा व बरड़ी की जनता के नाम से उपरोक्त प्रस्ताव के बारे में ऐतराज पेश किया गया है।

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

(घ) जिला परिषद् के सदस्य श्री मनरूपराम परिहार द्वारा भी पंचायत का मुकाम गजनीपुरा में रखने की मांग की गई है। अभी ये प्रस्ताव सरकार को प्राप्त नहीं हुए हैं। वैसे अब तक पुनर्संगठन के प्रस्ताव पटवार सर्किल के पुनर्संगठन के प्रस्तावों के साथ ही निश्चित होंगे।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : इन गांवों का पटवार सर्किल कहां है ? यह गजनीपुरा में रहेगा या ठाकुरजी का गुढा में रहेगा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कार्यवाही चल रही है। सब जगह के प्रस्ताव होकर अभी आये नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री मोतीबाबा चौधरी।

रानीखास में अस्पताल की मांग

१००६. **श्री मोतीबाबा चौधरी** (बाली): क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या सरकार रानी खुर्द ब्लॉक के रानी खास की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए वहां अस्पताल खोलने का विचार रखती है ?

(२) क्या सरकार को विदित है कि रानी ब्लॉक के आसपास २०—२० मील की दूरी पर कहीं अस्पताल नहीं है ? यदि हां, तो वहां अस्पताल कब तक खोल दिया जावेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :

(१) रानी ब्लॉक में बूसी नामक स्थान में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जा चुका है।

(२) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मौजूद है।

एक माननीय सदस्य : वहां अस्पताल खोलने के लिए पूछा गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोला गया है वह अस्पताल से भी बड़ा है।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : वह प्राइमरी हैल्थ सेन्टर बूसी में खोला गया है पर यहां प्रश्न तो रानी खास का है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पर वह रानी ब्लॉक में ही है।

श्री मोतीबाबा चौधरी : बूसी से रानी खास २५ मील दूर पड़ता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रानी ब्लॉक के लिए एक प्राइमरी हैल्थ सेन्टर का प्रावधान था वह खोल दिया गया है। रानी खास के लिए तो कोई प्रावधान नहीं है।

श्री शंकरलाल : देसूरी विकास खण्ड में था इसलिए बूसी खोला गया है और जनसंख्या आदि को देखते हुए प्राइमरी हैल्थ सेन्टर की रानी खास में ज्यादा आवश्यकता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : देसूरी ब्लॉक के दो टुकड़े हो गए। प्राइमरी हैल्थ सेन्टर

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

बूसी में खोला गया है जो कि रानी ब्लॉक में ही है। तो रानी ब्लॉक में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर मौजूद है। अब अगर ब्लॉक कमेटी कहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन रानी खास के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

श्री शंकरलाल : जनता की मांग है और बूसी प्राइमरी हैल्थ सेन्टर रानी खास से कोई २५ मील दूर पड़ता है, तो ज्यादा आवश्यकता तो रानीखास के लिए है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अगर ब्लॉक कमेटी रिकमन्ड करे तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है।

प्रश्न संख्या १०१० व १०११

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १०१२

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १०१३

श्री सूरजमल।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १०१४

श्री लादूराम सुलाणियां।

(अनुपस्थित)

श्री ज्ञानचन्द मोदी।

श्री ज्ञानचन्द मोदी (नीम का थाना): प्रश्न संख्या १०१५.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह माल मंत्रीजी का प्रश्न है और वे अपनी टर्न पर इसका उत्तर देंगे।

श्री ज्ञानचन्द मोदी : उत्तर सुनाई नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय कहते हैं कि माल मंत्रीजी से इसका संबंध है। यह तो नीति का प्रश्न है कि आप इसके विषय में क्या विचार कर रहे हैं।

मालगुजारी वसूल करने के अधिकार पंचायत समितियों को देने के सम्बन्ध में

१०१५. **श्री ज्ञानचन्द मोदी** (नीम का थाना) : क्या पंचायत मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) मालगुजारी वसूल करने के अधिकार पंचायत समितियों को कब तक मिलने वाले हैं ?

(२) क्या यह अधिकार सीमित पंचायत समितियों ही मिलेंगे ! यदि हां, तो क्या नीम का थाना पंचायत समिति का भी नाम है ?

Page No.10

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (१) कुछ पंचायत समितियों को कार्य कुशलता पर दिया जायेगा।

(२) अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली): अध्यक्ष महोदय, 'कार्यकुशलता' को नापने का क्या मापदण्ड होगा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो निश्चय किया जायेगा वह मापदण्ड होगा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): क्या सरकार ने किसी ऐसी मशीनरी का गठन किया है जो कि कार्यकुशलता देखेगी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अभी नहीं किया है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : कार्यकुशलता किसकी देखी जायेगी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पंचायत समितियों की, जिनको मालगुजारी वसूल करने का अधिकार दिया जायेगा। अधिकार जिनको दिया जायेगा उनकी कार्यकुशलता देखी जायेगी कि आया किस आधार पर किन किन को कितना कितना अधिकार दिया जाये। यह सब देखा जायेगा। अधिकार मालगुजारी वसूल करने के पंचायत समितियों को देने हैं, यह नीति तो निश्चित हो गई है।

श्री जनार्दनराय नागर : यहां अधिकारों के बारे में पूर्ण निश्चय कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : निश्चय हो गया है। निश्चय तो सरकार ने कर लिया है कि मालगुजारी वसूल करने का अधिकार पंचायत समितियों को दिया जायेगा। किन को दिया जायेगा, किस आधार पर दिया जायेगा और कितना दिया जायेगा, इसका निश्चय होना बाकी है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या सरकार सदन के सदस्यों को भी विश्वास में लेने को तैयार होगी जब कि यह निश्चय करेगी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आवश्यकता समझी जायेगी तो यह भी किया जायेगा।

प्रश्न संख्या १०१६

श्री अध्यक्ष : श्री सूरजमल।

(अनुपस्थित)

श्री बृजेन्द्र पाल।

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी।

बड़ी सादड़ी (उदयपुर) की अवैध पंचायत चलाना

६८८. श्री पी०के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Minister incharge of Panchayats be pleased to state:—

(a) Is it correct that some individuals were running a Parallel Panchayat at Bari Sadri in Udaipur District? If so, what are the names of these persons and what action the Government has so far taken against them for running an illegal Panchayat?

पंचायत मंत्री(श्री हरिभाऊ उपाध्याय): जी हां, पंचायत बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ में है। फर्जी पंचायत चलाने वाले श्री बसंतीलाल, श्री बबूरमल, श्री छगनलाल सदस्य थे। इनके द्वारा फर्जी पंचायत चलाने के फलस्वरूप सरकार द्वारा चालान की स्वीकृति अपराध धारा ता० हि० ४२० में जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ को भेजी गई है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): यह तहसील पंचायत किस तरह से चलती थी? कोई उनकी सील वगैरह तो अलग होगी?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : फर्जी चलती थी।

श्री दयाकृष्ण विजय : कैसे चलती थी?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : चल रही थी जबरदस्ती।

श्री दयाकृष्ण विजय : यदि इस प्रकार से जनता की ओर से कोई पंचायत चले और उसमें राज्य का हस्तक्षेप न हो तो आपको क्या आपत्ति है? सरकार अपनी व्यवस्था आप कर ले और जनता की पंचायत में कानून की व्यवस्था नहीं हो तो आपको क्या आपत्ति है?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : नियम के अनुसार नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : नियमों के अनुसार तो आप चलायें। लेकिन अगर जनता चलाती है और उसमें सरकार का किसी प्रकार का हस्तक्षेप न चाहे और अपने आप ही सारी व्यवस्था करे तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है आपको?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कोई सार्वजनिक संस्था बनाना चाहते हैं तो वह सोसइटी एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड करा लें।

श्री पी० के० चौधरी : यह चालान कब किया है?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : चालान के लिए २१-३-५६ को इजाजत मांगी, ८-८-५६ को चालान की स्वीकृति दे दी।

श्री दयाकृष्ण विजय : इस प्रकार की पंचायतें यदि दीवानी और फौजदारी अधिकार नहीं लें तो अपना कार्य चला सकती हैं?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उनको अपने आप नहीं मिल सकते। पंचायतें कानून के अनुसार मजे में चला सकते हैं। लेकिन अधिकार देने का जहां तक संबंध है तो वह तो तभी मिल सकते हैं जब कि कानून के अनुसार दिए जायें।

श्री पी० के० चौधरी : चालान के लिए पर्मिशन ६ महीने बाद क्यों दी, फौरन क्यों नहीं दी?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय: पहले पुलिस को शंका रही कि स्वीकृति की जरूरत है या नहीं। बाद में चालान कर दिया।

श्री जनार्दनराय नागर(मावली): बिरदरी के द्वारा जो पंचायतें चला करती हैं उनमें भी दण्ड वगैरह का विधान है, उनके बारे में सरकार क्या सोचती है?

Page No.12

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बिरादरी की तो पुरानी पंचायतें हैं। यह तो नई पंचायत बनी है। अगर वे रजिस्टर्ड होंगी तो उनको हक होंगे, नहीं तो उनको भी नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या ६८६ का उत्तर दिला दिया जाये।

हेमावास बांध से सिंचाई हेतु वितरित जल

६८६. श्री मूलचन्द डागा [पाली– श्री शंकरलाल (रायपुर) द्वारा पूछा गया]: क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) हेमावास बांध, तहसील पाली की नहरी जमीन कितनी बीघा है ?

(२) क्या सरकार यह उचित समझती है कि इसकी नहरी जमीन को पूरा पानी न देकर बारानी जमीन को पानी दिया जाये ? यदि नहीं, तो पिछले कई सालों में हेमावास बांध के पानी के वितरण के समय यह प्रणाली क्यों मान ली गई है ?

(३) क्या यह सत्य है कि पाली तहसील की पंचायत समिति पानी के वितरण का कार्य अपने हाथ में ले रही है ? यदि हां, तो किस कानून के अन्तर्गत जब कि हेमावास बांध मीडियम सिंचाई योजना के अन्तर्गत आता है और दस हजार एकड़ से अधिक भूमि की सिंचाई करता है ?

(४) क्या सरकार का भविष्य में ऐसी व्यवस्था करने का इरादा है कि हेमावास बांध का पानी पहले पूरे नहरी जमीन को दिया जाये और बचने पर बारानी जमीन को ?

उप मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) हेमावास के कमान्ड में जमीन नहरी चापी २१,५०० बीघा और नहरी गैर चापी ५,२३१ बीघा है।

(२) पानी वितरण करते समय प्रथम जुते हुए नहरी खेतों (Ploughed area) को और उसके बाद बारानी जुते हुए खेतों का ध्यान रखा जाता है। पिछले सालों में प्लौड नहरी एरिया जितना तैयार होता था उसको पानी पूरा देने के बाद दूसरी किस्मों को दिया जाता था।

(३) पानी के वितरण के लिए पंचायत समिति की राय ली जाती है। वितरण व्यवस्था पंचायत समिति को नहीं सौंपी गई है।

(४) हेमावास बांध का पानी पहले नहरी जमीन को वितरित किया जाता है और उसके पश्चात् यदि बांध में पानी शेष रह जाता है तो अन्य किस्मों से दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब दे दिया जाये, प्रश्न संख्या ६६०।

सिंचाई विभाग के सर्वे एवं अनुसंधान विभाग को हार्ड ड्युटी अलाउन्स

९९०. श्री मोहब्बतसिंह [सिरोही—श्री भानसिंह (बयाना) द्वारा पूछा गया] : Will the Minister for Irrigation be pleased to state:—

Since how long the question of giving hard duty allowance to the staff engaged in the Survey and Investigation Branch of the Irrigation department is pending before the Government for final decision ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण): मार्च, १९५९ से ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामधन ।

(अनुपस्थित)

श्री गोरधनसिंह केन ।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

श्री सूरजमल ।

(अनुपस्थित)

श्री मनरूपराम परिहार (खारची सु०) : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब दिलवा दिया जाये, प्रश्न संख्या ९९४ ।

जोधपुर नगरपालिका के क्षेत्र की बस्तियों में बच्चों को दूध देने की व्यवस्था

९९४. श्री सूरजमल [फलौदी सु०—श्री मनरूपराम परिहार (खारची—सु०) द्वारा पूछा गया] : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या जोधपुर नगरपालिका के क्षेत्र में बस्ती सूरसागर में बच्चों को हर रविवार को सरकार द्वारा पाउडर का दूध पीने के लिए दिया जाता है ?

(ख) क्या यह भी सच है कि आसपास के २-४ फर्लांग की दूरी की बस्तियों के अनुसूचित, अन्य और पिछड़ी हुई जातियों के बच्चों को सूरसागर बस्ती में ही पीने का दूध आकर ले जाने का आदेश है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) क्या सरकार सूरसागर बस्ती के अलावा सभी आसपास की बस्तियों में बच्चों को दूध हर बस्ती में ही देने की व्यवस्था करेगी ?

स्वास्थ मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) इस विभाग से सूरसागर बस्ती में पाउडर के दूध का वितरण नहीं किया जाता है ।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री ।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

श्री किशनाराम।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री सूरजमल।

(अनुपस्थित)

श्री मनरूपराम परिहार (खारची–सु०) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर दे दिया जाये।

प्रश्न संख्या १०१३.

खारची व देसूरी तहसीलों में अनुसूचित तथा अन्य पिछड़ी जातियों की जनसंख्या

१०१३. **श्री सूरजमल** [फलौदी सु०—श्री मनरूपराम परिहार (खारची-सु०) द्वारा पूछा गया] : क्या निर्वाचन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पाली जिले में खारची व देसूरी तहसीलें अनुसूचित जाति का क्षेत्र घोषित है? यदि हां, तो इन तहसीलों में अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़ी हुई जातियों की जन-संख्या अलग अलग कितनी है और वह जनसंख्या की कितनी प्रतिशत से है?

निर्वाचन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : जी हां, पाली जिले में खारची व देसूरी तहसीलें खारची निर्वाचन क्षेत्र में हैं जो अनुसूचित जाति का क्षेत्र घोषित है। इन तहसीलों की जन-संख्या प्रश्नोत्तर में १९५१ की जनगणना तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति आदेश, १९५० के आधार पर नीचे लिखे अनुसार हैं:—

१	२	३	४	५	६		
तहसीलें	जनसंख्या	संख्या अनुसूचित जाति	संख्या अनुसूचित जनजाति	संख्या पिछड़ी जातियें	प्रतिशत संख्या अनुसूचित जाति	प्रतिशत संख्या अनुसूचित जनजाति	प्रतिशत संख्या पिछड़ी जातियें
खारची	९३,२१६	३,७१५	—	उपलब्ध नहीं	३.९८	—	उपलब्ध नहीं
देसूरी	१,०६,५५६	४,६३९	—	उपलब्ध नहीं	४.२३	—	उपलब्ध नहीं

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम सुलाणियां।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : श्री सूरजमल।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरे दो सवाल हैं।

श्री अध्यक्ष : किशनारामजी के दो सवाल हैं, १०१० व १०११।

म्युनिसिपल बोर्ड, रतनगढ़ को भंग करने की मांग

१०१०. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) रतनगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड का कार्यकाल कब समाप्त हुआ, और यदि पुनः अवधि बढ़ाई गई है, तो कब से कब तक व कब कब बढ़ाई गई ?

(ख) क्या रतनगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड के १० सदस्यों ने तारीख ७.११.५६ को एक तार देकर मौजूदा बोर्ड को भंग करने की मांग की थी ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या अन्तिम निर्णय लिया है ?

(ग) क्या डी. एल. बी. व आर. आई. ने भी मौजूदा म्युनिसिपल बोर्ड, रतनगढ़ की अनियमित गतिविधियों की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए बोर्ड को भंग करने की रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की थी ? यदि हां, तो कब ?

(घ) यदि हां, तो रतनगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड को क्यों नहीं भंग किया गया ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (क) १६.६.५६ को।

(ख) (१) १७.६.५६. से २६.२.६० तक राजकीय आज्ञा दिनांक १३.१.६० द्वारा और (२) १.३.६० से २६.८.६० तक राजकीय आज्ञा दिनांक २६.२.६० द्वारा।

(ग) जी हां। मौजूदा नगरपालिका की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया था।

(घ) केवल डी. एल. बी. का पत्र प्राप्त हुआ है।

डी. एल. बी. का पत्र २२.६.५६ को मिला है।

अभी उसके साथ जांच की जा रही है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : नये चुनाव हो गये हैं तो पुराने सदस्यों की अवधि क्यों बढ़ाई गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर हो गया था।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि पुराने सदस्यों के लिए भी हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया है कि काम नहीं कर सकते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं, ऐसा नहीं है ! पुराना बोर्ड काम कर रहा है। नये बोर्ड का इलेक्शन हो गया है, वह नोटीफाई हो गया है। चेअरमैन का इलेक्शन हो गया है। इलेक्शन होने के साथ में उसके बाद में हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर कर दिया कि चेअरमैन का इलेक्शन नहीं कर सकते हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : ६ तारीख को निर्णय हुआ है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : निर्णय हुआ है तो जरूर कार्यवाही की जायगी। मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री किशनाराम : कानून में प्रोविज़न है कि बोर्ड कोई कानून तोड़ता है तो सरकार को अधिकार है कि उसको सस्पेन्ड कर दे या डिज़ोल्व कर दे। माननीय सदस्यों ने कई दफा शिकायतें की हैं, लेकिन अभी तक कोई गौर नहीं हुआ है, उसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : काफी शिकायतें आई हैं, बोर्ड के खिलाफ सरकार ने कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : शिकायतों की जांच की जा रही है।

श्री किशनाराम : कितना लम्बा चला है ? तीन वर्ष हो गये, कब तक हो जायगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अब तो नये बोर्ड का चुनाव हो गया है। नया बोर्ड चार्ज लेगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : आपने जांच के लिए कहा तो कौन जांच कर रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : विभाग में जांच हो रही है। बाहर से थोड़े ही आता है जांच करने के लिए।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि रतनगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड में चेअरमैन नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चेअरमैन तो है। पहले का चेअरमैन हट गया था। उनके बजाय वाइस-चेयरमैन काम कर रहा है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : वाइस चेअरमैन ने काम करने से इस्तिफा दे दिया। कि मैं वाइस चेयरमैनी के काम से मुक्ति चाहता हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जहां तक मेरी जानकारी है नये चेअरमैन के इलेक्शन होने के बाद नया चेअरमैन काम कर रहा है।

स्वास्थ्य सर्वेक्षण की मांग

१०११. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) सरकार रूरल एरिया में चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग पर कितना कितना

Page No.17

(श्री किशनाराम)

खर्च करती है ? सन् १६५८–५६ के आंकड़े देने का कष्ट करें ।

(ख) रूरल एरिया में एलाउन्स सिर्फ डॉक्टरों को ही क्यों दिया जाता है, अन्य कर्मचारियों को क्यों नहीं दिया जाता है ?

(ग) क्या सरकार लोगों के स्वास्थ्य का स्वास्थ्य सर्वेक्षण करवाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :

(क) रूरल एरियाज़ व अर्बन एरियाज के अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । ५८-५६ में चिकित्सा के लिये १,६५,५८,८८०) रु० व स्वास्थ्य के लिये ४०,७३,०००) रु० स्वीकृत थे ।

(ख) उन डॉक्टरों को जो रूरल एरिया में उन स्थानों पर काम करते हैं जहां कि आबादी १६५१ में हुई जनगणना के अनुसार ५,००० से कम है उनको ७५) रु० माहवार रूरल एलॉउन्स दिया जाता है । उनके अलावा और जो स्टाफ है उनको भी दिया जाता है ।

(ग) सरकार ब्लॉक एरिया में बच्चों में होने वाले आम रोगों तथा अल्प पोषित बच्चों के स्वास्थ्य का सर्वेक्षण पहले से ही कर रही है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, पर वाद–विवाद हेतु समय-वृद्धि सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा पुनः कि आज इस बिल को पास करना है और अभी तक काफी क्लॉजेज़ बाकी हैं । तो जिस तरह से इसकी व्यवस्था होगी वह इस प्रकार से होगी कि अभी क्लॉज़ ४८ चल रही है उस पर मतदान होगा । उसके बाद जो डेफर्ड क्लॉज़ेज़ हैं उन पर सरकार अपना निर्णय दे दे ताकि पहले डेफर्ड क्लॉजेज़ पर मतदान किया जा सके । इसी के साथ कल क्लॉज़ेज़ २१ व २३ के संबंध में कोई वादविवाद और वैधानिक आपत्तियां पैदा हुई हैं और मैं समझता हूं कि अभी ऐसी स्टेज है जिसमें हम आपत्तियां दूर कर सकते हैं । माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया था, लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थति है कि शायद पुनर्विचार करके अपने कानूनी सलाहकारों से मशविरा करके करना चाहिये ताकि उस पर कार्यवाही की जा सके ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मंत्री): उस पर विचार हो रहा है । डेफर्ड क्लॉजेज़ होने के बाद में इस सम्बन्ध में विचार होगा ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि आज तो पंचायत बिल पास नहीं हो सकता है । किसी तरह से भी सैकण्ड रीडिंग और थर्ड रीडिंग नहीं हो सकती है । कैसे तो एमेंडमेंट एक्सेप्ट होंगे, और थर्ड रीडिंग आज होना मुश्किल है ।

श्री अध्यक्ष : दो दफा बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी ने प्रोग्राम एडवाइस किया । पहले ऐसा लगा कि एक दिन ज्यादा लगेगा तो एक दिन ज्यादा दे दिया । अब आगे करेंगे तो सारा प्रोग्राम अपसेट हो जायगा ।

श्री श्रीभानसिंह : और जो क्लिस १४ और १६ को लिये जा रहे हैं वे नहीं लिए जायं। अगर आज खत्म नहीं हो तो १४ को जरूर लिया जाय। बहुत सी क्लॉजेज़ पर गवर्नमेंट की डेफिनिट ओपीनियन नहीं है। जब तक गवर्नमेंट की डेफिनिट ओपीनियन क्लॉजेज़ पर नहीं हो तब तक हाउस का निर्णय नहीं हो सकता है। अभी तक तो ४८ तक हुआ है। बाकी काफी क्लॉजेज़ हैं।

श्री अध्यक्ष: सरकार को डेफिनिट निर्णय लेना पड़ेगा otherwise we won't proceed with that.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सरकार ने सब का निर्णय कर लिया है।

श्री श्रीभानसिंह: Even the Government's definite opinion may not be the definite opinion on this, in this House.

श्री अध्यक्ष : खैर, उसमें ज्यादा समय बढ़ाना उचित नहीं है। दो दफा निर्णय कर चुके हैं इस पर तथा और समय बढ़ाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ४ बजे तक क्लॉजेज़ कर लें। उस वक्त तक कोई क्लॉज बाकी रहेगा तो सारे क्लॉजेज़ पास कर देंगे ४ बजे के बाद।

श्री श्रीभानसिंह : कैसे होगा ? The House will like to know what procedure will be adopted in this Bill ? If the guillotine is applied that will be unprecedented.

श्री अध्यक्ष : There is nothing unprecedented. The Business Advisory Committee's Report and its time programme was approved by the House and it was again revived. One more day was added and we have other necessary business for this day. The House has to co-operate.

श्री श्रीभानसिंह : The House is willing to co-operate. But there are some provisions on which the Government is not yet definite.

श्री अध्यक्ष : The Government has to settle and has to give a definite indication.

श्री श्रीभानसिंह : There will then be a further debate on the amendments etc. which the Government brings in this House. In that case, the right of the Hon'ble Members to discuss will be curtailed by the guillotine.

श्री अध्यक्ष : It will be curtailed in accordance with the Business Advisory Committee's wish.

श्री श्रीभानसिंह : After 4.00 P. M. if guillotine is applied, to my knowledge atleast no-where in any legislature, a guillotine has been applied for Bills.

श्री अध्यक्ष : There is no question of Guillotine. We have set up certain allocation of time and that has been approved by the House. The Hon'ble Members are expected to be strict and to co-operate.

Page No.19

श्री श्रीभानसिंह : What about the 3rd reading, only one Hour ?

श्री अध्यक्ष : Whatever it is, it is for the House.

श्री श्रीभानसिंह : If it is not possible for the Hon'ble Members to discuss it and upto 4.00 P. M. to take up for the 3rd reading......

श्री अध्यक्ष : I don't think, it will upset whole of the future programme already set up by the Business Advisory Committee.

श्री श्रीभानसिंह : Personally I was as a member in the Business Advisory Committee, and it is not within my knowledge that the Business Advisory Committee wished that guillotine will be applied...

श्री अध्यक्ष : There is no question of Guillotine.

श्री श्रीभानसिंह : If it is wished by the Business Advisory Committee, I would like to withdraw myself from that Committee.

श्री अध्यक्ष : There is no question of Guillotine. The Committee made the allocation of time that a particular Bill will be discussed for so many days. We have to be strict to that. That is all. If we have to apply guillotine or we have to curtail discussion for the third reading...

श्री श्रीभानसिंह : On the 14th, there are not very important legislations. They can wait, those legislations have been waiting for a year. This is an important legislation and the Hon'ble Members should be given a free chance for discussion. We can extend till 14th.

श्री अध्यक्ष : There cannot be unlimited free chance at. Everything should be according to the pattern.

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : I would like to submit that the Report of the Business Advisory Committee should be adopted as far as possible but when Bill is perfect, only then it should be passed. Suppose we pass it in hurry and haste, we may have to bring amendments later-on. I will, therefore, request not to insist upon the Guillotine or fixing a time limit. To limit our expression of opinion, if the clauses are passed as without any amendment, that will be a precedent in the whole legislature. Every member should be allowed to move amendment. I will, therefore, request that in the right earnest, you should not be in so haste.

(विराम)

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : मैं निवेदन करूंगा कि बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी भी हाउस के द्वारा बनाई गई है। यदि हाउस तय करता है कि टाइम बढ़ाया जाय तो टाइम बढ़ाना चाहिये क्योंकि हाउस सुप्रीम है। यह इम्पोर्टेन्ट मसला है, इसलिये इस पर काफी विचार होना चाहिये। कोई

(श्री दयाकृष्ण विजय)

ऐसी बात न रह जाय जिस पर विचार नहीं कर सकें, इसलिये हाउस की विशेज़ को जान लेना चाहिये।

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): मैं यह निवेदन करूंगा कि बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी ने इसके लिये पहले जो टाइम रखा था उसको बढ़ाया जा चुका है। माननीय सदस्यों की ऐसी इच्छा थी इसलिये बढ़ाया गया। कल जो प्रतिवेदन बिजनेस एडवाइज़री कमेटी का उपस्थित हुआ था उसको हाउस ने कल ही एडोप्ट किया है। गवर्नमेंट के जितने अमेंडमेंट्स थे वे सक्यूर्लेट हो चुके हैं। गवर्नमेंट के दिमाग में क्लीयर बात है। गुलेटिन लगाया नहीं जायगा। पार्लियामेंट में भी ऐसा प्रोसीजर है कि बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी द्वारा जो एलॉटमेंट हो जाता है उसको क्लोज़ली फॉलो करते हैं। इसके लिये ४ बजे तक का टाइम एलॉट किया गया है। उस समय तक खत्म कर देना चाहिये। इसको एडिहर करने की नौबत नहीं आवे तो फिर बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी से फायदा ही क्या है और हाउस में मोशन एडोप्ट करने से क्या फायदा है? पहले ३ रोज की बात थी उसको बढ़ा कर ४ रोज किया और फिर ५ रोज रखा। आयन्दा १६ तारीख के लिये और भी इम्पोर्टेन्ट बिल रह गये हैं। माननीय सदस्यों को कोऑपरेट करना चाहिये। जो ऑलरेडी निर्णय लिया जा चुका है उसको कार्यान्वित करना चाहिये। इम्पोर्टेन्ट अमेंडमेंट्स मूव हो जायं, उन पर आप अपनी राय बता दें, गवर्नमेंट की राय क्लीयर है।

श्री पी.के. चौधरी(फुलेरा): Zila Parishad Bill is also there. Moreover this point was raised at that time also, whether guillotine should be applied or not. But as a matter of fact the Hon'ble Members should take as little time as possible. If we cannot complete it by four, according to the recommendation of the Business Advisory Committee, the Speaker has a discretion to fix a time limit.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : But that was adopted by the House.

श्री अध्यक्ष : There are two alternatives, whether we can extend our sitting beyond five o'clock or we may drop the unofficial day to-morrow and instead of that we can take this business. Besides, the Hon'ble Members may make up their mind, we will take decision accordingly. There is certain Government business which they have been pressing for some time now and we have to take up that. But the non-official business is such which can wait. It is not of urgent nature.

इसलिए चार बजे तक आप पुनर्विचार करलें। जैसी सदन की मर्जी होगी वैसा समय निर्धारित करेंगे।

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९६०

(अग्रेतर खण्डशः विचार-विमर्श)

क्लॉज़ ४८

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४८ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

Page No.21

(श्री अध्यक्ष)

क्लॉज़ ४८ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

अब डेफर्ड क्लॉजेज़ लिये जायेंगे।

(विराम)

क्लॉज़ ४

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मंत्री): माननीय अध्यक्ष, क्लॉजेज ४ व १० दोनों का एक ही विषय है....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : सुनाई नहीं पड़ रहा है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष, क्लॉजेज़ ४ और १० डेफर्ड किये गये थे। दोनों का एक ही विषय है। सरकार ने यह तय किया है कि इन दोनों को प्रेस नहीं किया जाय। मूल पंचायत अधिनियम में जिस प्रकार से ये धाराएं हैं वे उसी रूप में रहेंगी। तीन-चौथाई का निर्णय चाहते थे उसको वापिस ले लिया है।

श्री पी के० चौधरी (फुलेरा) : How can it be withdrawn ?

श्री अध्यक्ष : वे विथ्ड्रॉ नहीं करेंगे। It would not be put to vote.

श्री पी० के० चौधरी : When it is embodied in the Bill, somebody should make a motion for deletion of the clause and members should be given a chance to speak. It cannot be withdrawn.

श्री अध्यक्ष : He is not withdrawing. He says the Government does not want to press it.

श्री श्रीभानसिंह : But the procedure cannot change. if the Government does not want to press it. The clause is incorporated in the Bill and it can either be deleted or defeated in the House. Either of the procedure has to be adopted. There is no third procedure of saying that the Government does not want to press it or they want to withdraw it. So this clause has to be voted down in the House. In regard to section 27 I also an unusual procedure was adopted. The Hon'ble Member moved for deletion in the House and it was accepted by the House.

श्री अध्यक्ष : It is difficult to withdraw the clause. Therefore, the procedure that we can adopt is that it would not be put to vote. As a matter of fact, because a clause stands in the Bill, it does not mean anything. We are discussing it clause by clause. so unless it is put to vote and adopted the situation remains that nothing has happened.

श्री पी. के. चौधरी : Why it should not be put to vote ? Clauses 4 and 10 have already been put for consideration of the House, and when these two clauses are under consideration of the House the only procedure is that they be put to vote or deleted. They cannot be withdrawn.

Page No.22

श्री अध्यक्ष: They are not being withdrawn. If it would have been possible to make a motion for withdrawal, the House would have permitted it. Therefore, the procedure I am going to have is that I am not putting it to vote.

श्री पी. के. चौधरी : How can it be not put to vote ? The whole Bill is before the House.

श्री अध्यक्ष : As I told the Hon'ble Members, I have given consideration to the matter and since it is not possible to withdraw it because of technical hitches...

श्री पी. के. चौधरी : Let him make a motion for deletion.

श्री श्रीभानसिंह : The procedure of getting the clause defeated is open to the Government. The Government can get it defeated through mustering the majority in the House. But every clause has to be voted in the affirmative or in the negative.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल(जोहरी बाजार, जयपुर) : I would draw the Hon'ble Speaker's attention to Rules 80 and 81 of our Rules of Procedure :—

"80. ...The Speaker may call each clause separately and, when the amendments relating to it have been dealt with shall put the question: "That this clause . . stand part of the Bill."

81. The Speaker may, if he thinks fit, postpone the consideration of a clause."

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जब यह बिल हमारे सामने कन्सीड्रेशन के लिए है, cause by clause कंसीडर कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर क्लॉज पर भी कंसीड्रेशन किया है, मंत्री महोदय ने इसको डेफर किया है इसलिए कि हाउस की विशेज़ के अनुसार इसमें अमेन्डमेंट ले आयेंगे। ऐसी स्थिति में उनकी तरफ से अमेंडमेंट लाने की बात थी तो यह नहीं हो सकता कि इस पर वोट ही न हो। यह हाउस की प्रोपर्टी है, क्लॉज़ हाउस के सामने है, कंसीडर कर लिया है। ऐसी स्थिति में किस रूल के तहत वोट के लिए पुट नहीं किया जायगा, यह समझ में नहीं आता। इस पर विचार किया जाय तो अच्छा रहेगा।

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : Mr. Speaker, Sir, I believe that this question does not relate to to-day's business-only. It is a matter of future importance also. I believe, once a clause is before the House it, has got to be put to vote of the House. There is no other way out. I may state one contingency. Supposing the majority of the House is of the opinion that an amendment moved by the Hon'ble Minister be accepted and now the Hon'ble Minister rises and says that he does not want to press it then what will be the position ? Let us think of that position also before we adopt any procedure here because it will be a guiding factor for future also. So the motion will have to be put to the House.

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक बात है कि जब इस क्लॉज़ को डेफर किया गया तो इस मन्शा से किया गया कि मन्त्री महोदय कोई अमेंडमेंट ला सकते हैं। अब माननीय मन्त्री महोदय अमेंडमेंट लाते हैं कि इस क्लॉज़ को डिलीट कर दिया जाय। मैं समझता हूं, यह करेक्ट है और इसके अन्दर किसी तरह की आपत्ति नहीं हो सकती।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : No amendment of deletion has been circulated and it cannot be allowed in the House.

श्री अध्यक्ष : Hon'ble Minister.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ पर डिस्कशन हुआ तो ज्यादातर माननीय सदस्यों की राय थी कि यह क्लॉज़ नहीं रहना चाहिए....

श्री अर्जुनदास : जी हां।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमने दुबारा विचार किया और निश्चय किया कि इस क्लॉज़ में थ्री-फोर्थ-वाली बात है, यह नहीं रहनी चाहिए। कल ऑर्डिनेरी मोशन दिया था कि इसे डिलीट कर दिया जाय लेकिन डिलीट करने का मोशन कायदे के मुताबिक नहीं हो सकता, इसलिए सर्क्युलेट नहीं कर सके। इसलिए बाई वोट इसको ड्रॉप कर देना चाहिए। अगर माननीय सदस्य चाहें कि इसे पास कर देना चाहिए, तो हमें आपत्ति नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : It must be voted down and there is no other alternative.

श्री अध्यक्ष : (To Hon'ble Minister) Are you prepared to put it to vote?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमें कोई आपत्ति नहीं है, इसे बाई वोट कर दिया जाय।

श्री अर्जुनदास : Vote it down.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Yes, we have no objection.

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : इसमें क्या है, वोट ले लीजिये, वोट में कह दीजियेना।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, यह 'डिलीट' का अमेंडमेंट पेश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या व्यवस्था है?

श्री अध्यक्ष : We do not permit that amendment.

श्री दामोदरलाल व्यास : Then the only alternative is to vote down the clause because it cannot be withdrawn.

श्री अध्यक्ष : In this regard I may inform the House as to what had happened in the Lok Sabha :

"On the 7th May, 1956 during the clause by clause consideration in

Page No.24

(श्री अध्यक्ष)

Lok Sabha of the Hindu Succession Bill, as passed by Rajya Sabha, it was brought to the notice of the Speaker that clauses 12 and 13 of the Bill were unnecessary in view of Clauses 8 (c) and 8 (d) of the Bill which had been adopted by the House earlier. The Speaker ruled as under :

" Clauses 12 and 13 are similar to Clauses 8 (c) and 8 (d), and therefore, they are redundant. Therefore, they will go out of the Bill. I am not placing them before the House."

श्री पी० के० चौधरी : That is something different.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस हाउस में नहीं रखें, यह बात अलग है; 8 (c) व 8 (d) का प्रोवीजन था, स्पीकर ने कहा कि रिडन्डेन्ट प्रोवीज़न्स हैं, इसलिए रखने की आवश्यकता नहीं है। यह रिडन्डेन्ट प्रोवीजन है नहीं, और यह कहें कि दूसरा प्रोवीजन ही ठीक है, तो बेस्ट प्रोसीजर यह है कि हाउस में वोट के लिए रख दिया जाय। That can be the only possible way.

श्री अध्यक्ष : All right. I think it would be better if you place it for vote and negative it.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रोसीजर है, वैसा अडॉप्ट करा जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ४ और १० विधेयक के अंग बनें।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : The debate is to continue on Clause 10, Sir.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : बोल रहे हैं, साहब।

श्री पी० के० चौधरी : Because the debate had not taken place on Clause 10.

श्री अध्यक्ष : No, I have ruled that deferred clauses will not be discussed.

श्री पी० के० चौधरी : I had amendment to Clause 10.

श्री अध्यक्ष : What is the use now ?

श्री पी० के० चौधरी : I want to press my amendment.

श्री अध्यक्ष : I am afraid we cannot permit any further discussion. The Government is not pressing it.

श्री पी० के० चौधरी : I wanted to speak on it.

श्री अध्यक्ष : What is the use of Hon' ble member discussing it now when the Government is not pressing it ?

श्री पी० के० चौधरी : I want to press my amendment, Sir.

श्री अध्यक्ष : There is no amendment before the House.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री): जब क्लॉज़ नहीं रहेगा तब अमेंडमेंट का क्या सवाल है ?

श्री पी० के० चौधरी : अजी, क्लॉज़ रहेगा ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : क्लॉज़ रहेगा नहीं !

श्री अध्यक्ष : We have had plenty of discussion on this Clause and we want that remaining clauses should also be fully discussed and that can be done only if the Hon' ble members co-operate with regard to the procedure that we are following.

श्री श्रीभानसिंह : यह साहब, Clause 10 is very important. Clause 4 relates to the election of panchas, while in Clause 10 we are to discuss the election of Sarpanchas which is quite a different matter and the Hon'ble members have a right to speak.

श्री अध्यक्ष : Well, I am putting them to vote separately, but there will be no discussion.

श्री श्रीभानसिंह : If members are not allowed to express their views, it was useless to...

श्री अध्यक्ष : It is not a question of what is useless and what is not. The question is that the Government is not pressing it.

श्री पी० के० चौधरी : The amendment of the Hon' ble Member stands on it and the Hon'ble Members have a right to speak on that amendment.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : When the clause is not there, the amendment will automatically fail.

श्री अध्यक्ष : Well, with the permission of the House I will put the clauses to vote.

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): डिस्कशन नहीं हुआ तो डेफर कैसे होता ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ विधेयक का अंग बने ?

(अस्वीकृत)

क्लॉज़ ४ विधेयक में से पृथक किया गया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आज 'ना' जीत गया, अपोजीशन जीता है ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : एक दफा और जीतेंगे आप ।

(हंसी)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १० विधेयक का अंग बने !

(अस्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

क्लॉज़ १० विधेयक से पृथक किया गया।

श्री श्रीभानसिंह(बयाना): अध्यक्ष महोदय, मैं यह व्यवस्था जरूर चाहूंगा कि डेफर्ड क्लॉज़ की व्यवस्था रही कि गवर्नमेंट ने विथ्ड्रॉ कर लिया तो हाउस को राइट ऑफ डिस्कशन नहीं है। यह व्यवस्था दे दी गई है कि जो क्लॉज़ डेफर हुआ उस पर माननीय सदस्यों को बोलने की व्यवस्था नहीं है, इस पर बहस नहीं हो।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, काफी बहस हो चुकी है और जो समय का प्रश्न सदन के सामने है उसको देखते हुए इस पर बहस करना मुनासिब नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : On clause 10 there was no discussion, Sir. I was reserving my debate with the...

श्री अध्यक्ष : Many amendments were moved on clause 10.

श्री श्रीभानसिंह : No, Sir, no amendment was moved and Hon' ble Members were not permitted to move the amendments.

श्री अध्यक्ष : But when he is not pressing what is the use of putting the amendments.

वे कह रहे हैं कि क्लॉज़ रखना नहीं है, उस पर अब क्या बहस हो सकती है ; केवल बहस करने के लिए बहस करनी है ?

श्री श्रीभानसिंह : दूसरी ओपीनियन नहीं दी जा सकती कि क्लॉज़ रखा जाय या नहीं रखा जाय ?

श्री अध्यक्ष : देखिये, The Government has moved certain thing. Now they say that they don't want to press it. So it is only of academic interest whether you speak on it or not.

श्री श्रीभानसिंह : Sir, this was a very important clause and it may be an academic discussion, but the discussion would have been worth something. The House is meant for debate.

श्री अध्यक्ष : Not academic and abstract discussions and on points of that nature.

श्री श्रीभानसिंह : So we should take it that in future also there will be no discussion on deferred clauses ?

श्री अध्यक्ष : No. You cannot take that.

श्री श्रीभानसिंह : One precedent will follow another. The Hon' ble Member-in-charge of the Bill placed the clause for the consideration by the House and it was open to the House to say that the clause may not be withdrawn. Therefore, the rights of the House have been curtailed.

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ ८. ।.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें परिवर्तन सरकार नहीं सुझा रही है, इसलिए इस पर मतदान किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ८ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ ३८।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्लॉज़ भी ज्यों का त्यों रहेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : on a point of information, इस क्लॉज़ ८ में संशोधन आये हैं, उनके बारे में क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : With the permission of the House, we have voted down the clause and with that all the amendments fail.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौनसे अमेंडमेंट्स ?

श्री अध्यक्ष : जो आठ पर मूव हुए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सारे अमेंडमेंट्स, कितने अमेंडमेंट्स ?

श्री अध्यक्ष : जिन किन्हीं माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किये थे, वे सारे अमेंडमेंट्स।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका मतलब यह है कि मैंने संशोधन रखा, कोई और माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है, तो वह स्वीकार कर लिया गया है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : एक ही संशोधन है क्लॉज़ आठ में, श्री सोहनलाल का।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्लॉज़ आठ के लिए कह रहे हैं, जो पारित किया है। उसमें कौनसा संशोधन स्वीकार किया है ?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं किया है ?

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ आठ पर बहस हुई थी, उस पर जो सदन के समक्ष अमेंडमेंट आये, वे वापिस हो गये। आप चाहते तो अमेंडमेंट पेश कर देते।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : क्लॉज़ ३७ वैसा का वैसा रहेगा।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : बोल रहे हैं ?

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): बोल रहा हूं, हुकम। अपीलेट ऑथोरिटी, उसमें केन्सलेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन रखा गया तो दिक्कत होगी। ट्रान्सफर के लिए सेशन्स कोर्ट में जाना पड़ता है। इसलिए अपीलेट

(श्री सोहनलाल भाटनगर)

आॅथोरिटी को रखिये केन्सलेशन आॅथोरिटी।

(क्लॉज़ ३७ भी आस्थगित रहा)

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ ३८ ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मन्त्री) : इसमें एक संशोधन मैं उपस्थित करता हूँ, अध्यक्ष महोदय :

" Add the following proviso to the proposed sub-section (5) of section 57 :

" provided that at least one of the members of every appeal committee shall be a Law Graduate. "

माननीय अध्यक्ष, इसकी आवश्यकता इसलिये महसूस की गई है....

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : समझ मे नहीं पड़ रहा है, क्या हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष : पहले ३८ ले रहे हैं ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसकी आवश्यकता इसलिये महसूस की गई कि अपीलेट कमेटी में कानून का जानकार एक सदस्य रहे तो सुविधा होगी ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : सुनाई नहीं पड़ा साहब, क्या अमेंडमेंट है, सर्कुलेट नहीं हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अमेंडमेंट फिर से पढ़ दीजिये ।

श्री जनार्दनराय नागर : समझ में नहीं पड़ रहा है, क्या हो रहा है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसके साथ ही साथ एक और अमेंडमेंट है क्लॉज़ ३८ में :

Replace the clause by the following :-

38. Amendment of section 57, Rajasthan Act 21 of 1953:-

In section 57 of the principal Act-

(i) In sub-section (1), the words " instituted in or " shall be omitted.

(ii) In sub-section (2)-

(a) for the word " panchayat " occurring in the second line the words " Nyaya panchayat " shall be substituted.

(b) For the words and figures " appeal to the Tehsil Panchayat established under section 58 on payment of the prescribed fees in the prescribed manner" the words appeal there from in the prescribed manner and on payment of the prescribed fees to a Committee, herein after called the Appeal Committee, which shall be constituted by each Panchayat Samiti for the block over which it has jurisdiction and shall consist of five members elected by the Panchayat Samiti in the prescribed manner. "

(iii) in sub-sections (3) and (4), for the words " Tehsil panchayat, " wherever they occur, the words

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

" Appeal Committee " shall be substituted, and

(iv) after sub-section (4), the following new sub-sections shall be added, namely :-

" (5) The provisions of sub-sections (3), (4), (5) and (6) of section 27 C and sub-sections (2), (3) and (4) of section 27 F and of section 27 H shall apply mutatis mutandis to an Appeal Committee and its members in the same manner as they apply to a Nyaya Panchayat and its members.

(6) The term of office of an Appeal Committee shall be co-extensive with the term of office of the Panchayat Samiti which constituted the Appeal Committee.

(7) All appeals pending before a Tehsil Panchayat on the date of its abolition shall stand transferred to the Appeal Committee concerned.

(8) Any three members of an Appeal Committee shall form the quorum necessary for the transaction of its business.

(9) The receipts of an Appeal Committee shall be credited to the Panchayat Samiti Fund and the expenses incurred by it shall be met out of that Fund. "

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : म्युटेटिस मुटेन्डिस क्या होता है, दा साहब ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय(पंचायत मंत्री): यह वकील साहब को समझाने की जरूरत है, और वह भी वकील नहीं रहा है वह समझायेगा। अपने आप, ओटोमेटिकली। गलत समझा हूं तो आप बता दें।

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : अध्यक्ष महोदय....

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीमानसिंह।

श्री हीराभाई : यह जो अंग्रेजी में बताया है, इसको समझते नहीं हैं। यह पंचायतों का कानून है, अच्छी तरह से समझाया नहीं ....

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : मन्त्री महोदय ने पढ़ कर सुना दिया है, व्याख्या कर दें।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यही तो समझा रहा था।

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम): कम से कम समझाने की कोशिश तो करें, समझा सकें या नहीं समझा सकें, यह बात दूसरी है।

श्री अध्यक्ष : Order please !

१२ मध्यान्ह

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

मन्त्री) : यह न्याय पंचायतों का जो संशोधन पेश किया गया है इसमें जो जनरल डिबेट हुई थी, इस डिबेट में दो–तीन बातों पर विचार हुआ था। उन पर सरकार ने गौर किया और उसके फलस्वरूप यह अमेंडमेंट पेश कर रहा हूँ।

उनमें से एक बात यह थी कि अपील कहां होगी ? पहले प्रोवाइड किया गया था उसमें अपील मुन्सिफ और मजिस्ट्रेट के पास रखी गई थी, सिविल केसेज़ की अपील मुन्सिफ के पास और क्रिमिनल केसेज़ की अपील मजिस्ट्रेट के पास। उस पर ऐतराज किया गया था कि जो चुनी हुई बॉडी है न्याय पंचायत, उसकी अपील चुनी हुई बॉडी में ही होनी चाहिये। इस भावना का आदर करते हुए, कद्र करते हुए सरकार ने यह तजवीज की कि एक अपील कमेटी बनाई जाय और पंचायत समिति उसका निर्वाचन करे जिससे कि निर्वाचित बॉडी की अपील निर्वाचित समिति के पास ही जाय। यह एक बड़ी बात इस अमेंडमेंट में कही गई है।

और डिटेल की बातें आ जाती हैं, कोरम कैसा हो....

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : इससे मिलीजुली ही हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जी हां। और बातें गौण हैं, जो मुख्य बात थी उस मुख्य बात को ध्यान में रखते हुए यह अमेंडमेंट किया है, बाकी फंक्शनल और कॉन्सिक्वेन्शियल चेन्जेज़ होंगे, वे दिये हुए हैं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय अध्यक्ष, यह जो अमेंडमेंट मन्त्री महोदय ने क्लॉज ३८ में रखा है कि न्याय पंचायतों की अपील हो उसको पंचायत समिति की एक सब-कमेटी बना कर, वह अपील सुने ; मैं इसका विरोध करता हूँ। यह तो पता नहीं कि कब हाउस में इस प्रकार के विचार व्यक्त किये गये थे कि न्याय पंचायतों की अपील के लिये एक पंचायत समिति के नीचे अपीलेट कमेटी बनाई जाय पर जिस सिद्धान्त से पंचायत समिति को कायम किया गया, वह सिद्धान्त यह था कि ब्लॉक डेवलपमेंट एरिया में डवेलपमेंट करने के लिये, उन्नति करने के लिये पंचायत समिति द्वारा पंचों और सरपंचों का सहयोग लेकर उनका स्तर ऊंचा करें, इस सिद्धान्त से पंचायत समिति को बनाया और इसी सिद्धान्त से जिला परिषदों को बनाया, एक बॉडी बनाई डेवलपमेंट के वर्क के लिये, उनको थोड़े एग्ज़िक्युटिव फंक्शन्स भी दिये। अब जब सरकार ने तहसील पंचायतों को हटाया है तो इसलिये हटाया है कि तहसील पंचायतें सुपरफ्लुअस बॉडीज़ हैं, पंचायत समिति में और तहसील पंचायत में एक तहसील में कम्पीटिशन हो जायगा कि इन दोनों बॉडीज़ में से कौनसी बॉडी इम्पोर्टेन्ट है, जनता किसको मानेगी, किसको श्रद्धा से देखेगी। तहसील पंचायत को हटा कर पंचायत समिति रख दी कि डेवलपमेंट की तरफ जनता को ज्यादा श्रद्धा रहे। इसलिये पंचायत समिति कायम की गई। अब यहां पर उन्होंने पंचायत समितियों के नीचे एक अपीलेट ऑथोरिटी का काम और रख दिया है जिसके अनुसार पंचायतों की अपील सुनेंगे। अपीलों के सुनने का जो काम पहले तहसील पंचायतों के जिम्मे था वह अब इनके जिम्मे रहेगा। अब आपने

(श्री श्रीमानसिंह)

इस काम को पंचायत समितियों के नीचे रखा है तो मैं यह कहूंगा कि तहसील पंचायतों के जिम्मे यह काम पहले ही था उनसे क्यों हटाया गया, उन्होंने क्या गुनाह किया सो उनसे आपने यह काम हटाया ? तहसील पंचायतों में भी चुने हुए सदस्य होते थे और यहां पर चुने हुए सदस्य होंगे । इस चीज को एडमिट करने के लिये कि तहसील पंचायतें सुपीरियर हो डेवलपमेंट का कार्य पंचायत समिति से चाहते हैं ; मगर अब आप उनको भी अपीलेट वर्क देने जा रहे हैं । अब आप देखेंगे कि जो ५ या ७ सदस्य अपीलेट ऑथोरिटी में होंगे उनका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और लोग उनकी ज्यादा रेस्पेक्ट करेंगे और वहां के प्रधान और पंचों को कोई नहीं पूछेगा । या तो यह होगा कि उनको अपीलेट ऑथोरिटी के चेयरमैन होना होगा और नहीं होंगे तो उनकी रेस्पेक्ट नहीं होगी । यदि इसमें प्रधान और सरपंच नहीं होंगे तो आपस में प्रधान और चेयरमैन की कभी नहीं बननेवाली है और आपकी पंचायत समितियों को बनाने के पीछे जो भावना और श्रद्धा है और जो बात आप चाहते हैं वह कार्य जुडिशियल अपीलेट ऑथोरिटी में नहीं होगा और जो भावना पंचायत समिति में जिस रोज यह बनेगी उसके बन जाने के बाद वह भावना नहीं रहेगी ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि राज्य सरकार ने यह सिद्धान्त अडोप्ट किया है कि जुडिशियरी और एग्ज़िक्युटिव को सेपरेट रखेंगे । इसकी रूप-रेखा पहले दी गई वह यह थी कि न्याय पंचायतों के फैसले की अपील सुननेवालों में मुन्सिफ और मजिस्ट्रेट थे । अब उनको अपीलेट ऑथोरिटी नहीं रख कर यह कार्य भी एग्ज़िक्युटिव के हाथ में रखा है । तो इसका मतलब यह है कि जुडिशियरी और एग्जिक्युटिव सेपरेट रहे उसके सिद्धान्त को आपने इसके द्वारा खत्म कर दिया है और एग्जिक्युटिव और जुडिशियरी एक कर दी है इन सभी सिद्धान्तों से हम अगर देखें तो हम यह नहीं कह सकते कि यह कैसा अमेंडमेंट है और जिस तरह से हम लोग डेवलपमेंट के कार्यों में तरक्की चाहते हैं वह किस तरह से जल्दी होगी । इन सब चीजों को देखते हुए मैं यह जरूरी समझता हूँ और हाउस से निवेदन करूंगा कि जो अमेंडमेंट रखा है, separation of Executive from Judiciary point of view से, from development point of view से, वह ठीक नहीं है ।

फिर यह देखना है कि जिन सिद्धान्तों पर हमने पंचायत समितियों और जिला परिषदों को कायम किया है उन सिद्धान्तों को अपीलेट ऑथोरिटी सेबोटेज करती है । पहले जिस तरह की कमेटी फोर्म होनी चाहिये उसको फोर्म करने में आपको डिफिकल्टी आवेगी कि किस तरह की जुडिशियल एपीलेट ऑथोरिटी बनेगी और जिस समय कमेटी फोर्म होगी उस समय सदस्य चुने जावेंगे तो आपस में राइवलरीज़ पैदा होगी । क्योंकि जिन ५ सदस्यों को आप चुनना चाहेंगे वे पांच सदस्य कौन से होंगे ? जिस समय उनका चुनाव होगा उस समय आपस में विरोध अवश्य होगा । विरोध के कारण किसी को जेल भी सकते हैं । मगर पहले तो हमने यह रखा था कि they will run concurrently with courts अब हमने कोर्ट को हटा कर सोलली न्याय पंचायतों के हाथ

(श्री श्रीभानसिंह)

में यह दे दिया है; जैसे एक माननीय सदस्य ने बताया कि इसमें ऐसे सेक्शन्स हैं जिनके तहत पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिला वारंट एरेस्ट कर सकती है और उसका प्रोसिक्युशन करा सकते हैं। इसलिए जो एक्यूज्ड होंगे उनको एक तरह से जो चार्ज के विरुद्ध सफाई देने का अधिकार होता है वह भी नहीं होगा। पहले हमने पंचायतों को पॉवर दी मगर उसमें हमने एक्यूज्ड की तरफ से पूरी गारन्टी से किया था कि वह अपीलेट ऑथोरिटी के पास जावेगा और वहां से वह तहसील में जावेगा और न्याय हासिल कर सकेगा। लेकिन अब यह जो एक इलेक्टेड बॉडी होगी और वह पंचायत समिति तीन या चार वर्ष के लिये बनी और उसमें भी सदस्य रद्दोबदल होते रहेंगे। हर तीसरे साल १।३ सदस्य रिटायर होंगे और दो, तीन सालों में co-terminus with Panchayat Samitis हो जायगी और दूसरी ओर जो अपीलेट ऑथोरिटी मुकर्रर होगी उसका co-terminus कर दिया है। तो जो with justice न्याय पंचायतों से पंचायत समिति को हम चाहते हैं वह stability, continuity and securtity गारन्टी नहीं किया है और वह तभी मिल सकता है जब सिविल केसेज़ में मुन्सिफ के पास और क्रिमिनल केसेज़ में सेशन्स जज के सामने उनकी अपील जावे। इसलिए मैं फिर यह निवेदन करूंगा कि पंचायतों में healthy practice की नींव को दृढ़ करना चाहिये। अगर आप यह चाहते हैं कि वे न्याय और डेवलपमेंट के कार्यों–दोनों में लगे रहें तो यह उचित नहीं होगा। इसलिए इस एमेंडमेंट को विड्ड्रॉ कर लिया जावे और जिस प्रकार से जुडिशियरी और एक्जिक्युटिव पहले अलग थी उसी तरह से रहने दें। मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस एमेन्डमेंट को वापिस ले लिया जाए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान एक्ट २१ ऑफ १९५३ की धारा ५७ में समान अधिनियम की धारा ३८ के द्वारा संशोधन करने का प्रावधान किया गया है और जो संशोधन माननीय मंत्री महोदय ने सदन में प्रस्तुत किये हैं उनका विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, रूपवास से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो तर्क इस संबन्ध में प्रस्तुत किये उन तर्कों को न दोहराता हुआ मैं यह समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने जो संशोधन पेश किये हैं वे अधूरे ही संशोधन पेश किये हैं। यदि न्याय पंचायतों की प्रथम अपील दीवानी मुकदमों की मुन्सिफ और फौजदारी की फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के स्थान पर पंचायत समिति के स्टेन्डिंग कमेटी को देने का प्रावधान किया है तो उससे बड़ी अपील के लिए राजस्थान विधान सभा के सदस्यों की कमेटी बना कर उनको प्रवोाइड कर देते तो उनका संशोधन पूरा हो जाता है। यानी पहली अपील को सुनने का अधिकार पंचायत समिति की स्टेन्डिंग कमेटी को होगा और दूसरी अपील सुनने का विधान सभा को जो इलेक्टेड बॉडी है उसको होता और उसके लिए एक सेकन्ड अपीलेट कमेटी बनाई जाती। अगर इस प्रकार का एमेंडमेंट दे देते तो एब्सर्डिटी पूरी हो जाती है।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद पार्लियामेंट में रीविज़न जा सकती थी।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : यह तो आप ही मूव करते ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं तो ऐसे एब्सर्ड एमेन्डमेंट कभी मूव नहीं कर सकता । अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री महोदय को राजस्थान सरकार के प्रेम के जज्बे से आते हैं । कल तक कोई ऐसी बात नहीं थी, कल तक कोई विचार नहीं था । जो रूस से लौट कर आये हैं उनको छोड़ कर सदन में एक भी सदस्य ऐसा नहीं था जिसने इस प्रकार की न्याय पंचायतों की अपील सुनने के लिए यह कहा हो कि अपीलेट कोर्ट के स्थान पर इलेक्टेड बॉडी रखा जावे । उनको वहां का अनुभव हो सकता है । मगर सिवाय सदन एक के कौने को छोड़ कर कहीं से इस प्रकार की आवाज नहीं आई । अब, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि कुछ ऐसा लगता है कि हमारे माननीय मंत्री महोदय ने जिन्होंने इस पंचायत के पोर्टफोलियों को नया नया संभाला है इसलिए उनको इसका अनुभव नहीं है इसलिए उन्होंने यह बातें रखी हैं । इसका अनुभव माननीय मंत्री स्वयं अपने कार्यकाल में कर लेंगे लेकिन भूतपूर्व मंत्री ने जो गल्तियें और अनुभव उनका रहा है उसका कोई उनको लाभ नहीं दिया है। अच्छा होता उनका लाभ इनको मिलता । हमेशा यह होता आया है कि जो चला जाता है उसको चले जाने के बाद अच्छा कहते हैं । इसी तरह से यह होगा, अध्यक्ष महोदय । अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में अगर आप कहें तो एक छोटा सा किस्सा है, मैं सुना दूं ।

ऐसा था कि एक आदमी था । जो श्मशान में मुर्दे जाते उनकी लकड़ी उठा कर चला जाता था । लोग परेशान होते थे और मुर्दा पूरा जल नहीं पाता था क्योंकि वह लकड़ी उठा कर ले जाता था । बहुत दिनों के बाद वह आदमी मर गया । उसके मरने के बाद उस श्मशान का इन्चार्ज उसका लड़का बना । वह क्या करता था कि जो भी मुर्दा आता उसको चार जूते लगाता था । लकड़ी तो ले ही जाता था मगर जूते अलग लगाता था । जब वह ऐसा करने लगा तो लोग कहने लगे कि इससे तो इसका बाप ही अच्छा था । इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि बाप का नाम तब होगा जब बेटा के कारनामे बाप से ज्यादा खराब होंगे । स्वायत्त शासन के मंत्री को ....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) :

(अश्रव्य)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो कहीं जाकर ऐसा न हो । उनके नोटिस में बहुत सारे केसेज़ होंगे । मेरी जानकारी में पंचायतों के दो फैसले आये हैं । आपने पंचायतों को ३२३ दफा तक के अधिकार दिये हैं । पंचायतें फौजदारी में दफा ३२३ तक के जुर्म सुन सकती हैं । मगर आप देखेंगे कि एक पंचायत में ३०२ का, यानी मर्डर का केस है उसमें कॉग्निज़ेन्स लिया और जब उनको कहा गया और आपत्ति उठाई गई कि आप इसको नहीं सुन सकते तो सरपंच कहते हैं कि हमको ३२३ तक तो सुनने का अधिकार है, यह तो दफा ३०२ ही है । इसको तो सुन ही सकते हैं । ३०२ तो छोटा है । अध्यक्ष महोदय, अब जहां पर इस प्रकार के लीगल ब्रेन रखने वाले बैठते हों पंचायतों में, पंचायतों को अधिकार दिया है । हाई कोर्ट में जो अभी फैसला हुआ है उसका मैं हवाला

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

दूं । पहले भी दिया था । (अश्रव्य) वर्सेस रूपसिंह का फैसला हुआ । १००) रु० तक दीवानी के पंचायत को फैसला देने का अधिकार है । एक पार्टी का सपोर्टर था । इलेक्टर था । अब क्या किया जाय ? मकान का झगड़ा खड़ा हुआ । झोंपड़े का झगड़ा खड़ा हुआ । १००)रु. का मामला नहीं था। पंचायत ने कहा कि छप्पर की कीमत लगाओ, खाट की कीमत लगाओ और कुल कीमत ७०), ८०) की लगा कर डिग्री पास कर दी । इस प्रकार के जहां पर पंचायतों में फैसले होते हों, जहां पर कानून की जानकारी कम हो, वहां कानून की जानकारी का सवाल आता है, अध्यक्ष महोदय, यह एक जगह ही सीमित नहीं है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, मुन्सिफ, सेशन्स जज और तमाम जुडिशियल प्रोसेस में छनने के बाद भी मामले हाईकोर्ट तक जाते हैं और फैसले होते हैं और हाईकोर्ट के फैसले सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी बदल जाते हैं । कानून का एक जुडिशियल प्रोसेस होता है, प्रोसीज़र होता है, जहां पर इस प्रकार से हाईकोर्ट के लेवल तक भी कानूनी गलतियां हो जाती हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि पंचायतों को अधिकार दिया है, सेन्टेन्स पास करने की दफा रखी गई । ५०) रु० तक का फाइन रख सकते हैं, सबस्टेन्टिव पुनिशमेंट नहीं देंगे सबको, सबस्टेन्टिव सजा का प्रोविज़न हटा दिया है, लिख दिया कि ५०) रु० से अधिक जुर्माना नहीं कर सकते । भूतपूर्व मंत्री हैं, कानून के जानकार हैं, वे जानते हैं एक फाइन और एक सबस्टेन्टिव सेन्टेन्स ऑफ पनिशमेन्ट । मुझे बड़ा भय है, कहीं ऐसा न हो । कानून में धारा नहीं है सबस्टेन्टिव पुनिशमेंट के बारे में । कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है जुर्माना करे । आप लिख देते कि केवल पंचायत जुर्माना करे, इससे अधिक नहीं करते । पंचायत कहेगी कि जुर्माना क्या करेंगे ? ५०) रु० से कम होगा, सजायें भुगतायें । न्याय पंचायत को ट्राई करने का अधिकार दिया है, दो, तीन साल की सजा....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसकी भाषा को हम ठीक कर रहे हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसको भी दुरुस्त करें ।

श्री अध्यक्ष : उसकी ओर मैंने ही मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप इसमें भी थोड़ा दुरुस्ती कर सकें तो अच्छा है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मंत्री) : काफी दुरुस्त हो जायगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो मुझे दुरुस्त करने की जरूरत नहीं है । मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, धारा के लिये कह रहा हूं ।

अपीलेट ऑथेरिटी रखा गया है उसमें कई विरोध हो सकते हैं । इसमें फन्डामेन्टल कारण भी हो सकते हैं । जहां एक ओर पंचायतों को अधिकार दे रहे हैं, लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण, सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने जा रहे हैं, जहां यह आवश्यक है, जहां एक ओर आवश्यक है कि राजस्थान के गांवों में बसनेवाले लोगों के झगड़े निपटाने के लिए पंचायतों को अधिकार देवें, दूसरी ओर हमारे देश का सर्वोच्च श्रद्धा का पात्र हमारा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पवित्र संविधान है उसमें ऐसा प्रावधान है, उसमें लिखा हुआ है कि एक्जीक्युटिव और जुडिशियरी सेपरेट होंगीं। एक्जीक्युटिव का मतलब केवल आई. ए. एस और आर. ए. एस. ऑफिसर्स से ही नहीं किन्तु एक प्रशासन के कार्य को संचालन करने के लिए एक्जीक्युटिव बॉडी होती है वह गवर्नमेंट के अन्डर में रहती है जुडिशियरी कानून के अन्तर्गत बनी सर्वोच्च अदालतों के अन्तर्गत। इसलिए संविधान बनानेवालों ने प्रावधान रखा कि जुडिशियरी और एक्जीक्युटिव दोनों को सेपरेट रखना चाहिए। न्याय में एक्जीक्युटिव इन्फ्लुएन्स कर सकती है, करती है, डेमोक्रेटिक स्टेट में डेमोक्रेसी का शासन होता है। तीन खंभो में से उस डेमोक्रेसी में जुडिशियरी एक खम्भा होती है। इसलिए इसको सेपरेट लिस्ट में रखा गया है। आज पंचायतों की अपीलें एक इलेक्टेड बॉडी, चुने हुए पंचों के हाथ में देना चाहते हैं, एक अपीलेट बॉडी को देना है, माननीय मंत्री महोदय जो इस बिल को पायलेट कर रहे हैं उनको आज नहीं तो साल-छः महीनों में ही ये दिक्कतें आवेंगी, वे इसको महसूस करेंगे। आज राजस्थान में कोई भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि राजस्थान की पंचायतें बड़े २ गुटबन्दी का अखाड़ा बन चुकी हैं। सरपंच पंचों को नोटिस देते हैं, कितने अविश्वास के प्रस्ताव चल रहे हैं, आपस में गुटबन्दी, झगड़े, फिसाद संघर्ष हो रहे हैं, चुनावों को लेकर और दूसरी बातों को लेकर, चुनाव होते नहीं। माननीय मंत्री महोदय ने, स्वय ने, जब बिल कन्सीडरेशन की स्टेज़ पर था और इसको सलेक्ट कमेटी में भेजने का रेफरेन्स चल रहा था, उन्होंने स्वयं ने उस समय स्वीकार किया था कि पंचायतों में जातिवाद का बोलबाला है, दलबंदी है, संघर्ष है। ऐसी स्थिति में इन पंचायतों को फैसले करने के अधिकार, जुडिशियरी कोर्ट्स के अधिकार दे देते हैं और उनको उन प्रोसेस में से निकाल देते हैं जो कि जुडिशियरी की दृष्टि से आवश्यक हैं, वे समझते हैं कि उनके वे डिसिज़न्स रीफाइन होंगे, उनको जुडिशियल कलर मिल जाता है। लेकिन ऐसा लगता है कि राजस्थान की सरकार और गांधीवादी मंत्री महोदय, स्वयं गांधीवादी विचार-धारा लेकर कॉम्युनिस्टिक पेटर्न पर चल रहे हैं, चाहे कोऑपरेटिव फार्मिंग का सवाल हो, चाहे स्टेट ट्रेडिंग का सवाल हो, इतना ही नहीं अपीलेट बॉडी के लिए जुडिशियरी के ठीक तौर पर फन्कशन्स के माने में पवित्रतम भावना होनी चाहिये थी, जनता को सुविधापूर्ण होनी चाहिये थी, लेकिन नतीजा यह है कि आज इस ओर कोई ध्यान नहीं है। उन सारे स्थानों को जुडिशियरी से सम्बन्धित हैं, मैं बुरे से बुरा शब्द भी इस्तेमाल में लाऊं और कहूं कि हम जुडिशियरी को फ्रस्ट्रेट करते जा रहे हैं। लोगों के मन में पवित्र भाव जमने चाहिये थे कि यह जुडिशियरी है और इसमें न्याय मिलेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कानून में जो प्रावधान रखा है, न्याय का सवाल है, सिविल में मुन्सिफी और क्रिमिनल में मजिस्ट्रेट। मैं यह नहीं कहता कि आज के जमाने जितने में मजिस्ट्रेट हैं, वे सब ही करप्शन से दूर हैं, जहां फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैं वहां पक्षपात, भ्रष्टाचार नहीं होता। कुछ जगहों पर होता होगा, सबके लिए नहीं कहता, लेकिन यह बात सही है। उन अनुभवी माननीय सदस्यों की ओर से यहां पर बार बार आवाज

Page No.36

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उठाई गई है कि जुडिशियरी को एक्ज़ीक्युटिव से सेपरेट करना चाहिये, इसके लिए मुन्सिफ को पॉवर्स देने चाहिए । राजस्थान सरकार इसको महसूस करती है । मैं आपको बताऊं कि बापना कमेटी बनाई गई थी उसने भी यह रिपोर्ट दी कि जुडिशियरी को एक्जीक्युटिव से सेपरेट कर दिया जाय और हाई कोर्ट के अन्दर में एक्सक्ल्युवज़िली रख दिया जाय । जहां इसको सेपरेट करने जा रहे हैं और कमेटी की रिपोर्ट भी मौजूद है और अनुभव का आधार भी यही है, लेकिन फिर मैं नहीं समझ पाया कि इस प्रकार का प्रावधान यहां क्यों इसमें लाया गया है ? इस प्रकार की चीज़ कॉम्युनिस्टिक कन्ट्रीज़ में हो सकती है । वे इसी प्रकार हैं जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया । पेटर्न तो रखना डेमोक्रेसी का और काम करना कॉम्युनिस्टिक तरीके का । इससे तो हम डेमोक्रेसी को ही खतम करने जा रहे हैं, उसको डेमोक्रेसी के साथ जोड़ने जा रहे हैं । न्याय के मामले में अपीलेट कमेटी में वोट की कीमत आंकी जावेगी । लोग कहेंगे कि वोट देंगे कि हमारे मुकदमे का फैसला इस तरह से होना चाहिये । श्रद्धापूर्वक, अध्यक्ष महोदय, मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार के मामले खड़े होंगे । उदाहरण चाहें तो आपके सामने ही मौजूद हैं, कई मामले खड़े हुए हैं । म्युनिसिपैलिटी के और कई पंचायतों के मामले हैं । लोकल बॉडीज के मामलों में राजस्थान सरकार अधिकार देती है । सदन में कई मामले आते हैं । मंत्री महोदय ने इर्रेगुलेरिटी की है, इल्लीगेलिटी की है, मैं यह नहीं कहता कि उनके मन में कोई दुर्भावना हो, मैं यह भी नहीं कहता कि कानून न समझते हों, लेकिन कई बातें हैं उनको कई बार करना पड़ता है । कई बार इसलिये करना पड़ता है कि वोटर्स का प्रेशर होता है कि इस ऑर्डर को पास करना पड़ेगा । आपको चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ता है, मेम्बरों के हटाने को यदि कहीं से प्रेशर आ जाता है तो उसको स्वीकार करना पड़ता है, हालांकि मेम्बर्स के हटाने के बारे में प्रोविज़न्स हैं, कानून की धारायें हैं; उनका पालन नहीं, उनका किसी प्रकार से कन्सीडरेशन नहीं । इस प्रकार इल्लीगल, इर्रेगुलर ऑर्डर हमारे यहां के मंत्री महोदय कई बार दे देते हैं । इसका कारण यह है कि कई बार दबाव आ जाता है, इलेक्टर्स का प्रेशर होता है, कॉन्स्टीट्युएन्सी के लोगों का प्रेसर आ जाता है: सपोर्टर्स का प्रेशर आ जाता है, कभी कभी कलीग्स कमीग्ज का प्रेशर होता है, तो इस प्रकार की आज्ञायें जारी करनी पड़ती हैं । उदाहरण के तौर पर मैंने फुलेरा म्युनिसिपैलिटी का उदाहरण दिया था । फुलेरा म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हो जाने के बाद, मैं समझता हूं , कानून में जो प्रावधान है उसको माननीय मंत्री महोदय न समझते हों या कानूनी धाराओं को समझा नहीं, यह बात नहीं; वे इतनी बातें तो जरूर समझते हैं कि इलेक्टेड म्युनिसिपैलिटी को स्टेट गवर्नमेंट सेट-असाइड नहीं कर सकती है । इस बात को वे न समझते हों; यह बात मैं नहीं मानता । हो सकता है, उन्होंने ना-समझी से, केबीनेट कलीग के प्रेशर में आकर या कांग्रेसी वर्कर्स के कहने में आकर या मंडल कमेटी में उनके सपोर्टर्स होंगे उनके कहने के अनुसार उन्होंने यह आज्ञा जारी की है, ऐसा माना जा सकता है । वे इस आज्ञा से इन्कार नहीं

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कर सकते । उस दिन जरूर जोरों से कह गये थे बड़े जोर-शोर से, लेकिन वे समझते हैं ऐसी आज्ञा जारी हुई है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसका जबाब मैं दे दूंगा । I will give a reply to it.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रिप्लाई का सवाल नहीं, आपने यह कहा था कि इस प्रकार की आज्ञा जारी नहीं की । अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो ऑर्डर है वह मैं सदन की जानकारी के लिए सुना देता हूं :

"Copy of letter No. D. 160 82/F 1(b) (24)LSG/52, dated 2-2-60 from the Asstt. Secretary to the Government L. S. G. Department, Rajasthan, to the Director of Local Bodies, Rajasthan, Jaipur, endorsed to Collector, Jaipur.

Sub: Municipal General Election at Phulera.

Ref: Your memorandum No. Elec-/F.7 (DLB/56 dated 17-12-59.

Municipal Elections of Phulera having been held on 20-10-59 i.e. in accordance with the Elections Rules which ceased to be effective on 17-10-59 are invalid. I am, therefore, directed to say that fresh elections will be held according to new "Elections Rules" which are being framed under Rajasthan Municipal Act, 1959.

No. Dev. 1891

Date 20-2c60

Copy forwarded to the :

(1) Tehsildar, Phulera,

(2) Municipal Board, Phulera.

for information aud necessary action."

इस पर नगरपालिका फुलेरा की मोहर लगी हुई है । ऑर्डर जारी हो गये, असिस्टेंट सेक्रेटरी के दस्तखत हैं । इसके लिए कह सकते हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं, इसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन वे इस प्रकार का स्टेटमेंट दे नहीं सकते ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पहले भी यह बात आई थी । लेकिन इस समय अपीलेट ऑथोरिटी के कॉन्स्टीट्युशन के बारे में बातें हो रही हैं और आप जो बोल रहे हैं वह इर्रिलेवेन्ट है । आपने जो बातें कहीं उनका उत्तर मैं दे दूंगा, लेकिन आप जो कह रहे हैं उसकी रिलेवेन्सी इस समय नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आप इस बारे में आगे कुछ न कहें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आगे इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा और मैं कहना भी नहीं चाहता था, लेकिन मन्त्री महोदय सामने बैठे थे इसलिये यह प्रसंग याद आ गया ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं उसका जबाब दे दूंगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन यह कर रहा था कि इलेक्टेड पर्सनेलिटीज़ होती हैं, हाई ऑफिशियल्स

Page No.38

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पोस्ट ऑक्युपाई करते हैं, कानून की जानकारी होती है, प्रेक्टिसिंग लॉयर होते हैं, पंचायतों में शामिल होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ दबाव ऊपर से आ जाता है कि इस प्रकार से करना पड़ेगा वोटर्स का प्रेशर हो जाता है, केबीनेट कलीग्ज़ का प्रेशर आ जाता है, इसी एनोलोजी के आधार पर इन पंचायतों में जहां हम अपीलेट कमेटी बना रहे हैं उन पर भी इस प्रकार का दबाव पड़ सकता है। पंचायत समिति अपने निर्वाचन के लिये उस कॉन्स्टीट्युएन्सी पर निर्भर हैं, वैसी हालत में यदि इलेक्टोरेट्स के यदि किसी प्रकार के मुकदमे आते हैं तो कभी भी इम्पार्शियल नहीं हो सकते, निष्पक्ष होकर वे न्याय नहीं कर सकते, फैसला नहीं कर सकेंगे। इसी बात को ध्यान में रख कर हमारे यहां यह प्रावधान किया गया था कि हमारे यहां न्याय पंचायतों की जो अपीलें हैं वे अपीलेट कमेटी को जानी चाहिये। इस प्रावधान का मैं घोर विरोध करता हूं। आप इसको प्रतिष्ठा का सवाल मत बनाइये। राजस्थान की पंचायतों में जहां न्याय देने का सवाल है, इस तरह से खिलवाड़ करना अच्छा नहीं होगा। या तो मन्त्री महोदय अपना संशोधन वापिस ले लें और जिस प्रकार की धारा पहले रखी गई है उसी को स्वीकार कर लें, न्याय पंचायत के सिविल केसेज़ तो मुन्सिफ के पास और क्रिमिनल केसेज़ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास जायें। जो ओरीजिनल बिल में हमने प्रोविजन रखा था उसी को सदन स्वीकार कर ले, इतना निवेदन करता हुआ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : On a point of information, Sir; अध्यक्ष महोदय, जो अमेंडमेंट सर्कुलेट हुआ है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक मेम्बर लॉयर होना जरूरी है जैसा कि मन्त्री महोदय ने कहा था तो क्या इस प्रकार का सेपरेट अमेंडमेंट उन्होंने पढ़ा है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मंत्री): दूसरे क्लॉज़ में पढ़ा है।

श्री श्रीभानसिंह : इसमें सर्कुलेट नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : दूसरी बार पढ़ा नहीं।

श्री श्रीभानसिंह : इसका क्लेरिफिकेशन हो जाय।

श्री अध्यक्ष : वे इसको मूव नहीं कर रहे हैं।

श्री श्रीभानसिंह : पढ़ा तो जरूर था ?

श्री अध्यक्ष : पढ़ा तो था।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले यह जो अमेंडमेंट वित्त मंत्री महोदय ने पेश किया है उसका विरोध करता हूं। सबसे पहले मैं आपका ध्यान कॉन्स्टीट्यूशनल पॉइन्ट की ओर आकर्षित करता हूं। जो अमेंडमेंट होते हैं वे इस बिल के स्कोप के अन्दर होने चाहिये: "Conditions of admissibility of amendment...

(i) an amendment shall be within the Scope of the Bill and relevant to

(श्री पी. के. चौधरी)

the subject matter of the Clause to which it relates."

Now what is the scope of the Bill ? It is:--

"The Bill seeks to make a number of amendments in the Rajasthan Panchayat Act, 1953. They belong to two categories.

The first category of amendments relates to the abolition of the institution of Tehsil Panchayats and the constitution of Nyaya Panchayats for the administration of Civil and criminal justice, as decided upon by Government."

So this amendment is against the scope of the Bill. The scope of the Bill is to abolish Tehsil Panchayat s and to form Nyaya Panchayats. That is one thing. The other thing is:—

"It has also been provided that appeals shall lie from the decrees of a Nyaya Panchayat in Civil suits to the Munsif and from the sentences or Orders of discharge in Criminal cases to the First Class Magistrate. Revisions shall continue to lie to the District & Sessions Judge."

These are the Objects and Reasons of this Bill and the scope of any amendment should not be contrary to these Objects and Reasons. So far as I remember, while replying to the Panchayat Samitis and Zila Parishads Bill, the Chief Minister gave a definite assurance that when the people objected to Tehsil Panchayats they will be abolished. So in this amending Bill the main purpose is to separate the judicial functions of the Panchayat Samitis from their executiev functions.

यह जो अपील कमेटी का प्रावधान लाया गया है जुडिशियल फंक्शन्स और एक्जीक्युटिव फंक्शन्स दोनों पार्ट्स को कम्बाइन्ड किया गया है। बिल का जो ऑब्जेक्ट था, to separate Judicial functions from the executive functions अपील कमेटी हुई है, Appeal Committes is like going from frying pan to fire.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): First, this point has to be decided by the House whether the amendment is within or beyond the scope of the Bill.

श्री पी० के० चौधरी : It is beyond the Scope.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : If it is beyond the scope of the Bill the amendment cannot be moved and Hon'ble member will witedraw it, but if it is within the scope then –

श्री पी० के० चौधरी : I am still explaining why it is outside the scope of the Bill. मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि within the scope of the Bill यह; नहीं आता है; scope of the Bill was to separate judicial functions of the Panchayat and Tehsil Pancha-

(श्री पी. के. चौधरी)

yat from their executive functions. अब आपने अपील कमेटी बैठाई है । यह अपील कमेटी सरपंचों की बनी है । अब उस अपील कमेटी को आप जुडिशियल फंक्शन देने जा रहे हैं । इसका मतलब पंचायत के सरपंच को जो उस पंचायत के सरपंच के होते हुए इन ए कैपेसिटी आप एक मेम्बर हैं तो वहां जाकर वह जुडिशियल पॉवर भी ले लेता है और एक्ज़ीक्युटिव पॉवर तो है ही तो वहां जाकर फिर एग्ज़ीक्यूटिव और जुडिशियरी फंक्शन दोनों एक हो जाते हैं । जब आप पहले तो जुडिशियरी और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉवर अलग करना चाहते थे और इसलिये तहसील पंचायत का प्रावधान किया, अब उसको हटा कर वापिस आप दोनों पॉवर एक जगह लाना चाहते हैं तो इस तरह मैं समझता हूं कि आपका अमेंडमेंट जो है बियोन्ड दी स्कोप ऑफ दी बिल है । मैं इस पर आपका रूलिंग चाहूंगा और माननीय मन्त्री महोदय से भी निवेदन करूंगा कि क्योंकि इसके स्कोप में नहीं है यह काम करना इसलिये इसको आप विथ्ड्रॉ कर लें ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय....

(श्री दामोदरलाल, श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता एवं श्री हरिभाऊ उपाध्याय को परस्पर बातें करते देखकर)

श्री अध्यक्ष : आपको कुछ कहना है इसके बारे में ? वह तो ऑब्जेक्शन है, Any one of you can reply.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें लिखा है :

" The first category of amendments relates to the abolition of the institution of Tehsil Panchayats and the constitution of Nyaya Panchayats for the administration of Civil and Criminal Justice, as decided upon by Government. "

and again :—

" It has also been provided that appeals shall lie from the decrees of a Nyaya Panchayat in Civil suits to the Munsif and from the sentences or Orders of discharge in Criminal cases to the First Class Magistrate. Revisions shall continue to lie to the District and Session's Judge. " यह स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और रीज़न्स मुलाहिजा करिये । इसके अगेन्स्ट या कॉन्ट्रेरी आप जाकर इस प्रकार का प्रोविज़न करेंगे तो यह बियोन्ड जाना होगा और इसके भी खिलाफ होगा। इसलिये निवेदन करूंगा कि जो इस प्रकार का संशोधन पेश किया है उसे इस आधार पर भी डिसअलाऊ कर दिया जाना चाहिये ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : इसके अलावा एक प्रश्न और भी पैदा होता है कि जिस समय यह बिल सदन में प्रस्तुत किया गया उस समय सदन ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, पर इसके फर्स्ट रीडिंग में ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स के अन्दर मुख्य रूप से बात सदन में रखी उसको स्वीकार किया था । अब इसे अगर सदन स्वीकार करने की स्थिति में आता है तो जिस सिद्धान्त को सदन में इस बिल के सम्बन्ध में स्वीकार किया था उस सिद्धान्त के विपरीत अब अमेंडमेंट के द्वारा अपने निर्णय को वापिस

(श्री भैरोंसिंह)

बदलने की कोई कार्यवाही कर रहे हैं जो नियम के विपरीत है । यह किसी तरह से नियमानुकूल और न्यायसंगत नहीं है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रावधान है जिसके बारे में चर्चा चल रही है, यह सब न्याय पंचायत के गठन के बारे में है। इससे पहले भी पंचायतों की अपील तहसील पंचायत में होती थी । अब हमने सिर्फ इतना किया है कि इस तहसील पंचायत को हटा कर उसकी जगह एक न्याय समिति कायम करने का संशोधन रखा है । अब दो रास्ते हैं; या तो मुन्सिफ और मजिस्ट्रेट की बात मानली जाय, नहीं तो दूसरा रास्ता यह है कि उनके पास अपील नहीं करके जो अपील समिति गठित की जावे उसके पास अपील की जावे । अब आपत्ति इस बात की है कि इसमें पंचायत के पंच और सरपंच होंगे । तो न्याय समिति की ओर से यह बॉडी बनाई जा रही है । प्योरली तहसील पंचायत में और इसमें कोई फर्क नहीं है । पहले के जो इलेक्टर्स थे वे ही इसमें भी हैं ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : The Question is whether this is within the scope or beyond the scope of the Bill?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं उसी के लिये अर्ज कर रहा हूं । इसके इलेक्टर्स पंच, सरपंच को यह ऑथोरिटी ऑलरेडी है । पहले हम चाहते थे कि ऐसी एक समिति को अख्तियारात देने के बजाय मुन्सिफ और, मजिस्ट्रेट को ही दे देते । तो अब उसके बजाय आप उसको भी नहीं चाहते और तहसील पंचायत को भी नहीं चाहते तो the House can do it. There is nothing against it. अब हाउस अगर चाहे तो इसको ड्रॉप कर दे । पर हम जो यह अमेन्ड कर रहे हैं वह वैसी ही तहसील पंचायत सरीखी बॉडी होगी ।

श्री पी० के० चौधरी : The House can do anything, but you cannot move an amendment which is beyond the scope of the Bill. To have a Nyaya Panchayat, that is the scope of the Bill. But you are bringing an amendment which is against this object, and you are forming Appeal Committees.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसके खिलाफ कतई नहीं है । अपीलेट ऑथोरिटी का नाम केवल बदलना चाहते हैं ।

श्री पी० के० चौधरी : पर यह इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और रीज़न्स में नहीं है । स्कोप में नहीं है इस बिल के ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : है । तहसील पंचायत के बजाय हम तो अपीलेट कमेटी बना रहे हैं, नाम बदल रहे हैं । वोटर्स चेन्ज नहीं हो रहे हैं, वे ही रहेंगे । There is no difference in that. इसलिये कहूंगा कि बिल के स्कोप में यह बिल्कुल है ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि हम अमेंडमेंट इस तरह से कर सकते हैं । वह नहीं कर सकते । स्कोप ऑफ बिल यह है कि आप यह कर सकते हैं कि मुंसिफ या मजिस्ट्रेट

(श्री श्रीमानसिंह)

की जगह सैकन्ड क्लास या थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट या मुंसिफ कर सकते हैं। इस मुंसिफ को, तो स्ट्रेच कर सकते हैं और कह सकते हैं कि इसकी अपील दूसरे सिविल जज को रख देते हैं, यह कर सकते हैं। यह विदिन लाइन पैटर्न आप सैट कर दीजिये। पर इसमें से जुडिशियरी को हटा कर नॉन जुडिशियरी बॉडी को चाहें, वह फिर इलेक्टेड हो या नॉन इलेक्टेड हो, किसी की हो, उसे आप नहीं दे सकते। That goes beyond the scope, It is not a matter of electorate. इसमें इलेक्टर्स वे ही हैं, पंच–सरपंच। आप तहसील पंचायत रख लेते। बेशक, जरूर आप रख सकते थे। पर यह अमेन्डिंग बिल है तहसील पंचायत का। Therefore the House can have the opinion either to have the Tehsil Panchayats or to abolish them but the House cannot say that Panchayat Samitis should be converted in to judicial bodies. पर जो अपीलेट ऑथोरिटी इस तरह की बनाने की बात न ओरीजिनल बिल में है न उसमें है, न अमेन्डिंग बिल में है और न स्टेटमेंट ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स और रीज़न्स में है। जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि उससे body of the bill must conform to it. आपका यह अमेंडमेंट बॉडी ऑफ दी बिल से कनफोर्म नहीं करता है। That should be taken as beyond the scope. तो अमेंडमेंट के रूल्स गवर्नमेंट पर भी लागू होते हैं और सदस्यों पर भी लागू होते हैं। तो वे रूल्स सब पर बराबर लागू किये जावें।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : मजिस्ट्रेट का भी इलेक्शन हो सकता है, मुंसिफ भी इलेक्टेड हो सकता है, क्या आप यह सिद्धान्त स्थिर करना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय, पंचायतों को ही अपीलेट ऑथोरिटी कर दिया जाना उचित नहीं है।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : यह कहां लिखा है कि इलेक्ट करेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री): यह 'बी' में प्रोवाइडेड है। मैं पढ़ दूं :

"and shall consist of five members elected by the Panchayat Samiti in the prescribed manner."

It is very clarly laid down here that members of the Panchayat Samiti will not be the Appeal Committee, but it will only elect the Appeal Committee. और पंचायत समिति तो इलेक्टेड हैं। इसलिये किसी तरह की दिक्कत नहीं है।

श्री मदनसिंह : यानि छोटे मजिस्ट्रेटों का इलेक्शन हो रहा है।

श्री परसराम मदेरणा (आसीन) : अपीलेट बॉडी का हो रहा है।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : अभी मन्त्री महोदय ने यह फरमाया कि पंचायत समिति के मेम्बर इलेक्शन करने वाले होंगे लेकिन साथ जो पंचायत समिति के मेम्बर होंगे वे न्याय पंचायत की सदस्यता के लिए खड़े नहीं हो सकेंगे। तो जब अपीलेट कमेटी बनेगी तो वे खड़े हो सकते हैं। They may

Page No.43

(श्री शंकरलाल)

be members who may be candidates for the Appeal Committee. इसके अन्दर कोई बार नहीं है। इसलिए वह तो एम्बी-गुइटी है ही।

श्री श्रीभानसिंह : जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि question of election does not arise. The Govt. decision in the Objects and Reasons was that the Appellate Authority shall be a non-elected body. यह आपके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में मानते हैं। अब इलेक्शन से आयेंगे तो वे तो आते नहीं हैं। नॉन इलेक्टेड बॉडी को चूज़ किया है, उसमें आप चाहें तो ग्रेडेशन कर सकते हैं; but you cannot at this stage change and make the Appellate Authority an elected body. तो यह तो दोनों कॉन्ट्रेडिक्टरी हो गया स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स से। The decision was for non-elected and now the question of making the appellate authority an elected body does not arise.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री): मैं समझता हूं कि यह स्कोप की बात कही जाती है। यह स्कोप के मीनिंग को गलत समझा गया है। हमने अमेंडमेंट यह रखा है, ऑलरेडी पंचायत समितियां हैं वह अपीलेट बॉडी दूसरों को कान्स्टीट्यूट करना चाहते थे उसको हम चेन्ज करना चाहते हैं। यह हमारे स्कोप में है और उसके लिए दूसरा अमेंडमेंट रखा है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): You have not allowed an amendment which is against the scope of the bill.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I am telling you...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़ !!

श्री शंकरलाल : यह स्पष्टीकरण तो हो जाये ....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़ !! आपत्ति यह उठाई गई है कि जो अमेंडमेंट माननीय मन्त्री महोदय ने रखा है वह बिल के स्कोप के बाहर है और उसके लिए यह कहा गया है कि क्योंकि इसमें अपील का प्रोवीज़न मजिस्ट्रेट के लिए रखा गया है, न कि इलेक्टेड बॉडी के लिए। अब उसको हटा कर इलेक्टेड बॉडी नहीं रखा जा सकता, लेकिन मेरे ख्याल से स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स का और स्कोप ऑफ बिल का इतना सीमित विचार नहीं रख सकते। अगर बिल में प्रोवीज़न है तो वह अपील का सिस्टम क्या होगा, क्या नहीं होगा, वह अमेंडमेंट के द्वारा पेश किया जा सकता है और यही मन्त्री महोदय ने किया है। इसलिए I reject the objection. It is ruled out of order and I will request the Hon'ble Member to proceed.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): But that will be a non-elected body.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा):

(श्री पी. के. चौधरी)

अध्यक्ष महोदय, मेरे ऑब्जेक्शन को तो रूल आउट कर दिया है, लेकिन उसका नतीजा यही होगा कि यह जो अमेन्डमेन्ट है इसके जरिये जिस ऑब्जेक्ट के लिए इस सारे बिल को लाया गया है कि हम जुडिशियरी से एग्ज़ीक्यूटिव को अलग करना चाहते हैं इस अमेन्डिंग बिल के द्वारा, तो यह कहीं नहीं कहा गया है कि पंचायत समिति का मेम्बर उसमें इलेक्ट नहीं हो सकता। प्रेस्काइब्ड मेनर कहा गया है। अब वह प्रेस्काइब्ड मेनर क्या होंगे, यह नहीं कह सकते। लेकिन उसमें कोई पाबन्दी नहीं है कि पंचायत समिति का मेम्बर अपीलेट बॉडी में नहीं आ सकता है, आ सकता है। दूसरे यह नहीं रखा गया है कि पंचायतों के पंच को उसमें नहीं भेजा जाये। पहले जो तहसील पंचायत का इन्सटीट्यूशन था उसमें यही था कि उसके जो पंच होते थे वे किसी पंचायत के पंच नहीं होते थे, सरपंच नहीं होते थे। वह बिल्कुल अलग हुआ करते थे। दूसरी बात तहसील पंचायत का जो इलेक्शन होता था उसका जो इलेक्टोरल कॉलेज होता था it was much bigger than the elctorate of these proposed appellate committee. आपकी अपीलेट कमेटी का इलेक्टोरल कॉलेज होगा वह पंचायत समिति का समझ लीजिए; २०–२५ सरपंच और करीब ११२ कोऑप्टेड मेम्बर्स यानि कोऑप्टेड मेम्बर्स नोमीनेटेड लोग या सरपंच लोग यानि २०–२५ आदमी जाकर अपीलेट कमेटी के ५ मेम्बरों का चुनाव करेंगे जब कि तहसील पंचायत के सरपंच का चुनाव होता था तो उसमें एक तहसील के २०० या २५० पंच मिल कर उसका चुनाव करते थे। उस समय तहसील पंचायत के सरपंच का election होता था या पंच का चुनाव होता था तो it was from a bigger electoral college. हालांकि उनका इलेक्शन इनडाइरेक्ट इलेक्शन से होता था। अब यहां पर जाकर उस इलेक्टोरल कॉलेज को छोटा बना दिया, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया। पहले जो नम्बर २०० का था वह अब ३० कर दिया यानि उसको ११४ से भी कम कर दिया है। तो उसका असर यह होगा कि अपीलेट कमेटी जो बनेगी वह इलेक्टेड होगी। जहां २०० आदमी या २५० आदमी के वोट से चुना जाता था वह २०–२५ सरपंचों के वोट से चुना जायेगा।

दूसरी बात यह है कि अगर अपीलेट कमेटी को इलेक्ट करने के अधिकार आप वही पंचायत समिति के मेम्बरों को देते हैं तो वही पंचायत समिति जिसके पास कि सारी एग्ज़ीक्यूटिव पॉवर्स हैं, पंचायत समिति सारे डेवलपमेंट वर्क्स करती है; अब उसके बाद में जो पंचायतों की जुडिशियल अपील है उनको सुनने के लिए भी रिप्रेजेन्टेटिव ऑफ दी पंचायत समिति बिल गो। तो जो आप जुडिशरी से एग्ज़ीक्यूटिव को अलग करने की बात कहते हैं तो इस तरह से तो दोनों को एक किया जाता है; बल्कि मैं समझता हूं कि तहसील पंचायत का जो इन्सटीट्यूशन था वह इस अपीलेट कमेटी से अच्छा था। अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब है 'from frying pan to fire' यानि मछली को जब तलते हैं तो वह गर्मी से बचने के लिए आग में कूद जाती है तो वही हालत हुई कि हीट से बचने के लिए वह तेल में से आग में गिर गई। The Position will be worse than it was in the Tehsil Panchayat even. इसलिए अध्यक्ष महोदय,

(श्री पी. के. चौधरी)

मैं समझता हूं कि जो बलवंतराय मेहता कमेटी थी उसमें भी इस बात का जिक्र किया था कि जो अपीलेट बॉडी होगी वह इलेक्टेड होगी, ऐसी सिफारिश नहीं थी। उनकी सिफारिश तो इतनी थी कि पंचायत लेवल पर न्याय पंचायतें होंगी। वह इलेक्टेड आदमियों को लेकर पैनल में से गवर्नमेंट नोमीनेट करेगी। यहां हमने तो उससे भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन रखा है। यहां तो डाइरेक्टली पंचायत समितियों को अधिकार दिया है। उसके आगे जाकर अपीलेट बॉडी है उसको भी इलेक्टेड रखा है जो कि मेहता कमेटी की सिफारिश के खिलाफ है। इसलिए मैं समझता हूं कि अपीलेट कमेटी का प्रावधान रखा है और जिसके लिए यह बिल लाये थे कि एग्ज़ीक्यूटिव को जुडिशियरी से अलग करने का है वह पर्पज़ हमारा पूरा नहीं हो रहा है! अगर आप अपीलेट कमेटी को इलेक्टेड रखेंगे तो हमारा सारा का सारा पर्पज़ डिफीट हो जायेगा और जिस दलबन्दी को गांवों में हम खत्म करना चाहते थे उसको फिर बढ़ावा देने जा रहे हैं, by a simple amendment by a simple Minister.

श्री अध्यक्ष : क्या ऐसा प्रावधान किया जा सकता है कि पंचायत समिति के मेम्बर अपीलेट कमेटी के मेम्बर नहीं बन सकते?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री): ऐसा प्रावधान कर दिया गया है, ऑलरेडी। यह सब-क्लॉज़ (४) में दिया गया है "The provisions of sub-Sections (3), (4), (5) and (6) of section 27 C shall apply." यह इसमें एप्लाई करेगा और इसके अनुसार वे इसके सदस्य नहीं हो सकेंगे।

१ म. प.

यह क्लॉज ३८ के सब क्लॉज (४) में दे रखा है। ३० सी का प्रोवीजन एप्लाई करेगा। इसलिए वह मेम्बर नहीं हो सकता है।

श्री तेजमल बापना (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ५७ में जिस तरमीम का जो सुझाव मन्त्री महोदय ने क्लॉज ३८ के अन्तर्गत रखा है, मेरे ख्याल से जो भावना इस अमेंडमेंट बिल के साथ बतलाई गई है उससे हम कुछ दूर से जा रहे हैं। उसमें प्रोवीजन रखा है कि न्याय का जो उसूल है, न्याय का रास्ता किसी से प्रभावित नहीं हो। उसी दृष्टि को रख कर हमने न्याय पंचायत कायम करके और उनकी अपील मजिस्ट्रेट और सिविल जज के पास रखने का प्रावधान रखा था। इसी दृष्टि में रख कर तहसील पंचायत को हमने अलग करके शुरू में प्रावधान रखा था। अब वापिस पंचायत समिति के द्वारा चुनी हुई अपीलेट बॉडी कायम करने का यह उसूल मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

आज पंचायत समिति और हर पंचायत की वास्तविक हालात को देखा जाय तो दो राय नहीं हो सकती है कि आज जितना उच्चपन होना चाहिए, जितना मोरल स्टेन्डर्ड उनका होना चाहिए वह स्टेन्डर्ड आज नहीं है, और बहुत सी पंचायतें और पंचायत समितियां वास्तव में पार्टीबन्दी और गुटबन्दी का अखाड़ा बनी हुई हैं।

(श्री तेजमल बापना)

वास्तव में परिस्थिति क्या है कि हम आगे बढ़ रहे हैं लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण में। हम आगे बढ़ रहे हैं यहां के काम को बढ़ाने में, किसी तरह से साधन बढ़ाने में, पैदाइश के तरीके को बढ़ाने में। लेकिन न्याय का जहां तक प्रश्न है बड़े बड़े हिन्दुस्तान के जुडीशियरी के माइन्ड हैं उनका कहना है, आज मद्रास में भी पंचायतें हैं, दूसरी जगह भी पंचायतें हैं, तो बड़े बड़े जुडिशियल माइन्ड्स का यह ख्याल है और न्याय के जो अधिकार हैं उनको पंचायतों को सौंपने का कतई विरोध करते हैं। यह हम देखते हैं, रात दिन जो फैसले होते हैं वह वास्तव में न्याय के अनुसार नहीं होते हैं, न कानून के अनुसार होते हैं। वे कुछ पक्षपात लिये हुए जरूर होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जो मन्त्री महोदय हैं उन्होंने सुझाव दिया है ऐसा प्रावधान शायद वे रख रहे हैं कि किसी लॉ ग्रेजुएट को अपीलेट बॉडी में रख देंगे, तो उसका मैं एक उदाहरण देता हूं कि हमारे यहां आसींद तहसील पंचायत है और एक लॉ ग्रेजुएट जो कि एडवोकेट हैं वह उसके बहुत वर्षों से सरपंच हैं। उनके सामने एक केस पेश हुआ, मनी सूट था, और ५ साल के बाद में वह बकायत निकाली और उसका दावा पेश हुआ। पंचायत ने उसके दावे को खारिज कर दिया तो तहसील पंचायत में उसकी अपील हुई। अपील में एडवोकेट होते हुए वे जानते थे कि दरअसल में तीन साल की मयाद के बाद का कोई केस पंचायत नहीं ले सकती है। उनकी यह राय भी थी कि वह केस बेमयाद है, दावा पेश हुआ है। लेकिन कुछ पंचों ने कहा कि डिग्री होनी चाहिए। मेजोरिटी पंचों की राय थी कि डिग्री होनी चाहिए तो उन्होंने भी कहा कि डिग्री कर दें। यह एक मखौल है न्याय के साथ और कानून के साथ। आज उस परिस्थिति में, एक पंचायत की परिस्थिति में बैठ कर लॉ ग्रेजुएट भी कितना प्रभावित हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि हम न्याय का आदर करना चाहते हैं, न्याय की भावना लोगों में प्रसारित करना चाहते हैं, वस्तुस्थिति में न्याय की भावना लोगों के अन्दर होनी चाहिए कि वहां पर न्याय मिलेगा। बहुत से जुडिशियल के फैसले वहां पर किस प्रकार से हो जाते हैं उसके लिए निश्चित लोगों के दिलों में आदर होना चाहिए। वहां से न्याय मिलने की उम्मीद हो।

ऐसी परिस्थति में पंचायत समिति द्वारा चुनी हुई अपीलेट बॉडी को रखेंगे तो वहां पर गुट्टबन्दी, फिरकापरस्ती और पार्टीबन्दी का गढ़ हो जायगा। तो मेरा सुझाव है इसके अन्दर कि शुरू का जो प्रावधान है कि सिविल के मामले में मुन्सिफ और सिविल जज के पास अपील होगी और जो फौजदारी के मामले हैं उनकी अपील फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या एडीशनल मजिस्ट्रेट के वहां तक होगी। अपील का उन्हें अधिकार दे रहे हैं। पंचायत और न्याय पंचायत के प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था कर रहे हैं? १०० की मिकदार दी हुई है। अब १००) रु० की मिकदार को बढ़ा कर २५०)रु० की मिकदार दे रहे हैं। २५०)रु० की बहुत बड़ी तादाद होती है न्याय के मायने में। इसके साथ में हमने पंचायतों को रेवेन्यू के अधिकार दिये हैं। किसी एक पंचायत के पास मामला गया। पटवारी ने लिख दिया कि सैटलमेंट के अन्दर किसी एक व्यक्ति विशेष के नाम पट्टा

(श्री तेजमल बापना)

जारी है, लेकिन चूंकि अभी कब्जा बी का है इसलिए बी के नाम कर दी जाय। उन्होंने यह नहीं देखा कि कब्जा सेटिलमेंट में किस का है, हासिल कौन दे रहा है। लेकिन पंचायतों के अधिकार में है, इसलिए बिना पूछ-ताछ किये हुए कर दिया। रात-दिन हम देखते हैं कि न्याय के अनुसार क्या बात होनी चाहिए उसके बिल्कुल विपरीत आज पंचायतों के फैसले होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में यदि पंचायत समिति को अधिकार दिये गये चुनाव करके अपीलेट बॉडी बनाने के तो वह मेरे ख्याल से न्याय संगत नहीं है। जो मूल बिल हम पेश कर रहे हैं उसकी भावना के विपरीत है। इसलिए जो शुरू का प्रावधान है उसके अनुसार रखा जाना उचित होगा।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ३८ के संबंध में जो अमेंडमेंट मूव किया है मंत्री महोदय ने उसका मैं विरोध करता हूं। वैसे, अध्यक्ष महोदय, बात कहने की है कि क्या न्याय होना चाहिए और क्या न्याय इस गवर्नमेंट में होता है, वह सब जानते हैं। लेकिन मजिस्ट्रेट लेवल की कोर्टस थीं वहां कम से कम जनता समझती है कि अपील जहां करते हैं वहां पर न्याय मिलता है, ऐसा विश्वास है जनता का। मैं समझता हूं कि यदि न्याय को वोट पर रख दिया तो जनता का विश्वास टूट जायगा। एपीलेट कोर्ट्स हैं; हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आदि जितनी कोर्ट्स हैं वहां पर अपील सुनने पर कोई न कोई गौर दिया जाता है। अब अपील सुनने की बॉडी इलेक्टेड रख दी तो निश्चित है कि वहां पर न्याय नहीं हो सकता है। मैं समझता हूं कि न्याय पंचायत का बिल डिस्कशन के लिए शुरूआत में रखा गया था। तो इस चीज़ पर काफी डिस्कशन हुआ था। अगर अपील सुनने वाली बॉडी को इलेक्शन पर रख दिया तो जो इलेक्ट करेंगे उनके वे बिल्कुल नीचे रहेंगीं। आज भी जो एम.एल.एज़. जिन कॉन्स्टीटुएन्सीज़ से चुने हुए हैं तो हमारी जिम्मेवारी हो जाती है कि जिन्होंने चुनाव में खड़ा किया है उनकी हर चीज़ को स्वीकार करें। अगर न्याय पंचायत समिति से इलेक्टेड है तो निश्चित रूप से वहां पर जो आदमी पंचायत समिति से इलेक्टेड होकर जायेंगे वे पंचायत समितियों के आधीन होंगे क्योंकि वे जानते हैं कि हमने इन लोगों से वोट प्राप्त किया है। मैं समझता हूं कि यहां तक सदस्यों ने कहा कि मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट्स भी खाली नहीं हैं सिफारिश से तो जो इलेक्टेड हैं वे सिफारिश नहीं मानेंगी, यह कैसे कह सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि वहां पर न्याय नहीं होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी चीज़ थी। मैंने पहले भी अर्ज किया था। उस वक्त मिनिस्टर महोदय ने गर्म होकर कहा था कि हमारे हाथ में अधिकार है। हम मानते हैं कि अधिकार में अन्याय करने का भी अधिकार है और न्याय करने का भी अधिकार है। कम से कम जनता से नहीं कहना चाहिए कि न्याय के लिए कोई चीज़ कर रहे हैं। यह न्याय नहीं हो सकता। जहां इलेक्शन होगा मैंने कहा आगे जाकर स्टेज आ सकती है कि उसका इलेक्शन नहीं करे। अपील मजिस्ट्रेट भी सुन सकता था और इस बिल के अन्दर भी अपील मजिस्ट्रेट सुनेगा। मजिस्ट्रेट के पॉवर का चुनाव हो रहा है न कि व्यक्ति का। वहां

(श्री मदनसिंह)

जाकर क्या पॉवर इस्तेमाल करते हैं ! इसलिए उस पॉवर का इलेक्शन हो रहा है। आगे जाकर सरकार बढ़ा सकती है कि मजिस्ट्रेट भी इलेक्टेड होना चाहिए। तो न्याय जहां होगा तो हाई कोर्ट के जज भी इलेक्टेड होने चाहिए, कोर्ट्स के जज भी इलेक्टेड होने चाहिए। छोटी मजिस्ट्रेट के पॉवर की बॉडी है उसका इलेक्शन हो सकता है तो फिर बड़ी का क्यों नहीं हो सकता है ? उसका कारण समझायें तो हम मान सकते हैं। न्याय होगा यह ठीक बात है, लेकिन उस प्रिन्सीपल का मैं विरोध करता हूं क्योंकि आगे जाकर विधान सभा के सदस्य यह प्रस्ताव रख सकते हैं या कोई धारा रख सकते हैं कि पूरे मजिस्ट्रेट्स का चुनाव होना चाहिए। तो आपके पास कौनसा प्रिन्सीपल है ? आप मुझे वापिस यही कह सकते हैं कि मजिस्ट्रेट का चुनाव नहीं हो सकता। यह छोटी पॉवर है, वह बड़ी पॉवर है। असल में मजिस्ट्रेट की पॉवर का चुनाव हो रहा है। न्याय के लिये रखा जाय तो न्याय नहीं हो सकता। जैसे माननीय सतीशजी ने कहा था कि जुडिशियरी के सेपरेट नहीं होने से बेजा असर पड़ेगा। मैं निश्चित रूप से चाहूंगा कि मेरी पार्टी के फेवर में फैसला हो। अपील ऐसी चीज है जिसके बारे में नागरिक चाहते हैं कि ऊंचे सोचनेवाले आदमी इसके लिये हों जो छानबीन कर सकें और कानून के पूरी तरह से जानकार लोग रखे जायं। मैं समझता हूं, कल न्याय पंचायतें कायम हो जायेंगी तो अगले इलेक्शन तक भी वे अपीलों की सुनवाई नहीं करेंगे। वे सुनवाई करेंगे तब जब कि चुनाव का मौका आयेगा। उस समय वे लोग यह कहेंगे कि तुम हमको वोट दोगे तो हम तुम्हारी तरफ फैसला करेंगे। यदि ऐसी बात है तो यह राजनीति की चीज बन जायगी।

इससे गांवों में रहने वाले लोगों और शहर में रहने वाले लोगों के लिये भी दो तरह की बातें हो जायेंगी। शहर में रहनेवाले लोग तो मजिस्ट्रेट के पास जाकर न्याय प्राप्त करेंगे और गांव के लोगों को न्याय पंचायतों के पास जाना पड़ेगा। जयपुर में जो नागरिक रहते हैं उनका फैसला मजिस्ट्रेट करेंगे और दांता में जो लोग रहते हैं उनको पंचायत के पास जाना पड़ेगा। पॉवर एकसी हैं लेकिन एक के लिये इलेक्टेड लोग हैं और दूसरे के लिये मजिस्ट्रेट हैं। यह प्रिन्सिपल ही गलत है। यदि जबान की पाबन्दी है तो उस तरह से काम करना चाहिये। इस तरह के अधिकार आप देंगे तो गांवों में धांधली चलेगी, मिनिस्टरों के टेलीफोन और मेसेन्जर्स जायेंगे। आपके पास बहुत पॉवर है। आप राजस्थान को इधर से उधर कर सकते हैं, राजस्थान को डुबा भी सकते हैं। यह भी पॉवर आपके पास है, लेकिन अभी उसको सीमित ही रखें, आगे काम में लें। इस प्रकार की चीज गलत होगी। इसको देख कर लोग हंसेंगे, दूसरे प्रान्त के लोग हंसेंगे, दिमाग रखनेवाले लोग हंसेंगे। मजिस्ट्रेट्स क्या समझेंगे, क्या वे काबिल नहीं थे जिसके कारण उनमें अविश्वास किया जाता है। जज वगैरह लोगों के दिमाग में भी यह बात आयेगी कि हम में विश्वास नहीं है।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री महोदय ने अमेंडमेंट किया, उससे पहले जो असली बिल में रखा हुआ था मुंसिफ मजिस्ट्रेट अपील सुनेंगे

Page No.49

(श्री हीराभाई)

उसका विरोध सरकार ने किया है, मैं भी उसका विरोध करता हूं । पहले तहसील पंचायत थी वह ठीक थी । और कोई बॉडी बनाई जाय उससे न्याय मिल सके । यहां पर यह भी सवाल उठा कि मजिस्ट्रेट लोग भ्रष्टाचार नहीं करते हैं लेकिन कई मजिस्ट्रेटों के पास घी के डिब्बे जाते देखे हैं...

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : वे तेल में भी पक्षपात करेंगे, यदि उनके पास घी नहीं जायगा तो ।

श्री हीराभाई : इस जमाने में पक्षपात ही पक्षपात है ! मजिस्ट्रेट अपील सुनेंगे, पंचायत वालों की भाषा अच्छी नहीं होगी, सही मामला होगा उसको भी झूंठा बनायेंगे मजिस्ट्रेट के पास अपील सुनने का काम रखेंगे तो पंचायत के मामलों में ध्यान अच्छी तरह से नहीं देंगे, अपने पद के रूप में भी कर देंगे । इसलिये मैं यह समझता हूं कि पंचायत समिति के द्वारा उनकी कमेटी बना दें तो उनके पास भी कर सकते हैं । वही सवाल आकर खड़ा रह जाता है, तो उसकी आवश्यकता नहीं है । मैं समझता था कि जैसी मध्य प्रदेश में न्याय पंचायतें हैं और केन्द्र भी पंचायतें अलग अलग हैं वैसी ही हमारी राजस्थान में भी बनानी चाहिये, चाहे नोमिनेट करें । लेकिन जिसके हाथ में सत्ता है, शासन है वे ही नोमिनेट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वही ढांचा रहेगा । इसलिये जो न्याय के लिये अदालतें हैं उनके द्वारा बॉडी नियुक्त होनी चाहिये वर्ना यह नहीं करेंगे तो विकेन्द्रीकरण की सारी मेहनत बेकार जायगी । अपील कोर्ट अलग बनाये जाय लेकिन सब-कमेटी पर दारोमदार नहीं रहे । इसके पहले जो मूल बिल में प्रोविजन है कि प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट अपील सुनेंगे, उसका भी मैं विरोध करता हूं । यह हो सकता है कि जहां तक पंचायत समिति का चुनाव हो, न्याय पंचायत का चुनाव हो तो उससे ऊपर के आदमी कभी चुनाव में आ सकते हैं ।

दूसरी बात हम यह भी कह रहे हैं कि सस्ता न्याय मिलना चाहिये । मुंसिफ मजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे तो लोग ५० रु०, १०० रु० खर्च करेंगे; न्याय को कीमत से खरीद लेंगे । पैसा लेकर इधर उधर मजिस्ट्रेटों के पास नहीं जा सकेंगे तो भी वकील लोग एजेन्ट होते हैं, वे भी शोषण करेंगे । इसलिये मेरा यह निवेदन है कि ऐसी बॉडी बनाई जाय जिससे न तो समिति का संबंध रहे और न मुंसिफ मजिस्ट्रेट का रहे ।

(डॉ० बहादुरसिंह और रावराजा श्री सरदारसिंह बोलने के हेतु खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : इस पर बहस काफी हो चुकी है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): मैं तो दो मिनट लूंगा ।

श्री अध्यक्ष : दो दो मिनिट ही लेंगे ।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): अध्यक्ष महोदय, जो क्लोज ३८ पर अमेंडमेंट सेक्शन ५ व ७, राजस्थान पंचायत एक्ट में पंचायत मंत्रीजी ने रखा है उसके बारे में बहुत से माननीय सदस्यों के भाषण सुने और पहले जो पंचायत मंत्रीजी थे उन्होंने बीच बीच में जवाब दिया उसको भी सुना । मेरी समझ में

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

नहीं आता कि इधर तो कहते हैं कि जनता के हाथ में ज्यादा से ज्यादा सत्ता हो, उधर कहा जाता है कि न्याय मंहगा मिलता है, उधर कहते जाते हैं कि जोधपुर भागना पड़ता है, उधर कहते जाते हैं कि प्रजा को लीगल एडवाइज़र वगैरह तमाम परेशान करते हैं; तो हमको न्याय सस्ता और जहां का तहां मिलना चाहिये।

सरकार का जो ऑब्जेक्ट है, वह यह है कि सत्ता जो केन्द्र में, थी उसका विकेन्द्रीकरण करना चाहिए। यानि सबको सत्ता बांट देनी चाहिए। लेकिन अब मैं यह बात अर्ज करता हूं कि इसमें जुडिशियरी सेपरेट नहीं है, कम्बाइन्ड रखी है। सरकार ने जब जिला परिषद् एक्ट बनाया था, उसमें प्रोवीज़न था कि न्याय पंचायत बनाई जायंगी, तहसील पंचायत को हटा कर न्याय पंचायत बनाई जायेंगी। अब न्याय पंचायत बनाई है और न्याय पंचायत के फैसले की अपील मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के यहां रखी गई थी। अब मुंसिफ, मजिस्ट्रेट को हटा कर सरकार एक इलेक्टेड बॉडी बनाना चाहती है जनता की, जो उनकी अपील सुने और उसकी अपील सेशन जज के पास जायगी। यह सरकार का ऑब्जेक्ट है। इसमें यह समझ में नहीं आया कि उन आदमियों को पंचायत समिति नोमीनेट करेगी। या जिस तरह पंचायत समिति के मेम्बर्स का इलेक्शन हुआ था उसी तरह होगा? अगर इलेक्शन होगा, तो उसमें सबको रिप्रेजेन्टेशन मिलना चाहिए, चाहे वह मेम्बर हों, चाहे कोई हो, तब तो किसी को ऐतराज नहीं हो सकता; लेकिन जब यह बात है कि सत्ता केन्द्र में रखनी है तब तो वहां सरकार की गुटबन्दी हो रही है, उनमें से पांच आदमियों को लेकर ठोक देगी। एग्ज़ीक्यूटिव, इन्तजाम के मामले तो पंचायत समिति करे और जुडिशियरी के मामलात पंचायत के नोमीनेटेड आदमी। सुनें लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें जो प्रेस्क्राइब्ड मैनर रखा है, उसमें सिर्फ इतना प्रोवीजन करना चाहिए कि पांच आदमी, जो न्याय पंचायत की अपील सुनें, उन पांच आदमियों का बाई वोटिंग नोमीनेशन होना चाहिए और उसका जो चेअरमैन हो वह भी बाई वोटिंग हो। तब तो मैं कहता हूं कि इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि जनता की, सरकार की और हम लोगों की भावना है कि सस्ता न्याय मिलना चाहिए और जगह पर न्याय मिलना चाहिए। लेकिन सरकार यह चाहती है कि इधर बैठने वालों की जो पंचायत है, वहां तो इलेक्शन करा देगी और जहां अपनी गुटबन्दी है वहां अपने पांच आदमियों को ठोक देगी। प्रेस्क्राइब्ड मैनर को इस प्रकार करेंगे तो ठीक नहीं है। मैं तो कहता हूं कि जनता को सस्ता न्याय मिलना चाहिए। अब रहा सवाल मुन्सिफ, मजिस्ट्रेट इत्यादि का, वे अपनी अपनी जगह पर हैं। यह भी मेरे सुनने में आया है, शनैः शनैः आखिरकार छोटे-मोटे कोर्ट खत्म होने वाले हैं और सब अधिकार प्रजा के हाथ में देने-वाले हैं। इस भावना से कर रहे हैं तो आप गुटबन्दी की भावना को छोड़ दें और यह करें कि इलेक्टेड पांच आदमी हों; जिससे योग्य आदमी खड़े हो सकेंगे और आ सकेंगे, तब तो ठीक है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ३८ पर जो संशोधन आया है माननीय मंत्रीजी का, उसका विरोध करने

(डॉ० बहादुरसिंह)

के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । यह हमें देखना है कि तहसील पंचायत को समाप्त करने की पृष्ठ भूमि थी, जो सदन के सामने प्रस्तुत हुई थी पिछली दफा। जब पंचायत समिति का गठन करने जा रहे थे, जब जिला परिषद् और पंचायत समिति को गठित किया था उस वक्त इस सदन ने यह मांग की थी कि हमें न्याय विभाग को पंचायत से अलग करना चाहिए। इस दृष्टिकोण को सामने रखते हुए यह न्याय पंचायत बनाने का सवाल आया। लेकिन जो संशोधन आया, उसको देख कर मैं समझता हूं कि शायद हम उस सिद्धान्त से, उस विचार-धारा से या सदन की उस विचारधारा से विपरीत जाते हैं। सदन की भावनाओं को हमने इसमें नहीं लिया, सदन में किस प्रकार की विचार-धारा थी, सदन चाहता था कि न्याय विभाग बिल्कुल अलग हो यानि जो हमारी व्यवस्था है, जो प्रशासन की व्यवस्था है उससे न्याय विभाग अलग रखा जाय सदन यह चाहता था। लेकिन हम इसमें देखते हैं कि पंचायत समिति एक अपीलेट कमेटी बनायेगी। यह कमेटी एक स्टैंडिंग कमेटी के तौर पर रहेगी। यह उपयुक्त चीज नहीं है। जो पहले व्यवस्था रखी थी, जो मूल प्रावधान था ३८ क्लॉज़ का, वह सिद्धान्त उपयुक्त था, उसको रखना चाहिए। उसमें संशोधन करने की मैं आवश्यकता महसूस नहीं करता। यह निश्चित है कि तहसील पंचायत पिछली दफा बनाई गई उसमें एक कमी थी और उसके कारण इलेक्टोरल पर, मतदाता पर असर पड़ता था, उसके कारण वास्तविक न्याय नहीं मिल पाता था, इसलिए सोचा गया कि न्याय पंचायत अलग बनाई जाय। इस दृष्टिकोण से न्याय पंचायत अलग बनाने का सवाल आया। जब न्याय पंचायत गठित की जायगी तो वह निर्वाचित होगी, वे न्याय के अन्दर भाग नहीं लेंगी, तो उसके लिए एक अपीलेट कमेटी की व्यवस्था करेगी, मतदाता कमेटी बनायेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह मानी हुई बात है कि जहां वोट देने का सवाल आता है, वहां बारगेनिंग जरूर होता है। वहां न्याय नहीं मिल पायेगा। हम न्याय....

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): एग्ज़ीक्यूटिव और जुडिशियरी में बार्गेनिंग नहीं होता है ?

डॉ० बहादुरसिंह : जहां अपील का सवाल है, मैं समझता हूं अपीलेट कमेटी को भी नोमीनेट कर देते तो मैं उपयुक्त मानता, यानि जुडिशियल डिपार्टमेंट अलेपोट कमेटी को नोमीनेट कर देगी, वह अपील की सुनवाई करेगी। इसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट अपीलेट कमेटी में जुडिशियल माइन्ड्स को नोमीनेट करेगी। जहां पंचायत समिति, जिस पंचायत समिति को विकास कार्य के लिए गठित किया गया है, न्याय के लिए नहीं किया गया है, उसको गांवों के विकास के लिए, उस क्षेत्र का डेवलपमेंट करने के लिए गठित किया गया है, न कि न्याय करने के लिए, तो मैं समझता हूं कि पंचायत समिति को जिस उद्देश्य से बनाया है उस उद्देश्य से हम भटक गये और जबरदस्ती जिस चीज़ को हम नहीं चाहते, सदन नहीं चाहता, सदन के निर्णय के विरुद्ध इस सम्बन्ध में जबरदस्ती इस संशोधन को लाकर पुनः घपले में पड़ना चाहती है, विकास के साथ न्याय को एक करना चाहती है। मैं समझता हूं, यह उपयुक्त नहीं है। और फिर तहसील

(डॉ० बहादुरसिंह)

पंचायत क्यों बनी थीं? पंचायत अधिक लोगों की चुनी हुई थीं। उनके लिए व्यवस्था थी कि वे अपील सुने, लेकिन उनके अन्दर एक कमी थी कि वे निर्वाचित थीं। इस कारण उनको अलग किया गया क्योंकि निर्वाचित व्यक्तियों का न्याय नहीं चाहते थे, सदन नहीं चाहता था कि निर्वाचित व्यक्तियों द्वारा न्याय हो। वह चाहता था कि न्याय पंचायत गठित की उसकी अपील सुनने के लिए मजिस्ट्रेट को रखते हैं, तो ठीक है। आप चाहते हैं कि मजिस्ट्रेट नहीं हो, एक कमेटी हो, तो वह कमेटी गवर्नमेंट नोमीनेटेड तो हो, कम से कम उसमें जुडिशियल माइन्ड्स तो होंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि आपको इस संशोधन को वापिस लेना चाहिए और जो मौजूदा व्यवस्था है, वह उपयुक्त है, जिसे आप नहीं चाहते: आप चाहते हैं कि कमेटी करें। तो गवर्नमेंट कमेटी नोमीनेट करे, जिसमें जुडिशियल माइन्डेड हों, वे अपील सुनें। मैं समझता हूं कि अपील का महत्वपूर्ण मामला होता है, इसको आप साधारण तौर पर न समझें। मैं समझता हूं कि सदन ने राय दी है कि न्याय विभाग को पृथक रखा जाय, इसलिए यह संशोधन सदन की इच्छा के विपरीत है, इसलिए आप इसको वापिस ले लें।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने इस क्लॉज़ में जो संशोधन पेश किया है उसका मैं विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बड़े मजे की बात है कि जिस सिद्धान्त और जिन बातों को लेकर हम न्याय पंचायत बनाने जा रहे हैं उस सिद्धान्त का इस संशोधन के द्वारा खंडन करना चाहते हैं। जब पंचायत समिति और जिला परिषद् का कानून इस सदन में बन रहा था, जब सदन उस पर विचार-विमर्श कर रहा था तब यह माना गया था कि हमें एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को अलग करना चाहिये। इसके लिए यह जरूरी समझा गया था कि तहसील समिति को हम रोजमर्रा के डेवलपमेंट के काम सौंप देंगे और न्याय का काम करने के लिए न्याय पंचायत अलग बनायेंगे। उस समय एक तरह से आश्वासन दिया गया था, उसके अनुसार तहसील समिति को सारे डेवलपमेंट के काम सौंप दिये गये और न्याय का काम करने के लिए न्याय पंचायत स्थापित की जाय, यह कहा जा रहा है। लेकिन जो सिद्धान्त पंचायत समिति का कानून बनाते हुए स्वीकार किया था कि हमें एग्ज़ीक्यूटिव और जुडिशियरी को अलग करना चाहिये उस सिद्धान्त का संशोधन के द्वारा खंडन कर दें, यह मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार इन्कन्सिस्टेन्ट कैसे हो सकती है? एक तरफ तो सदन में वाद-विवाद हुआ, जो विचार-विमर्श हुआ, जिसके आधार पर बिल आया, उसमें वही चीज़ थी जो सदन चाहता था, दूसरी तरफ सरकार कल कुछ कहती थी, आज ओवर नाइट यह कह देती है, नहीं, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को सेपरेट करने की मन्शा थी, जो बिल में मन्शा रखी थी उसको वापिस लेती है और चाहती है कि एग्ज़ीक्यूटिव और जुडिशियरी को साथ कर दिया जाय। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार इतनी इन्कन्सिस्टेन्ट रहती है तो शासन का काम कैसे कर सकते हैं? हो सकता

(श्री चन्दनमल वैद)

है कि फैक्ट्स और फिगर्स के मामले में, दूसरे मामलों में इन्कन्सिटेन्ट रह सकती हो, लेकिन सिद्धान्त के मामले में, उसूल के मामले में, जो बहुत बड़ा सिद्धान्त है, बहुत बड़ा उसूल है, जिस सिद्धान्त को सदन में माना गया है, कि एग्ज़ीक्यूटिव और जुडिशियरी का सेपरेशन होगा, उनके विरुद्ध अचानक, ओवर नाइट कह दिया जाय, यह समझ के बाहर की बात है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल इतनी ही बात नहीं है, जो आज हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, कानूनी अधिकार हैं डेमोक्रेसी में, उन पर हम कुठाराघात करने जा रहे हैं। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि डेमोक्रेसी का बेसिस है रूल ऑफ लॉ–कानून का शासन, उस फंडामेंटल राइट पर आज कुठाराघात क्यों करने जा रहे हैं? इस बिल के द्वारा हम मान चुके हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेन्सेज़ की ट्रायल करने का पंचायतों को अधिकार होगा, यह भी मान चुके हैं जो कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन था, तहसील पंचायत ले सकती थी, मजिस्ट्रेट ले सकता था, पंचायत ले सकती थी तो यह कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन था, चाहूं तो मैं मुन्सिफ के पास जा सकता था, या पंचायत के पास जा सकता था; हमने उसको हटा दिया है और यह पास कर दिया है कि आज से आपको रेमिडी सीक करनी है तो आप केवल न्याय पंचायत के पास जा सकते हैं। तो एक तरफ तो हम कॉग्निज़ेबल ऑफेन्सेज़ को ट्राई करने जा रहे हैं और कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन था उसको खत्म कर दिया और यह रख दिया है कि कोई प्लीडर न्याय पंचायत के पास जा नहीं सकता, किसी केस को वहां प्लीड कर नहीं सकता। एक सब–इन्सपेक्टर किसी जुर्म में एक आदमी को गिरफ्तार करता है तो उसको निश्चित रूप से न्याय पंचायत के पास जाना पड़ेगा। तो एक तरफ तो पुलिस का पैरोकार मुलिजम के खिलाफ सरकार की तरफ से पैरवी करेगा, दूसरी तरफ हमने यह राइट उसका छीन लिया है कि तुम अपना वकील वहां खड़ा नहीं कर सकते। तो अपने आपको डिफेन्ड करने का उसका फंडामेंटल राइट है, उसको आप छीनते हैं। न्याय पंचायत के सामने नहीं तो मजिस्ट्रेट के सामने जाकर वह अपने आपको डिफेन्ड कर सकता था; अब इससे वह रास्ता भी बन्द हो गया है। किसी तहसील समिति में, पंचायत समिति में पंचायत में गुट्टबन्दी है। दो अलग अलग गुट्ट हैं तो एक आदमी जो दूसरे अल्पमत वाले गुट्ट का है उसको न्याय पंचायत में न्याय नहीं। मिलने वाला है और अपीलेट कमेटी में भी क्योंकि वह पंचायत समिति की है, उसी गुट्ट की है, उसमें भी उसको न्याय नहीं मिलने वाला है और दूसरी कोई रेमिडी उसके पास है नहीं। जब तक कि कोई खास टेक्निकल पॉइन्ट नहीं हो वह रिविजन के लिए कहीं जा नहीं सकता। तो इसके माने यह हुए कि किसी जगह गुट्टबन्दी है और उस गुट्टबन्दी के कारण एक आदमी को न्याय पंचायत ने सजा दे दी तो हिन्दुस्तान में उसको कहीं भी न्याय मिलने वाला नहीं है।

तो मैं कहता हूं कि आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, आप एक बहुत बड़ा ब्लन्डर कमिट कर रहे हैं। इस मिस्टेक के लिए हमारे मंत्री महोदय पछतायेंगे और मुझे यह कहने में हिचकिचाहट नहीं है कि वे फिर अमेंडमेंट लेकर आयेंगे और कहेंगे कि हमने यह गल्ती की इसको दुरुस्त करने के लिए इस अमेंडमेंट को स्वीकार किया जाय।

(श्री चन्दनमल वैद)

तो मैं यही कहूँगा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं डिफेन्ड करने के, उनके ऊपर आप कुठाराघात मत कीजिये। जुडिशियरी एग्जीक्युटिव को अलग अलग करने के इस सिद्धान्त को ओवर नाइट इस तरह चैंज मत कीजिये। जुडिशियरी और एग्जीक्युटिव को सेपरेट करने की आवश्यकता नहीं थी तो क्या जरूरत थी तहसील पंचायतों को बनाने की और न्याय पंचायतें कायम करने की? फिर क्या जरूरत थी तहसील पंचायतों को भंग करके न्याय पंचायतें अलग बनायें? तो ओवरनाइट चैंज सिद्धान्त में मत कीजिये, गम्भीरता से सोचिये, समझिये। जहां तक सदन के विचार समझ पाया हूँ तो मैं यह जान पाया हूं कि सदन के चारों तरफ के लोग, इधर के, उधर के, बीच के, सब तरफ के लोग इस संशोधन का विरोध कर रहे हैं, इसलिए मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि इस संशोधन को वे वापिस ले लें। हमारे मंत्री महोदय गांधीवादी विचारधारा के हैं, वे जिद्द करनेवाले नहीं हैं। मैं समझता हूं उन्हें यह संशोधन वापिस ले लेना चाहिये, एक ब्लंडर और मिस्टेक हो रही है उसको ठीक कर लेना चाहिये।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री नारायणसिंह।

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : माननीय अध्यक्ष, सेक्शन ५७ में जो मंत्री महोदय ने एक संशोधन पेश किया है उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं। जब न्याय पंचायतों का प्रावधान पंचायत अमेंडमेंट बिल की मार्फत किया गया तो मैंने समझा कि पंचायत पद्धति में एक बड़ा भारी कदम उठा रहे हैं और वास्तव में इस मौलिक विचार से कि एग्जीक्युटिव और जुडिशियरी हर स्तर पर अलग होनी चाहिये। पंचायतें एग्जीक्युटिव के साथ साथ न्यायीकरण का काम भी कर रही थी, ऐसी पंचायतें बनने से पांच, सात गांवों का दायरा लेकर न्याय पंचायतें बनाई जायंगी। इससे वह बहुत बखूबी अलग हो जायेंगे। पर अब जो यह नया अमेंडमेंट हमारे सामने प्रस्तुत है, जिस पर सदन ने काफी विचार प्रकट किये हैं, एक अपील कमेटी का पंचायत समिति निर्माण करेगी और वह अपील कमेटी न्याय पंचायतों की अपील सुनेगी। सबसे पहले हमें इस मौलिक सिद्धान्त पर दृष्टि रखनी है कि एग्ज़ीक्युटिव से जुडिशियरी को अलग करने का सिद्धान्त क्यों स्वीकार किया गया है। पार्लियामेंट न केवल लेजिस्लेटिव बॉडी थी उसमें जुडिशियरी फंक्शन्स भी थे। इतिहास गवाही देता है कि एपीज़मेंट इत्यादि के कई मामले हुए पर धीरे धीरे वह चीज आज out of use हो गई है। यह देखा गया है कि एक लेजिस्लेटिव बॉडी न्याय का कार्य ले लेती है तो वह अपने कार्य से अलग जाकर दूसरे काम में हस्तक्षेप करती है। एग्ज़ीक्युटिव से जुडिशियरी को अलग करने में यह सिद्धान्त भी है कि एग्जीक्युटिव एक कार्य क्षेत्र में तन्मय रहती है, उनका दृष्टिकोण प्रेज्युडिस्ड हो सकता है, एग्जीक्युटिव फंक्शन्स में उनकी विशेष धारा बन जाती है। इस प्रकार के अटेन्ड दृष्टिकोण को अलग करने के लिए अनअटेन्ड व्यू जुडिशियरी से प्राप्त हो सकता है।

पंचायत समिति की अपीलेट कमेटी

(राव श्री नारायणसिंह)

बनाते हैं तो जिस दृष्टि से न्याय पंचायतें अलग कीं और तहसील पंचायतों को खत्म किया था, उससे आप खिलाफ चले जा रहे हैं। तहसील पंचायतों को खत्म करने का हमारा खास दृष्टिकोण यह था कि वहां कुछ पार्टी-बाजी और दूसरे असरात आ सकते हैं। चुनी हुई संस्था एक विशेष प्रकार का दृष्टिकोण रखती है और मेजोरिटी का दल होता है, उससे वह संस्था प्रभावित होती है। यह कदम सब जगह उठाया है। लेजिस्लेटिव से भी जुडिशियरी को अलग किया जाय। ओवरऑल जरूरी है लेजिस्लेटिव को रखना। लेजिस्लेटिव सार्वभौम सत्ता है पर उसका प्रभावित दृष्टिकोण हो सकता है, इससे बचने के लिए जुडिशियरी को बिल्कुल अलग रखा जाय। यह बात है लेजिस्लेचर्स कानून बनाये, लेजिस्लेशन करें, पर उसको एग्ज़ीक्यूट करने का काम जुडिशियरी का रह जाता है। युगोस्लोवाकिया में इन्टरप्रिटेशन ऑफ लॉ जुडिशियरी करती है और यही वहां की एक विशेषता है। आज हमारे यहां जुडिशियरी को बिल्कुल अलग स्थान दिया गया है वह काफी विचार कर दिया गया है। और उसको एग्जीक्युटिव और लेजिस्लेचर के प्रभाव से अलग रखने के लिए हमारे लॉ फेडरेशन और अलग अलग बड़े बड़े दूसरे लोगों ने काफी जोर दिया है। और अगर हम विचार-धारा को लेकर चलते हैं कि प्रजातन्त्रीय शासन के निर्माण में हम इन दोनों को मिला कर कार्य करना चाहते हैं तो मैं यह निवेदन करूंगा कि हमें इसके लिये पछताना होगा। वास्तव में जो कमेटियें आज गठित हैं वे सब चुनी हुई हैं और जैसा कि स्वाभाविक ही है, सभी चुनी हुई समितियों में अलग अलग प्रकार के प्रभाव लोगों के होते हैं। मेजोरिटी अपनी अलग ओपीनियन रखती है। आज लोगों में पूर्णतया प्रजातान्त्रिक भाव पैदा नहीं हुए हैं। वहां पर कई प्रकार के कॉम्युनल और स्थानीय प्रभाव रहते हैं। क्योंकि वह समिति जो होती है वह एक छोटे से एरिया के लिए होती है, वह ५० या ६० गांवों की होती है। जो ५० या ६० गांवों की एक समिति होगी वह वहां के स्थानीय प्रभाव से बिल्कुल अलग रहे और उस पर किसी का प्रभाव न हो ऐसा नहीं हो सकता। उस पर निश्चित किसी न किसी का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। अगर वे न्यायकरण का निर्माण करते हैं और उसका असर न्याय पर पड़ता है तो मौलिक विचार हैं वे कम हो जाते हैं। हमें इन प्रभावों से अलग रखना चाहिये। अभी अभी हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारे ordinary process of law में जो हैं उसको हमें निकाल देना चाहिये। इससे कुछ लोगों को सजाएं मिलेंगी और उनकी अपील यदि इसी प्रकार की पंचायतों द्वारा चुने हुए सदस्यों की कमेटी में जाने का मौका मिलेगा तो उनको न्याय नहीं मिलेगा और कोई दूसरे प्रकार के दृष्टिकोण की आशंका रहती है। वह तो बिल्कुल इम्पार्शियल बॉडी होगा वही कर सकता है। यदि हमको पंचायत समितियों को कुछ जिम्मेदारी देना है तो जिला परिषदों की राय से एक पेनल ऑफ नेम्स स्टेट गवर्नमेंट तैयार करे और उस पेनल ऑफ नेम्स में से पंचायत समिति बनाती और इस प्रकार का प्रावधान रखती। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि हमको इस प्रकार की चीज़ को छोड़ देना चाहिये और ऑर्डिनेरी प्रोसेस ऑफ लॉ में मुन्सिफ आदि के कोर्ट हैं उनमें हर एक झगड़े को जाने देने की इजाजत

Page No.56

(राव श्री नारायणसिंह)

देनी चाहिये। तो यह जो संशोधन माननीय मंत्री महोदय ने रखा है तो हो सकता है यह विचार करके ही रखा हो लेकिन जब चुनी हुई संस्था न्याय पंचायत काम करेगी तो उन पर कुछ न कुछ प्रभाव काम करेगा चाहे कैसा भी व्यक्ति क्यों न हो। आपने इसको देश की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए चाहे किया हो लेकिन यह सिद्धान्त ठीक नहीं बैठता है।

आज भी हमारे यहां प्रजातान्त्रिक भावना पूरी तरह से स्थापित नहीं हुई है बल्कि लोग कॉम्युनलिज़म आदि की भावना से अभी प्रभावित हैं उससे बचने के लिये हमें कई जगहों पर उपाय ढूंढ़ना पड़ता है। अगर इस प्रकार का पॉवर अपीलेट कमेटी को दे देते हैं तो हम जिन चीजों से बचना चाहते हैं उन्हीं चीजों में उलझ जाते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन जिस प्रकार से प्रस्तुत हुआ है इसमें कुछ हेर फेर किया जावे और पुन: निर्माण किया जाना चाहिये ताकि जो भी मौलिक विचार माननीय मंत्री के हृदय में हैं, वे आ सकें और जो आशंकाएं उत्पन्न हो गई हैं वे दूर हो जावें।

श्री रामचन्द्र (डग–सु०) : अध्यक्ष महोदय, इस एक्ट की धारा ३८ के तहत माननीय मंत्री महोदय ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं और समर्थन करने का मुख्य लक्ष्य यह है कि हमको अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रख कर विचार प्रगट करने चाहिये। हमने अपना लक्ष्य इस निर्णय को लेकर कायम किया है कि हम गांवों में पंचायती राज्य कायम करना चाहते हैं और हम यह चाहते हैं कि गांवों के विकास के कार्य, वहां की विकास योजनाएं और गांवों के दूसरे जितने भी कार्य हैं वे पंचायतों द्वारा हों और यहां तक कि हम यह चाहते हैं कि जमीन का प्रबन्ध और लगान वगैरह वसूल करने का कार्य भी हमारी पंचायतों द्वारा होना चाहिये। यही नहीं; बल्कि सरकार ने यह भी उचित समझा कि हमारे गांवों के झगड़ों और दूसरे मामले जितने भी हों वे वहीं ग्रामों में ही तय होने चाहिये; जिस प्रकार प्राचीन काल में तय होते आये हैं। अभी भी उन ग्रामीण भाइयों के मामलों का निपटारा तमाम गांवों में हो। वे अब सरकार की कचहरी में न जाकर गांवों के अन्दर कचहरी में निपटाये जावें। इस बेसिस को लेकर न्याय पंचायतों के लिये यह विधेयक लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, सवाल केवल यहां पर अपील का ही है न कि मूल पंचायत का। इसमें यह संशोधन लाये हैं। पहले यह प्रावधान रखा था कि न्याय पंचायतों की अपील सिविल मुकदमों की मुंसफी कोर्ट में और फौजदारी मामलों की मजिस्ट्रेटस के पास ले जाई जावेंगी उससे लोगों को बहुत परेशानी होगी, इस आशय को लेकर इसमें यह प्रावधान रखा गया। इस विधेयक पर पहले भी बहस हुई थी और जब सदन के माननीय सदस्यों की यह भावना देखी कि माननीय सदस्य यह नहीं चाहते हैं कि पब्लिक संस्थाओं द्वारा निर्णय हुए मामलों के फैसले सरकारी अधिकारियों के पास जावें। अगर जाते हैं तो वास्तव में यह बड़े दु:ख की बात है। सरकारी अदालतों में लोग मुकदमा करके वकीलों के चक्कर में सैकड़ों रूपयों को खर्च करके मुकदमें करते रहें। इसलिये उन्होंने यह निश्चय किया कि जिन गांव के झगड़ों का न्याय पंचायतें फैसला करें उनकी अपील सुनने का

(श्री रामचन्द्र)

अधिकार भी गांव के लोगों के सुपुर्द किया जावे । यहां पर जो कहा गया है उससे ऐसा मालूम होता है कि गांव के लोग बिल्कुल बेईमान हैं और यदि उनको अपील का कार्य देंगे तो लोगों को न्याय नहीं मिलेगा । मैं यह कहूंगा कि माननीय सदस्य इस भावना को लेकर चलते हैं। वह ऐसी भावना है जो कुछ समय पहले अंग्रेज लेकर चलते थे । अंग्रेज कहा करते थे कि भारतवासी कभी हिन्दुस्तान का शासन अपने आप नहीं चला सकते हैं । आज वही बात इन गांव वालों के लिये कहते हैं और कहते हैं कि ग्राम पंचायत सही फैसले नहीं कर सकेगी । हमको यह बात भूल कर निश्चित रूप से यह सोच कर चलना चाहिये कि यह हमारी गांव की न्याय पंचायत और अपीलेट बॉडी फैसला करेंगी वह सही और ईमानदारी से करेंगी क्योंकि इसका कारण यह है कि जितनी जानकारी वहां के व्यक्तियों को होगी उतनी जानकारी असलियत की आपके मुन्सिफों और मजिस्ट्रेटों को नहीं होगी । यह भी हो सकता है कि वकील और गवाहानों को भुलावे में डाल कर फैसला किया जा सकता है ।

१. ५८. म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मगर वहां पर जब अपील होगी तो उनका सीमित क्षेत्र होगा और उनको पूरी वाकफियत होगी और वे उसकी अपील सुन कर अच्छी तरह से फैसला दे सकेंगे । इसलिए मैं तो यह समझे हुए हूं कि जितना अच्छा न्याय हमको ग्रामीण सदस्यों की कमेटियों से अपील के मामलों में मिल सकता है, मुझे शंका है, उतना अच्छा न्याय हमको मुन्सिफ और मजिस्ट्रेट से मिल सकेगा या नहीं ? यह दूसरी बात है कि कानून की इतनी दाद देते हैं । मैं तो कहता हूं कि इस कानून के पीछे ग्रामीण इतने लिटिगेशन में फंस गये हैं कि उनका काफी रुपया खर्च हो रहा है । सीधे-सादे मामले होते हुए भी वकीलों के चक्कर में आकर, कानून के चक्कर में आकर उनका सैकड़ों रुपया खर्च होता है । फिर यह होता है कि आवाज आती है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, रिश्वत लेकर मामलों को बिगाड़ दिया । जब आपका मुन्सिफ और मजिस्ट्रेट पर विश्वास नहीं है फिर अपने भाइयों को उनके द्वारा अपील सुनने का मौका देना चाहिये । मैं यह कहूंगा कि यह संशोधन लाया गया है यह आज के जमाने की आवाज है । हमारा जो लक्ष्य है उसके अनुसार ही यह संशोधन रखा गया है और मुझे आशा है कि यदि हमारे अपील सुननेवाले भाइयों के पास मामलों में उनको दिक्कत पेश हो तो हमारा यह फर्ज है कि हम उनको उचित राय देकर उनके द्वारा उचित फैसले दिलाने का प्रयत्न करेंगे । यदि उनको सही सलाह देते हैं, पूरे पूरे हालात उन अपील सुननेवालों को बतायें तो मुझे यकीन है कि ग्रामीण सदस्यों से अवश्य अच्छा न्याय मिलेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन पेश किया गया अपील कमेटी का, इसका मैं आंशिक विरोध करता हूं । आंशिक इस अर्थ में कि सिद्धान्त की दृष्टि से यह

Page No.58

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

बहुत उचित और उपयुक्त प्रतीत होता है कि हमारे ग्रामीण भाई घर बैठ कर ही फैसला कर लें। वे अदालतों में न जायं, न्यायालयों की शरण न लें, वकीलों से न लुटें। लेकिन हम यह अपना दुर्भाग्य समझते हैं, अब तक हमारा स्तर इतना ऊंचा नहीं हो पाया है कि जिस प्रकार की पहले हमारी ग्रामीण पंचायतें थीं, जिस प्रकार का निष्पक्ष न्याय वहां पर होता था उसी प्रकार का न्याय आज हम कर सकें। आदर्श की दृष्टि से तो यह संशोधन सुन्दर मालूम पड़ता है लेकिन व्यवहार के विपरीत है। खास तौर पर चुनाव प्रणाली ने हमारे लोगों का, मैं कहूंगा कि कुछ स्तर गिराने में सहायता दी है; बहुमत चुनाव प्रणाली ने। आज जिस प्रकार पंचायत और पंचायत समितियों का निर्माण हुआ है उसको देखते हुए इसकी काफी आशंका होती है कि जिस तरह से वे चुन कर आये हैं, जिस जिस आधार पर, जिस तरह से लोग वोट लेकर आये हैं क्या वे पूर्ण न्याय कर सकेंगे अपने उस आसन पर बैठ कर ? तो इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि जो यह अपीलेट बोर्ड या अपील की कमेटी रखी है, यदि समिति के ही लोगों ने इसको चुना, केवल समिति के ही लोगों द्वारा चुन करके हो, यदि उसका विस्तृत दायरा हो तो उनसे अधिक आशा की जा सकती है। चुनी हुई हो, लेकिन समिति के सदस्यों द्वारा चुनी हुई हो। समिति का निर्माण है वह एक इस प्रकार का है कि सरपंच जो अधिकांश सदस्य होते हैं उनको छोटे २ दलों के आधार पर या गुट के आधार पर बहुमत होता है उसके आधार पर सहकरण करके अपने बहुमत का एक विशाल बहुमत कर लेते हैं और उसके आधार पर ही उसको चलाते हैं। उसका प्रधान और समितियों का निर्माण करते हैं वह बहुमत के आधार पर करते हैं। वे ही चुननेवाले होंगे उसको जो हमारे न्याय की अपील कमेटी होगी, तो स्वभावतः यह होगा कि बहुमत के आधार पर लोगों को चुनेंगे। यह माना कि सदस्य समिति के नहीं होंगे, ऐसा प्रावधान शायद सरकार की ओर से किया जा रहा है। अब तक तो यह भी खतरा था। उदाहरण के तौर पर बताऊंगा कि समिति का प्रधान हो गया। उसने प्रयत्न यह किया जो छोटी २ कमेटियां बनीं उसका भी सभापति वह स्वयं होता है। ऐसे कई जगह आपको उदाहरण मिलेंगे। उसने दूसरे को सभापति भी नहीं होने दिया। एक सत्ता का मोह है। फिर यहां तो न्याय का मामला है। अब तक लोगों की मनोवृत्ति है कि वे लोग अदालतों में बैठ कर फैसला करें, कुछ के पक्ष में, कुछ के विरोध में। वे समझते हैं कि अब कुछ सत्ता हाथ में आई है। जिस सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया है उसका लोभ और मोह बढ़ गया है और समझते हैं कि हाथ में सत्ता होनी ही चाहिये। यह सत्ता यह है, स्टाफ रखना, सफाई, सड़कें निकालना आदि। ये तो साधारण काम हैं लेकिन जब अदालत में बैठेंगे, मामले आवेंगे, न्यायाधीश के रूप में होंगे उनके सामने वादी और प्रतिवादी आवेंगे, पक्षविपक्ष में लोग आवेंगे, फैसला देंगे तब असली हुकूमत होगी हाथ में। एक प्रकार को यह कमजोरी है कि न्याय के काम को भी सत्ता मान कर बैठ जाते हैं। इसलिए उनको समिति के चुनाव का जो अधिकार दिया जायेगा, मैं उसका विरोध करता हूं। मुझे मालूम है कि अमेरिका या किसी देश में जजों का चुनाव होता है। थोड़े

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

लोग ही उनका चुनाव नहीं करते हैं। उनकी एक परम्परा होती है। उसके पीछे न्याय सम्बन्धी कुछ अनुभव जरूरी होते हैं। मैं सुझाव यह देता हूँ कि यदि एक पंचायत समिति के स्थान पर दो-तीन पंचायत समितियों को मिला कर न्याय के लिए कमेटी बनायें तो उनसे न्याय की कुछ आशा की जा सकती है। हमने यह रखा है कि पांच सात पंचायतें मिल कर न्याय पंचायत बनायेंगी। एक पंचायत अपनी ही न्याय कमेटी बनाये तो कुछ न कुछ जरूर स्वार्थ होगा। पांच-सात मिलाकर न्याय पंचायत बनाते हैं तो यह समिति भी तीन चार समिति मिल कर बनायेंगी तो लोगों को विश्वास होगा कि कम से कम सब ही लोग खिलाफ नहीं हो जावेंगे। आज स्थिति यह है कि गुटों के आधार पर, दलों के आधार पर चुनाव होते हैं। स्वभावत: यह होता है कि जिनके मतों पर चुन कर आये हैं उनको खुश रखें। मैंने जनरल डिस्केशन के वक्त भी बताया था कि कितने ही सरपंचों ने दुबारा चुनाव लड़ना पसन्द नहीं किया और चैलेन्ज किया जाता है उनको कि हक में फैसला नहीं होगा क्योंकि वोट नहीं दिया। न्याय के साथ वोट लगे हुए हैं। न्याय तो बड़ी चीज़ होती है। शासन प्रशासन से भी ऊंचा है। लोगों में भावना होनी चाहिये कि न केवल न्याय किया जाय, किन्तु पवित्र न्याय किया जाय। लोगों में यह भावना अभी बनी नहीं है। गुटों के आधार पर चुनाव होंगे, इसलिए सरकारी अधिकारी और अदालतों में लोग विश्वास करते हैं। इसलिए ३-४ समितियों को मिला कर बनायें। पांच सात पंचायतें मिल कर काम करती हैं तो इतना होगा कि तीन समिति भी मिल कर न्याय का काम करती हैं लोगों को आज तो विश्वास होना चाहिये। एक समिति को लगा दिया तो एक ब्लॉक के, किसी न किसी ग्रुप के होंगे। तीन समितियां बना देते हैं तो उससे अधिक अच्छा हो सकता है। यह तो मैं नहीं कहता कि सब ही ऐसे हो जावेंगे। लेकिन चुनावों के अधिकार को विस्तृत कर दिया जाय। समिति के सदस्य भाग न लें या दूसरे से चुन कर आवें। मैं समझता हूँ कि मंत्री महोदय ऐसा प्रावधान करेंगे तो आशा की जा सकती है कि वे काम कर सकेंगी क्योंकि इसमें विशेषत: जो खतरा होता है सबसे बड़ा वह यह होता है कि वोटर को खुश रखने की भावना न हो न्यायाधीश में; उन पर वे लोग प्रभाव डालते हैं, जो बहुमत है, जिन्होंने उनको चुन कर भेजा है वे प्रभाव डालते हैं कि उनको इस प्रकार का फैसला देना है। उनका दिमाग साफ होना चाहिये, निष्पक्ष होना चाहिये जैसी कि एक अंग्रेजी की कहावत है :

"Kingship knows no kinship."

कोई रिश्तेदार, कोई जात-पांत की भावना न्यायाधीश के दिल में नहीं होनी चाहिये। इससे भी ज्यादा वोटर का भय उनको होगा। वोट का भय न्याय पर असर न डाल सके। अगर इसमें इस प्रकार का संशोधन कर दिया जाय कि विस्तृत आधार पर दो-तीन समितियां मिल कर बना दी जायं तो यह अधिक सरल हो सकता है।

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनता को प्रशासनिक और न्याय के मामले में अधिक से अधिक अधिकार देना हमारा और हमारी सरकार का लक्ष्य है। लेकिन हमें यह देखना

(मेजर श्री फतहसिंह)

क्या जनता इन अधिकारों को उठाने की क्षमता और शक्ति रखती है या नहीं ? मैं समझता हूं कि अभी वह दिन नहीं आया जनता को न्याय के मामले में अपील सुनने का अधिकार हम उनको दें। हमारा वातावरण इस तरह का है, इस मौके पर जिस ढंग से हमारी सरकार की ओर से इन अपीलेट कोर्ट्स के गठन की व्यवस्था की गई है वह अच्छी नहीं है। यह व्यवस्था हमारी जनता के लिये एक प्रकार से आत्महत्या के बराबर होगी।

श्रीमन्, जिस ढंग से हमारी ग्राम पंचायतें काम कर रही हैं उनका रवैया, उनका कार्य ऐसा नहीं हुआ जिससे हमको और हमारी गांव की जनता को उत्साह मिला हो और हम जनता को अधिक अधिकार देने को तैयार हो जाते। इस समय भी ग्राम पंचायतें न्याय करती हैं। लेकिन यह देखा गया है और यह सत्य है, इसमें दो राय नहीं हो सकतीं कि उन ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। वहां पर न्याय बिकता है यह बात सही है। होटलों के पीछे, पांच रुपये की रिश्वत के पीछे न्याय बिकता है। हमारा यह अनुभव है, इसके बावजूद हम उन लोगों को इस प्रकार के और उच्च अधिकार दें तो यह एक प्रकार से आत्महत्या के बराबर होगा।

श्रीमन्, आखिर ग्राम पंचायतों में न्याय कौन करता है ? सबसे अधिक प्रभावशाली जो व्यक्ति होते है वे ही तो उसमें चुन कर गये हैं वे ही फैसला करते हैं उनसे और अच्छे व्यक्ति कौन मिलेंगे ? आखिर आपको भी तो उन्हीं गांवों में से व्यक्ति चुनने हैं। इस समय जो व्यवस्था की गई है कि पंचायत समिति के सदस्य मिल करके अपीलेट कोर्ट का गठन करेंगे और इस तरह से उसी गांव-वाले ही तो उसमें आयेंगे शहर से या विलायत या फ्रान्स से तो आनेवाले नहीं। इसके साथ साथ वह दिन भी नहीं आया है जिससे हमारी जनता के चरित्र का उत्थान हो चुका हो। श्रीमन्, ऐसा भी देखने में आया है कि किसी ग्राम पंचायत ने किसी मुकदमे में मुलजिम पर दस रुपया जुर्माना करने का आदेश निकाला और उससे दस रुपया वसूल कर लिया गया लेकिन रेकॉर्ड में सवा रुपया ही चढ़ाया। इस प्रकार की हमारी ग्राम पंचायतें हैं। जहां हमारे लोग इतने बुद्धिमान, निष्पक्ष हों तो उनको इस प्रकार से उच्च अधिकार सौंप देना उचित नहीं है।

आज जितनी भी पंचायत समितियां हैं वे सब दलीय आधार पर बनी हुई हैं। हमारी सरकार भी चाहती है और हम भी चाहते हैं कि दलबन्दी इन पंचायत समितियों में न हो लेकिन वह आ ही जाती है। आज जहां पंचायत समितियों में दलबन्दी का बोलबाला है उनको न्याय पंचायतों के गठन का अधिकार दिया गया तो न्याय पंचायतें भी दलबन्दी के आधार पर बनेंगी। श्रीमन्, इस अपीलेट कोर्ट में पांच या छः मेम्बर होंगे। हो सकता है पंचायत समितियों के जो चालीस, पचास वोटर्स होंगे उनको खरीदा जा सकता है। जब कि हमारा यह अनुभव है कि कौन्सिल ऑफ स्टेट के चुनावों में विधान सभा के सदस्यों के वोट पैसे के आधार पर खरीदने की कोशिश की गई तो आज इस छोटे तबके के अन्दर इस तरह से पैसे का उपयोग वोट के लिये नहीं किया जायगा, यह हम नहीं मान सकते। पंचायत समितियों के चुनाव में भी पैसे का

Page No.61

(मेजर श्री फतहसिंह)

प्रयोग हुआ है तो इन न्याय पंचायतों के गठन में जहां अधिकार होगा किसी के जीवन-मरण के प्रश्न के तय करने का वहां पर भ्रष्टाचार से काम लिया, जायगा इसमें दो राय नहीं हो सकतीं। मैं सरकार को सतर्क करता हूं कि वह दिन अभी नहीं आया है कि इस प्रकार से आत्महत्या का प्रयोग हम यहां करें।

श्रीमन्, माननीय मन्त्री महोदय ने जो इस बिल के इन्चार्ज हैं यह ठीक कहा था कि इन न्याय पंचायतों में अपीलेट कोर्ट में वकालत पास किया हुआ व्यक्ति होना चाहिये। उनका सुझाव ठीक था लेकिन उन्होंने उसको प्रेस नहीं किया। ऐसे भी सदस्य हैं जो वकील समाज को बुरा समझते हैं। हमें याद रखना चाहिये, वकीलों ने जितनी इस राष्ट्र की सेवा की है और किसी ने नहीं की है। सर्वश्री गांधी, नेहरू, डॉ०राजेन्द्र-प्रसाद ये सब बड़े बड़े वकील थे। उन्होंने अपने अपने ढंग से इस राष्ट्र की सेवा की है। हमारा संविधान है उसका निर्माण किसने किया, विधान के प्रणेता कौन थे? डॉ० अम्बेडकर, जो बैरिस्टर थे। इस तरह से सारे वकील समाज को अपमानित करना उचित नहीं। होगा जहां हमारा संविधान कहता है कि हर एक मुलजिम को इस बात का पूरा अधि-कार है कि वह अपनी रक्षा के लिये अपने डिफेन्स में वकील को खड़ा करे। ठीक है, ग्राम पंचायतों के स्तर तक वकील को उपस्थित होने की इजाजत न दें। लेकिन जब अपीलेट ऑथोरिटी के सामने मुकदमा जाता है वहां पर तो वकील को इजाजत मिलनी चाहिये और आवश्यक है। वहां पर वकील सिविल और क्रिमिनल मामलों में अच्छी तरह से मुद्दई मुद्दायले की पैरवी कर सके। सरकार का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इरादे तो आपके अच्छे हैं, आखिर हमें जनता को अधिकार देने हैं लेकिन अभी हमारी जनता इन सब अधिकारों को बर्दाश्त करने योग्य नहीं है इसलिये इस वक्त ये अधिकार न दें और पहले जिस प्रकार का संशोधन रखा गया था अपीलेट कोर्ट के निर्माण के सम्बन्ध में उसी प्रावधान पर हमें चलना चाहिये। श्रीमन्, यद्यपि हमारे प्रशासन में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, फिर भी मैं यह कहूंगा कि राजस्थान की जुडीशियल सर्विस और राजस्थान की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी अधिकांश अफसर ऐसे हैं जो न्याय करते हैं, और जो भ्रष्टाचार से परे हैं। उनका बहुमत अधिकांश में इस प्रकार का है। और जहां तक राजस्थान की जुडीशियरी सर्विस का सवाल है वह भ्रष्टाचार से काफी ऊपर उठी हुई है। अगर कहीं है भी तो बहुत कम भ्रष्टाचार है। इसलिये जनता को अपी-लेट कोर्ट का असल लाभ देना है तो ग्राम पंचायतों की अपील, उनकी अपील, केवल मुंसिफ और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही सुनें, इस प्रावधान को स्वीकार करना है और मैं सदन के समक्ष समस्त सदस्यों को और विशेष कर सत्ताधारी दल के सदस्यों को निवे-दन करूंगा कि आपके भी, चूंकि सभी के सुझाव माननीय मन्त्री महोदय के प्रस्ताव के विरोध में आये हैं और इसलिये लगता है कि आप भी सब यह चाहते हैं कि इस न्याय पंचायत का गठन पंचायत समितियों के द्वारा न हो, सामने जब मतदान का समय आवे तो निष्पक्षता से वे काम करें और केवल चाबुक के इशारे पर न चलें।

(मेजर श्री फतहसिंह)

इतना ही कहते हुए और इस प्रस्ताव की निन्दा करते हुए, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि केवल मुंसिफ और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को ही अपीलेट ऑथोरिटी कायम किया जावे, इसी में सारे राजस्थान के पिछड़े लोगों का और देहाती जनता का कल्याण है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोतीलाल ।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : उपाध्यक्षजी, जो संशोधन माननीय मन्त्री महोदय ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और नीति और व्यवहार दोनों दृष्टियों से इसे ठीक समझता हूं । हमने पंचायत कानून पास करते समय बहुत से पॉवर्स पंचायतों को दिये, जिसमें जुडीशियरी पॉवर भी एक पॉवर था और इसके अपील के लिये हमने निर्णय लिया था कि इलेक्टेड बॉडी वह हो और इसलिये तहसील पंचायत बनाई । माननीय उपाध्यक्षजी, इसका विरोध करते हुए माननीय सदस्यों ने कहा और सरदारशहर से आनेवालों ने तो कह दिया कि उसको अचानक रातोंरात बदल दिया । वे मुझे माफ करेंगे । वे भी उस समय इस सदन के सदस्य थे जिन्होंने पिछली बार पंचायत कानून पास किया था और उसमें जुडीशियरी पॉवर पंचायतों को दिया था और तहसील को अपील का अधिकार दिया था । अब सिम्पल अमेंडमेंट केवल इस बात का ला रहे हैं कि पंचायत और तहसील पंचायत के उन अधिकारों का एडजस्टमेन्ट हो रहा है ....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Has the Mehta Committee suggested that Judicial Powers should be given to the Panchayats ?

श्री मोतीलाल : Please excuse me. मैं अपनी राय दूंगा । मैं उनके डाइरेक्शन से बोलनेवाला नहीं हूं । जो मुझे उचित सूझता है, कहनेवाला हूं ।

श्री श्रीभानसिंह : Of course, everybody has got a right.

श्री मोतीलाल : बात यह आती है कि जहां तहसील पंचायत को अपीलेट ऑथोरिटी दी थी वहां नये बिल के अनुसार जो पॉवर दिया था जुडिशियरी का वह इस हाउस का अकेले का निर्णय नहीं था, सारे हिंदुस्तान में कांग्रेस संस्था की बड़ी से बड़ी कमेटी ने यह निर्णय लिया था । ऑल इन्डिया कांग्रेस कमेटी के पांच आदमी बैठे थे जिन्होंने लिखा था कि यह होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Member ! I will not allow that extract to be placed on the Table of this House.

श्री मोतीलाल : माननीय उपाध्यक्ष, मैं जहां तक देखता हूं यह अकेले की मेरी राय नहीं है, यह राय अनेक देश के बहुत से लोगों की है, जो विवेकपूर्ण और बहुत ही देश के बुजुर्ग आदमी हैं जो ऑथोरिटी हैं उनकी राय है कि ग्राम पंचायत की तहसील पंचायत अपीलेट ऑथोरिटी रखा जावे ।

इसके बाद मेहता कमेटी की रिपोर्ट आई । इसमें निर्णय यह लिया गया की ग्राम पंचायत का काम ज्यादा होता है इसलिए न्याय पंचायत अलग से बना दी जावे ।

(श्री मोतीलाल)

अब रहा सवाल हाउस में एक्सेप्ट किया हमने उसको। अपील अब कौन सुने, इसका सवाल रहा। इसमें अपील का प्रावधान हमने मुन्सिफ और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को रखा। जिस समय रिपोर्ट इस कमेटी ने दी थी, अच्छे अच्छे विचार रखनेवाले थे। कोर्ट के ऊपर लोड करना नहीं है, कोर्ट से न्याय उचित मिलता नहीं है, इसलिए फण्डामेन्टली....

श्री श्रीभानसिंह : ऐसा तो कोई एक्सप्रेशन नहीं है कि कोर्ट से न्याय उचित नहीं मिलता है ?

श्री मोतीलाल : कीमती मिलता है, कम कीमत में नहीं मिलता कमती। कीमत पर, कमती मुसीबत पर, कमती समय में मिल जावे तो नहीं मिलता। कानून की पूरी हेरा फेरी से मिलता है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : बहुत कमती कीमत पर न्याय खरीद कर लिया जावे, यह एड और कर दें आप।

श्री मोतीलाल : चुने हुए लोगों के पास काम आने के बाद पैसे वाले न्याय खरीद नहीं पा रहे हैं, इसलिए पैसे वाले आदमी विरोध करते हैं। गरीबों के समर्थक चाहते हैं कि न्याय सस्ता, जल्दी और सुलभ रूप से मिल सके। खरीदनेवाले खरीदते थे पहले।

श्री भैरोंसिंह : ये गरीबों के प्रतिनिधि बोल रहे हैं !

श्री उपाध्यक्ष : It is a fine compliment.

श्री श्रीभानसिंह : इन गरीबों के प्रतिनिधि के पास खातीपुरा में ४०० बीघा का फार्म है, बस।

श्री मोतीलाल : पंचायत समिति को अधिकार रहेगा न्याय करने का, तो यह अपीलेट ऑथेरिटी रहेगी। पंचायत समिति एक अपील मेकटी बना देगी और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज भी जो पंचायत समिति का कॉन्स्टीट्यूशन है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी डिबेट के दौरान में....

श्री श्रीभानसिंह : On a point of Order, Sir, the Hon'ble Member...

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a point of order Sir, अभी आपने (श्री श्रीभानसिंह की संकेत करते हुए) फर्माया कि खातीपुरा में आपकी ४०० बीघा जमीन है ....

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !! I would request Hon'ble Member whether he is raising any Point of Order or something to attract the attention of the House ?

श्री भैरोंसिंह : On Paoint of Information, Sir,...

श्री उपाध्यक्ष : I won't allow as some point of order has been raised by Shri Satish Chandra.

श्री भैरोंसिंह : I can seek information.

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अभी जब आप बोल रहे थे तो न्याय को सस्ता करने की बात कह रहे थे, गरीबों की बात कह रहे थे; तो रूपवास से आलेवाले माननीय सदस्य ने चार्ज के रूप में कहा था कि आप गरीब और किसान बनते हैं, पर आपकी चार सौ बीघा जमीन खातीपुरा में है।

श्री भैरोंसिंह : उनके लिए आपने यह एलीगेशन लगाया है। तो इसके बारे में वे स्पष्टीकरण करें कि इस बात में कितना तथ्य है। चार सौ बीघा आपकी तो नहीं है ?

श्री श्रीभानसिंह : मैंने कोई चार्ज नहीं लगाया। अब कितनी है एक्चुअली, तो यह माननीय सदस्य बता सकते हैं। मैं नहीं बता सकता। इनके पास है, यह मैं जानता हूं और यही कहा है मैंने।

श्री उपाध्यक्ष : I don't want to treat it as important one and therefore drop it. I will request the Hon'ble Member to proceed on with the debate.

श्री मोतीलाल : माननीय उपाध्यक्षजी, मुझे अफसोस है कि किसान पर एक जागीरदारों का पिट्ठू मुझ पर चार्ज लगावे।

श्री श्रीभानसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि न तो मैंने अपने आपको किसान कहा और न मैं आपको किसान की परिभाषा में गिनता हूं। और मैंने, जहां तक चार्ज का सवाल है यह नहीं चार्ज लगाया कि उनके पास ४०० बीघा जमीन है, कितनी है। उस पर आपने जागीरदारों का पिट्ठू कहा है यह मिसएन्टीसिपेट कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि यह जागीरदारों के पिट्ठू उन्होंने मुझे कहा है या किसी और को कहा है।

श्री मोतीलाल : माननीय सदस्य जो राइट को बैठे हैं ....

श्री उपाध्यक्ष : I would not treat it as controversial issue and I have given my observation.

श्री भैरोंसिंह : 'जागीरदारों' के पिट्ठू उन्होंने कहा है, यह किसको कहा है। ये शब्द उनके आपत्तिजनक हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौन हैं वे जागीरदारों के पिट्ठू ? वे हैं या हम हैं, कौन हैं, दोनों में से कोई एक है यह स्पष्ट करें। उनका किस पर इस तरह का आक्षेप है ?

श्री परसराम मैदरीना (आसीन) : इस तरह से गरीबों की पैरवी करते हैं या नहीं करते हैं, उन पर इल्जाम लगाना गैर मुनासिब है।

श्री श्रीभानसिंह : वही तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर कौन क्या करता है ? और यह जो माननीय सदस्य ने शब्दों का उपयोग किया 'जागीरदारों का पिट्ठू'; वह खुद के लिए उपयोग किया है तो ठीक है, मैंने उन पर कोई चार्ज लगाया नहीं है, इसलिए अगर मेरे लिए नहीं कहा है तब तो

(श्री श्रीभानसिंह)

कोई बात नहीं, पर अगर मेरे लिए ये व र्ड्स यूज़ किये गये हैं तो मैं इसके लिए चेयर की प्रोटेक्शन चाहूंगा कि या तो वे इन शब्दों को वापिस ले लें या इनको प्रोसीडिंग्स में से एक्सपन्ज किया जावे, इसको एक्सप्लेन किया जावे।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : There should notbe any use of such words as 'जागीरदार का पिट्ठू' in this House.

श्री उपाध्यक्ष : I would like to know whether this has been directed to a Member of this House ?

श्री मोतीलाल : मैं कह रहा था। मैं कह रहा हूं कि मैं एक किसान हूं। मैंने यह कहा था : 'जागीरदारों के पिट्ठू' गल्त भावना रखते हैं। यह कह रहा हूं। आपने यह कहा है कि मेरे पास ४०० बीघा जमीन है। मैं बता दूं आपको कि मेरे पास २५ बीघा जमीन है, ४०० बीघा नहीं है। इसमें मुझे कोई जागीरदार समझ सकता है, कोई पूंजीपति सकता है और अब कौन क्या है; मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री श्रीभानसिंह : यह तो क्लीयर हो गया, क्लीअर कर दिया। ओन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, मैंने यह कहा था इन एडवटेन्टली या मजाक से कि ४०० बीघा जमीन है, तब माननीय सदस्य ने ऑब्जेक्शन रेज़ किया तो मैंने स्पष्ट कर दिया कि मुझे, एरिया कितना है यह स्पेसिफिक मालूम नहीं है; माननीय सदस्य से इसके लिए पूछ लिया जावे। इस पर माननीय सदस्य ने 'जागीरदारों का पिट्ठू' कह कर चार्ज लगाया। मैंने यह समझा कि वे स्वयं के लिए कहते होंगे या किसी के लिए कहते होंगे, पर उन्होंने आगे स्पष्ट कर दिया कि मेरे लिए कहा है, मेरे लिए ये वर्ड यूज़ किये हैं। इसलिए मैं चाहूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि क्या यह जायज़ है कि इस तरह से चार्ज लगाया जावे और ऐसे शब्द काम में लाये जावें? उन्होंने और भी गरीबों के लिए कहा, खास कर गरीबों की पैरवी की बात कही, मैं निवेदन कर दूं कि गरीबों की पैरवी यहां जितने वोट लेकर वे करने आये हैं उतने वोट लेकर मैं भी करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष, यह पिट्ठू शब्द अनपार्लियामेंट्री है।

श्री मोतीलाल : माननीय ....

श्री श्रीभानसिंह : Again on a point of protest, Sir, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका निर्णय चाहूंगा। इस तरह से सदन के किसी सदस्य पर आरोप लगाना और पिट्ठू कहना जायज़ नहीं है।

श्री मोतीलाल : मैंने तो कहा जनरली उनके लिए जो मेरे खिलाफ में बोलते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर यह निर्णय चाहूँगा कि माननीय सदस्य ने यह कहा है कि जो जनरली इनके खिलाफ में बोलते हैं तो मैं तो उनके खिलाफ में बोलता हूं नहीं। माननीय सदस्य जो अपोजीशन में हैं वे बोलते होंगे तो बोलते होंगे। पर आपने कहा कि जनरली जो मेरे खिलाफ बोलते हैं....

श्री भैरोंसिंह : You wish to shift the charge on the Members of the Opposition...

श्री श्रीभानसिंह : That is what he says.

श्री उपाध्यक्ष :Order, Order please. As I could sense the expression of the Hon'ble Member, the word so used was not directed, to any individual member of the House. In any way, I don't appreciate the use of this word. I have more than once pointed out that such expressions which are likely to disturb any Hon'ble member, that should be avoided and I hope, my request will receive due attention and in future such expressions, as many times pointed out, may not be used.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, अगर जनरल कहा गया है तो यह सारे सदन का अपमान है और यह तो और भी ज्यादा सीरियस मैटर है ; या तो इसको विथड्रा करें या एक्सपंज करवाये जायें ।

श्री उपाध्यक्ष : I have given my observations and what I could feel is that the Hon'ble Member never wanted to insult any Member.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : जो जनरली मेरे खिलाफ बोलते हैं' इसका मतलब तो यही हुआ कि अपोज़ीशन के लोग बोलते हैं........

श्री उपाध्यक्ष : Order, order please.

श्री दयाकृष्ण विजय : यह तो अपोज़ीशन के मेम्बर्स पर खुला आरोप है....

श्री उपाध्यक्ष : जैसी मैंने व्यवस्था दी है कि माननीय सदस्य की मन्शा किसी माननीय सदस्य को अपमानित करने की नहीं थी ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): It was particularly mentioned for the opposition.

श्री उपाध्यक्ष : No, it was never meant to disturb the Members of the Opposition.

श्री मदनसिंह : No, Sir. He meant.

श्री उपाध्यक्ष : I hope the Hon'ble Member does support me,

श्री मोतीलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बोल रहा था कि अपीलेट बॉडी एक इलेक्टेड बॉडी होनी चाहिए । मेरी राय है कि अपीलेट ऑरिटी मुन्सिफ या मजिस्ट्रेट के पास न होकर पंचायत के मेम्बरों द्वारा इलेक्टेड हो । इस प्रकार की जो व्यवस्था सरकार की तरफ से आई है, मैं इसके पक्ष में हूं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में संदेह प्रकट करते हुए कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि जो अपीलेट कमेटी होगी वह पंचायत समिति से कन्ट्रोल्ड होगी । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही हाउस से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी अपीलेट ऑथोरिटी एक रूप से एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज़ के लिए पंचायत समिति है और इसके अलावा एक स्टेन्डिंग कमेटी है लेकिन लॉ में क्लियर है कि अपीलेट ऑथोरिटी के हाथ में जो काम हैं वे पंचा-

(श्री मोतीलाल)

यत समिति के काम से बिल्कुल भिन्न हैं और उनका आपस में कोई संबंध नहीं है। माननीय सदस्यों को जो सन्देह है कि उसमें पंचायत समिति का कन्ट्रोल होगा तो वह बिल्कुल नहीं होगा। यह स्पष्ट है कि अपीलेट बॉडी जो कि इलेक्टेड होगी वह पंचायत समिति के मेम्बर्स ही उनको इलेक्ट करेंगे। इसीलिए कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि अपीलेट कमेटी के ऊपर पंचायत समिति का प्रभाव पड़ेगा और लोगों को उचित न्याय नहीं मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करूंगा और सदन से अनुरोध करूंगा कि इसका गलत अर्थ न लें। यह बहुत स्पष्ट है कि न्याय पंचायतें बनेंगी और उनको वोट देने वाले पंच और सरपंच होंगे, पंचायत के। आप कहते हैं कि अपीलेट कमेटी के मेम्बर्स को पंचायत समिति के मेम्बर्स इलेक्ट करके भेजेंगे तो उसके कन्ट्रोल में होंगे, पर ऐसी बात नहीं है। जो इलेक्टेड मेम्बर्स होंगे वे इन्फ्लुएन्स में क्यों आयेंगे? अगर यह बात है तो हमारी विधान सभा के जो इलेक्टेड मेम्बर्स होते हैं वे किसी से इन्फ्लुएन्स्ड क्यों नहीं हो जाते? वे अपने अलग विचार रखते हैं और हाउस में अपनी अलग राय रखते हैं और उसी दृष्टिकोण से काम करते हैं। अगर आप मानते हैं कि किसी के द्वारा इलेक्ट होने के बाद में उससे प्रभावित होते हैं तो यह बिल्कुल नहीं होता है। हमारे यहां हाई कोर्ट के जज भी तो अपॉइन्टेड होते हैं लेकिन जो उनकी जुडिशियल पॉवर्स हैं उनको वे पूरी तरह एक्सर्साइज़ करते हैं और इन्डिपेन्डेन्टली काम करते हैं। इसलिए इस अपीलेट कमेटी के अन्दर कोई भी पंचायत समिति का कन्ट्रोल नहीं होगा। जिस तरह मैंने कहा कि अभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अपील होती है उस पर पंचायत समिति का कोई कन्ट्रोल नहीं होता है, वह स्टेन्डिंग कमेटी सब कुछ इन्डीपेन्डेन्टली करती है। मेरा विचार यह था और जैसा कि सरकार ने भी अपना विचार रखा कि अगर हम अपीलेट ऑरिटी के लिए डाइरेक्ट इलेक्शन रखेंगे तो उसमें खर्चा बहुत होगा और अब इसको इलेक्टेड रखा गया तो जब कि पंचायत समिति भी इलेक्टेड बॉडी है और जनता के द्वारा चुनी हुई बॉडी है तो भी ठीक है। इससे क्या है कि खर्चा भी कम होगा। अब पंचायत समिति उनके लिए सारे प्रबन्ध करेगी, मकान दे सकती है, उनके लिए बाकी का खर्चा भी दे सकती है। ऐसा प्रावधान पंचायत समितियों में कर सकते हैं। इससे खर्चा भी कम होगा और कमेटी भी बन जायेगी और चुने हुए सदस्यों की होगी उसमें न्याय भी अच्छा मिलेगा; ऐसी भावना है। इसलिए मैं इस संशोधन के पक्ष में हूं और सरकार से निवेदन करूंगा और हाउस के सभी माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे इसको पास कर दें। यह अपीलेट कमेटी इलेक्टेड ही होनी चाहिए। और ऐसा प्रावधान दुनिया में कई जगह है और डीग से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि अमेरिका के अन्दर भी जजेज़ इलेक्टेड होते हैं और भी विदेशों में जुडिशियल बॉडी इलेक्टेड होती हैं। वहां में और यहां में इतना केवल ही फर्क है कि वहां डाइरेक्ट इलेक्शन होते हैं और यहां इन्डाइरेक्ट। पर हमारे यहां डाइरेक्ट इलेक्शन्स तो पंचायतों के होते हैं और पंचायतों के मेम्बर पंचायत समितियों में जाते हैं और पंचायत समिति के मेम्बर अपीलेट बॉडी के सदस्यों

(श्री मोतीलाल)

का चुनाव करते हैं। पहले जो व्यवस्था थी उसके अन्दर तहसील पंचायतें थीं....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : एक प्रश्न यह है कि अपीलेट ऑथोरिटी जो होगी वह एक तरह से पंचायत समिति के ऑफिस में होगी और न्याय पंचायत का अलग ऑफिस होगा तो उसके ऊपर तो असर पड़ेगा।

श्री मोतीलाल : माननीय उपाध्यक्ष-जी, किसी पंचायत समिति के ऑफिस में मीटिंग हो तो कोई आपत्ति नहीं होगी और अपीलेट कमेटी की मीटिंग पंचायत समिति के ऑफिस में होने से पंचायत समिति के कन्ट्रोल में वह होगी, ऐसी बात नहीं है। हम भी तो यहां किसी के मकान में बैठे हैं। यह मकान भी महाराजा का है तो क्या हम उनके कन्ट्रोल में हैं? अगर यही हम सोचें कि पंचायत समिति के मकान में बैठने से ही प्रभाव पड़ेगा तो ऐसी बात नहीं है। माननीय उपाध्यक्षजी, सन्देह हो सकता है कि पंचायतों का जो फैसला होगा उसके फैसले पर पचायत समिति का कोई असर पड़े, जैसा कि डीग से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था। मैं निवेदन करूंगा कि वह स्थिति भी नहीं है क्योंकि न्याय पंचायतों का फैसला कोई गांव के सरपंचों का या पंचों का नहीं है। वह बिल्कुल फ्री होंगी। वह तो बिल्कुल वोट देने वाले दूसरे हैं, व्यवस्था करने वाले दूसरे हैं, ऐसी स्थिति में दोनों फ्री हैं। इतना है कि दोनों ही बॉडीज इलेक्टेड हैं। जो व्यवस्था इस समय रखी गई है वह तहसील पंचायत से भी अच्छी रखी गई है। तहसील पंचायत में क्या होता था कि जो पंच और सरपंच फैसला करते थे उनके ऊपर प्रभाव पड़ जाता था। यहां पर न्याय पंचायतों के फैसले पर अपील करने के लिए एक अपीलेट कमेटी बनाई गई है तो उसके मेम्बरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, न ग्राम पंचायत का असर पड़ेगा। यह बिल्कुल अलग बनेगी और अलग बन कर अलग रहेगी। इस पर पंचायत समिति का भी कन्ट्रोल नहीं होगा। वह तो बनने के बाद में अलग हो जायेगी और जो अपील की व्यवस्था है वह अपीलेट कमेटी को होगी। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि जो माननीय मन्त्री महोदय ने संशोधन रखा है इसको हाउस एक मत से स्वीकार करे और इससे यह फायदा होगा जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा था कि वकील नहीं जा पायेगा तो मैं इतना ही कहूंगा कि जहां तक इसका सवाल है इसके ऊपर एक ऑल इन्डिया बेसिस की कमेटी बैठाई थी। उसमें डॉ० काटजू थे और एक और हैं। दोनों ने माना है कि वकीलों को अवॉइड करके जुडिशियल स्टेज पर वकील नहीं आ सकें, इतना ही फायदा होगा। उस दृष्टिकोण को देखते हुए राजस्थान में पहली पंचायत बनी थी। उसके बेसिस पर वकील को पास में नहीं आना चाहिए ताकि लोगों का खर्च कम हो और लोगों को वास्तविक न्याय मिल जाय। लेकिन वहां की वास्तविक स्थिति क्या है? उस बेसिस पर फैसला देंगे।

तीसरी बात मैं कहूंगा कि जैसा सवाल पहले बिल में रखा था तो लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जुडिशियल आदमियों के पास ग्राम पंचायत की अपील रखने के बजाय ग्राम पंचायत के पास रिवीज़न रखा जाय। इतना न रख कर एक अपील का

Page No.69

(श्री मोतीलाल)

प्रोवीज़न राजस्थान सरकार ने एक स्टेज और दिया। लॉ कमीशन की रिकमन्डेशन क्लियर है...

डॉ० बहादुरसिंह : कौन सा नम्बर है पेज का ?

श्री मोतीलाल : मैं ठीक कह रहा हूं।

श्री श्रीभानसिंह : They have not kept an appeal if you read and if you can read.

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : The Hon'ble Member will desist from misguiding.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : It is a misquoting.

श्री उपाध्यक्ष: I hope the Hon'ble Members will not disturb.

श्री मोतीलाल : जब वे बोल रहे थे तब मैंने कोई डिस्टर्ब नहीं किया था।....

श्री श्रीभानसिंह : It is wrong on the part of the Hon'ble Member to seek misinformation from a mis-informed member.

श्री मोतीलाल : मेरे ख्याल से इस तरह से डिस्टर्बेन्स करना और वह भी XXXX करके डिस्टर्ब करना किसी मेम्बर को...

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को जो इन्टरपशन्स किये गये हैं वे इन्टरपशन्स इसलिए नहीं किये गये हैं कि माननीय सदस्य को हैरेस किया जाय या उनके भाषण में जो तारतम्य बन रहा है उसको इन्टरपशन्स के द्वारा किसी प्रकार से तोड़ा जाय। प्रश्न उनसे इन्फोर्मेशन सीक करने का था। मम्बर्स को इस प्रकार का राइट है। यदि हाउस में इस प्रकार की इन्फोर्मेशन दी जाती है कि वह अपने आप में पूर्ण नहीं हो तो कोई भी सदस्य इन्फोर्मेशन के रूप में जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस संबन्ध में जो इन्टरपशन्स किये गये थे उन इन्टरपशन्स से इस प्रकार का मोटिव इम्प्यूट करना कि इन्टरपशन एक XX वे में किये गये हैं तो XXX शब्द से मैं समझता हूं कि सारे सदन पर एस्पर्शन कास्ट किया गया है, जो कि किसी प्रकार से उचित नहीं है, और....

श्री श्रीभानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी गलती की कि इन्फोर्मेशन माननीय सदस्य से सीक की है। मुझे नहीं मालूम था कि इन्फोर्मेशन माननीय सदस्य के पास में नहीं है। उन्होंने कहा कि XXX करके इन्टरप्ट कर रहे हैं यह बिल्कुल उचित नहीं है। अगर इन्फोर्मेशन नहीं देना चाहें तो वे कन्टीन्यू रखें। मगर उस पर यह कहें कि इन्टरपशन्स कर रहे हैं तो उस XXX करके शब्द को प्रोसीडिंग्स में से एक्सपन्ज करना चाहिए। यह मोटिव्ज़ इम्प्यूट करता है इन्फॉर्मेशन के पोइन्ट ऑफ व्यू से कोई भी इन्फॉर्मेशन सीक करें मेम्बर तो यह कहें कि XXX करके डिस्टर्ब कर रहे हैं।

XX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया

XX अध्यक्ष से आदेशानुसार पीठ निकाला गया

Page No.70

श्री उपाध्यक्ष : I could follow the issue.

श्री मोतीलाल : माननीय उपाध्यक्ष,....

श्री श्रीभानसिंह : But the Hon'ble Member refuses to follow the issue, Sir.

श्री मोतीलाल : मेरे ख्याल से मैं बोल रहा था कि अपील कमेटी में आगे....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष, क्या हुआ ?

श्री पी. के. चौधरी : This should be expunged.

श्री उपाध्यक्ष : Order, Order, I treat this expression which is not desirable and I treat that it conveys some motive attributed to the Hon'ble members and therefore this expression may be expunged from the proceedings.

(विपक्ष की ओर से करतल-ध्वनि)

श्री मोतीलाल : मुझे कोई आपत्ति नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था अपील कमेटी के संबन्ध में....

श्री मदनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ साथ एक ऑनरेबल मेम्बर ने यह कहा था कि 'हाउस को मिसगाइड कर रहे हैं ;' यह शब्द भी एक्सपन्ज कर दिये जायं ।

श्री उपाध्यक्ष : I expect that the Hon'ble Member will not be over sensitive.

श्री मोतीलाल : मैं भी चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था हो जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा था कि मैं हाउस को मिसगाइड कर रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Member should I expect you are winding up your debate?

श्री मोतीलाल : मैं इसका नोटिस नहीं ले रहा हूं । मेरा नोटिस दुनिया का लेना भी उचित नहीं है । जो समझते नहीं हैं उनको कहें । मिसगाइड मैं नहीं करता हूं । उनको समझदारी से शब्द यूज़ करना चाहिए । मैं इतना सा कहूंगा कि उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए अन्यथा मिसगाइडेन्स पैदा करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : Please proceed on with the dedate.

श्री मोतीलाल : माननीय उपाध्यक्ष, मैं यही कह रहा था कि जहां तक सवाल आता है एक मजिस्ट्रेट और मुन्सिफ के पास में एक न्याय पंचायत के फैसलों की अपील भेजें, तो स्थिति ऐसी आती है कि न्याय पंचायत पंचायत बनाये ही क्यों ? वे ऐसा कहते कि आज से ११ साल पहले एक मजिस्ट्रेट और मुन्सिफ के पास में अपील नहीं होकर ऑर्डिनेरी केसेज़ जाते थे । हम उसके पास भेजते हैं एक पंचायत के, एक इलेक्टेड पंचायत के फैसले, जहां कि ५ आदमी इलेक्टेड होकर, इकट्ठे होकर उनकी एक जुडिशियल बॉडी होगी उनके फैसलों की अपील छोड़ते हैं मुन्सिफ के पास में, मजिस्ट्रेट

Page No.71

(श्री मोतीलाल)

के पास में। जब कि यह मान कर चलें, फिर माननीय सदस्य आपत्ति करेंगे इसलिए मैं पहले ही....

श्री उपाध्यक्ष : मैं आशा करता हूं कि आप वाइन्ड अप कर रहे हैं।

श्री मोतीलाल : मैं एक किताब, जिसका नाम है, 'Village Panchayat in India, कोटेशन देता हूं।

एक माननीय सदस्य : इसमें इतना सा...

श्री मोतीलाल : यह आई. सी. एस. के, श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल ने लिखा है....

श्री भैरोंसिंह : यह पार्टी की किताब है। इसको हाउस में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मोतीलाल : लेकिन इसके अन्दर श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल जो कि प्लानिंग कमीशन के मेम्बर हैं उनके कोटेशन हैं, मेरे नहीं हैं। आज वे पार्टी के मेम्बर नहीं हैं; जो कि प्लानिंग कमीशन के मेम्बर हैं। उन्होंने लिखा है कि सारी पंचायतों के अंदर हम ऐसी कोशिश कर सकते हैं कि पंचायतों के पास में न्याय और उसके बाद में अपील की जो जुडिशियल स्थिति हो वह पंचायतों के पास रहे। उसके अन्दर यह कहें कि अनपढ़ लोग भी फैसला कैसे करेंगे, तो यह गलत कहते हैं। उसके बाद अगर जरूरी समझें तो जज और सब जज पंचायतों के अन्दर जाकर राय दे सकते हैं, लीगल ओपीनियन के दृष्टिकोण से ऐसी व्यवस्था भी कायम हो सकती है। लेकिन पंचायतों को जुडिशियल पॉवर होनी चाहिये। इन्हें अपील की पॉवर होनी चाहिए। मैं इतना ही कह कर, इसको कोट नहीं करूंगा, उसका जो सार है उसको कहकर कि देश के अन्दर जो विचारक हैं, जो इस विषय के सोचने वाले हैं कि पंचायतों को क्यों ला रहे हैं, पंचायतों के हाथ में पॉवर क्यों दे रहे हैं।........

श्री श्रीभानसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, किसने कहा ? यहां पर डिस्प्यूट यह है कि अपीलेट ऑथोरिटी कौन हो। इस बुक के अन्दर सब एक्टस के एक्ट्रेक्ट्स हैं, जितने भी पंचायत एक्ट्स हैं। उसमें अपीलेट ऑथोरिटी के लिए कहां दिया है, क्योंकि मेरी भी वह किताब पढ़ी हुई है ? न्याय पंचायतों के लिए रिविज़न का दिया है उसकी अपील मुन्सिफ मजिस्ट्रेट को दी हुई है।

श्री मोतीलाल : मैं कह रहा था कि माननीय सदस्य के ध्यान में स्पष्ट हो जायगा। मैं यही कह रहा था कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और मुन्सिफ के पास में अपील आयेगी तो वकील जायेगा।

श्री श्रीभानसिंह : वह बुक कोट कर रहे हैं। उस बुक के लिए मैं कह रहा हूं। वह पढ़ कर मैं बता दूं।........

श्री उपाध्यक्ष : Why should you like to prolong the debate ? Now it is on the verge of winding up.

श्री मोतीलाल : इससे स्पष्ट हो जायगा Gram Panchayat shall be constituted

(श्री मोतीलाल)

to dispose of gustice , ये शब्द कहे गये हैं। उसके बाद में क्या कहा,' The poor person need not go to courts for litigation. He can get all the necessay opportunities in villages to fight out his case without experts and lawyers. मैं यह कह रहा था कि अपील होने के बाद में मुन्सिफ कोर्ट में जायगा तो वकील आयेगा।

श्री श्रीभानसिंह : I don't think the Hon'ble Member expects any claps for the relevancy of what he has just read here, Sir ?

श्री मोतीलाल : माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह कह रहा था कि मुन्सिफ की कोर्ट के पास अपील के लिए जाता है तो वकील करना पड़ता है। तो वकील से बचने के लिए लिखा है। काश्तकारों को वकील के पंजे से बचाने के लिए पंचायतों को अधिकार देना चाहिए ताकि वकील के पास जायेगा तो पैसा लगेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कुम्भारामजी को बना दिया जाय।

श्री मोतीलाल : मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं कहता। ग्राम पंचायतों और न्याय पंचायतों की अपील की बात कहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य की इच्छा है जानकारी के लिये क्योंकि वे खुद अच्छे वकील हैं....

श्री भैरोंसिंह : अच्छे वकील है या वकील हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : वकील हैं।

श्री मोतीलाल : अच्छे वकील होने के नाते वे चाहते हैं कि ऊपर तक उनका दायरा बना रहे, केसेज़ उनके पास आते रहें, मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होने के अधिक से अधिक पैसे मिलते रहें....

श्री उपाध्यक्ष : I Hope, you are not repeating. We are indulging in repetitions.

श्री मोतीलाल : न्याय पंचायत के फैसले की अपील रखते हैं तो कोर्ट में नहीं रखना चाहिये। हमको रखना चाहिये इलेक्टेड बॉडी के पास और वहां पर वकीलों को नहीं आने देना चाहिये। यदि यह करेंगे तो अच्छा न्याय मिलेगा। उसके आगे अगर जाना चाहें तो हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, वहां पर वकील कर सकते हैं...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हाई कोर्ट में वकीलों को क्यों जाने देना चाहते हैं ?

श्री मोतीलाल : मैं इस पर ऐतराज नहीं करता। जो अमेंडमेंट रखा गया है उसको हम मंजूर करें ताकि जनता की बात को इलेक्टेड बॉडी सुन सके, इससे जनता को भी जानकारी मिलेगी।

श्री उपाध्यक्ष : काफी प्रकाश मिल चुका है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, धारा ३८ में पंचायत मंत्रीजी द्वारा जो संशोधन रखा गया है वह मेरे लिये ही नहीं बल्कि सदन के सारे माननीय सदस्यों के लिये आश्चर्य का विषय था

Page No.73

(श्री दयाकृष्ण विजय)

और अब भी है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको पंचायत एक्ट में लाने का कारण क्या है । पंचायतें सन् ५३ से चली आ रही हैं और जिनके पास न्याय और प्रशासन दोनों ही कार्य थे उनके बारे में सारे राजस्थान में इस प्रकार का अनुभव आये कि पंचायतों के पास केवल प्रसाशन का कार्य ही रखा जाय और न्याय करने का काम अलग रखा जाय; इस प्रकार की मांग न केवल विरोधी दल से आई बल्कि इस प्रकार की मांग की अहमियत को, कि जुडिशियरी को एग्ज़ीक्यूटिव से अलग किया जाय सत्ताधारी गुट ने भी स्वीकार किया है और उसी भावना को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का बिल यहां पर लाया गया है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल के जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स रखे हैं उनमें भी यह बताया है कि जुडिशियरी को एग्ज़ीक्यूटिव से अलग कर रहे हैं, इसलिये न्याय पंचायत का गठन किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त आज हमारे अनुभव यह हैं कि पंचायतों को जो न्याय का अधिकार दिया गया उसके बारे में उदाहरण दिये गये कि उनके द्वारा पक्षपात से काम लिया गया । इससे ऊपर उठने के लिये न्याय पंचायत का गठन किया गया । अपीलेट ऑथोरिटी भी रखी जाय । पहले यह था कि न्याय पंचायत जो निर्णय देती है उसकी अपील मुन्सिफ के पास दीवानी मामलों में की जाय और मजिस्ट्रेट के पास फौजदारी मामले में हो सकती है । जब इस बिल को माननीय सदस्यों के पास सक्यूंलेट किया गया तो हमने संतोष की सांस ली कि जो बातें तहसील पंचायत में होती थीं वे अब नहीं होंगी और लोगों को न्याय मिलेगा । तहसील पंचायत में ही लोग होते थे जो ग्राम पंचायत के सरपंचों की कृपा से जाते थे और उनके आपस में दलबंदी या गुटबंदी होती थी । पंचायत का जो फैसला गया वह तहसील पंचायत में बहाल हो गया और यदि खिलाफ के गुट के हैं तो बदल गया । इस तरह की इलेक्टेड बॉडीज के हाथ में न्याय का काम देते हैं तो वे चुननेवाले लोगों या मतदाताओं की ओर ध्यान देते हैं क्योंकि वे उनकी कृपा पर जीवित रहते हैं और उनको इस बात का ध्यान रहता है कि यदि अमुक पंचायत का फैसला बदल दिया तो उसमें जितने पंच ८ या ११ हैं वे सब उनके खिलाफ होंगे और उनको यह ध्यान होगा कि यह हमारे फैसले को बदलते हैं इसलिये उनको आइन्दा नहीं चुनना चाहिये । इसलिये उनसे अच्छा सम्बन्ध बनाने के लिये चाहे वे गलत ही हों, उनके फैसलों को बहाल रखते हैं । हम जब जनता को राहत देना चाहते हैं, वहां आपने सुन्दर सुझाव रखा था कि तहसील पंचायत समाप्त होनी चाहिये और उनकी अपील सुनने का अधिकार मुन्सिफ या मजिस्ट्रेट को होना चाहिये । लेकिन अचानक आपने जो संशोधन रखा उसको देख कर आश्चर्य हुआ। आपने अपिलेट समिति पंचायत समिति के मेम्बर्स द्वारा चुनी हुई रखी है । पंचायत समिति एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, यह आपने पंचायत समिति और जिला परिषद् एक्ट में घोषित किया है और उसको जुडिशियल के काम का अधिकार नहीं दिया है । आप यह कहते हैं कि हम उसको केवल चुनाव करने का अधिकार देना चाहते हैं । मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जितने अधिकार चुनी हुई बॉडी के नहीं होते उससे अधिक चुनाव करने वालों

(श्री दयाकृष्ण विजय)

के होते हैं। इस प्रकार की मंशा पहले नहीं थी; बल्कि इस प्रकार का विचार चल रहा था कि जो हाई कोर्ट का प्रभाव है, शक्ति है उसको लोएस्ट लेवल तक पहुंचायेंगे। इसका तरीका यह था कि हर जगह मुंसिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट खोली जायगी और उनको गाइड करने के लिये जूरी सिस्टम रखा जाय ताकि लोगों की राय ली जा सके। मेरा भी यह मत है कि छोटे छोटे स्थानों पर तहसीलदार हैं उनके पास अधिकार विशेष नहीं हैं। जो उनके पास पॉवर्स थीं वे पंचायत समितियों को दी गई हैं। उनके पास रेवेन्यू कलेक्शन की पॉवर है वह भी पंचायतों को देना चाहते हैं, ऐसा स्वीकार कर चुके हैं। हाई कोर्ट की स्थिति को लोवेस्ट लेवल पहुँचायें तो आपकी पंचायत समिति बैठेगी, वह कहेगी कि मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के पास ले जाइये, इसमें अतिरिक्त खर्चा होगा। मैं यह सुझाव देता हूं कि तहसीलदारों को हटा दीजिये और उनके स्थान पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट रखिये और इसके अतिरिक्त उनको गाइड करने के लिये जिस अपिलेट ऑथोरिटी की आप कल्पना करते हैं,वह भी रह जायगी। वहां पर अधिकतर लोगों के द्वारा चुने हुए लोग जूरी के रूप में बैठें जिनकी सलाह को ये मजिस्ट्रेट और मुंसिफ मानें। लेकिन ऐसा प्रोसिजर हो, जैसा कि मैंने कल भी सुझाव रखा था कि न्याय पंचायत के गठन में जो सदस्य होंगे वे शिक्षित होने चाहिये। यदि शिक्षा का प्रबन्ध नहीं रखना चाहते हैं तो उनको ट्रेनिंग दीजिये और फिर उपाधि दीजिये कि वे न्याय विशारद हो गये हैं। कम से कम उनको यह तो बताइये कि प्रोसिजर किस प्रकार का अदालत में बैठने का और काम करने का होता है। यह प्रोसिजर तो उनको सिखाइये। पंचायतें जो आजकल न्याय देती हैं वह मौखिक हो जाता है, उनका तरीका अच्छा नहीं है। कम से कम अनुशासन रखने का तरीका होना चाहिये। हमारी पंचायतों में जिस प्रकार के लोग चेयरमैन और मेम्बर्स हैं उनके लिये ट्रेनिंग कैसी रखी जाय? मेरे सुझाव को इसलिये नामंजूर किया गया कि हमारे पास जो क्षेत्र है उसमें इस प्रकार के आदमी नहीं मिलेंगे। सेमिनार चलायेंगे उनके द्वारा इन्हें ट्रेनिंग देंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि न्याय व्यवस्था को समझानेवाले व्यक्ति जब तक वहां नहीं बैठेंगे तब तक न्याय व्यवस्था में अनुशासन नहीं आ सकता। मेरा सुझाव यह है कि आप हाई कोर्ट के अंतर्गत, मैं तो आपत्ति करना चाहता हूं कि पहले आपने पंचायत को डिज़ोल्व करने का पॉवर डिस्ट्रिक्ट जजेज़ को दिया था वह वापिस ले लिया है। मैं कहना चाहता हूं कि वापिस लेकर स्टेट गवर्नमेन्ट को दिया है, यह व्यवस्था करने का सुन्दर तरीका नहीं है क्योंकि हमारी जुडिशियरी सेपरेट होनी चाहिये। वहां आपने सेपरेट रखा था, डिस्ट्रिक्ट जजेज़ को पॉवर्स दिये थे। उसमें यदि गड़बड़ी होती है, किसी प्रकार की पॉवर्स को ओवर रूल करते हैं और किसी प्रकार का संकट उत्पन्न होता है, तो डिस्ट्रिक्ट जज हाई कोर्ट के अन्तर्गत है, जो जुडिशियरी सेपरेट है, इन्डिपेंडेंट है, उसमें डिस्ट्रिक्ट जज आता है। हमारी स्टेट गवर्नमेंट चुनी हुई आती है, वह उन लोगों से चुनी जाती है जो राजस्थान की प्रजा है, और अभी जैसा जौहरी बाजार, जयपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने रखा था कि पंचायत मंत्री ने इस तरह के डिसीज़न दिये हैं जिनकी उन्हें

Page No.75

(श्री दयाकृष्ण विजय)

पॉवर नहीं है। उनके लिए पिटीशन करके हाई कोर्ट में जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने खुद नगरपालिका को बन्द कर दिया। उसी तरह कुछ साथियों के कहने में आकर, केबीनेट के साथियों के कहने में आकर स्टेट गवर्नमेंट इस प्रकार की गड़बड़ी कर सकती है, इस प्रकार के पक्षपात और अन्यायपूर्ण काम कर सकती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो जुडिशियल पॉवर है, उसको अलग रखा जाय। आपने जो जुडिशियल मामलों के सम्बन्ध में संशोधन किया है, मैं उसके सम्बन्ध में आपत्ति नहीं करना चाहता, लेकिन वर्तमान स्थिति में उसे अच्छा नहीं समझता और जो पॉवर्स पहले विधेयक में रखी थी उनको रखने, वह स्पष्ट विचारों की प्रतीक थी लेकिन यहां बैठने के बाद, कुछ लोगों के कहने में आकर वह विचार बदल कर यह विचार किया कि वे सारी पावर्स गवर्नमेंट के पास आ जायं, यह तरीका अच्छा नहीं है यह स्टेट गवर्नमेंट को अपने हाथ में नहीं रखनी चाहिए, बल्कि जो इन्डिपेंडेंट बॉडी है, जो हाई कोर्ट है, उसके डिस्ट्रिक्ट जज को यह देनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज हम अपिलेट ऑथोरिटी बनायें, वह ऑथोरिटी कई लोगों की चुनी हुई संस्था हो, पंचायत समिति में जो २५, ३० आदमी बैठे हैं उनमें से अपिलेट ऑथोरिटी चुनी जायगी, इसके साथ ही वह एक स्टेंन्डिग कमेटी होगी, जैसे दूसरी पंचायत की स्टेंन्डिग कमेटी होती है, वह पंचायत समिति की सलाह के लिए काम करती हैं, उसका चुनाव नहीं होता है, वह पंचायत समिति का ही रूप है, इसलिए अपीलेट ऑथोरिटी भी पंचायत समिति द्वारा चुनी जायगी, इसलिए वह भी पंचायत का रूप है और जब कि पंचायत समिति एक एक्ज़ीक्यूटिव बॉडी है, जुडिशियरी बॉडी नहीं है, वह जनता द्वारा चुनी हुई है इसलिए वह उससे प्रभावित रहेगी, इसलिए जो अपीलेट ऑथोरिटी होगी वह उन लोगों के प्रभाव से मुक्त नहीं होगी। अपीलेट ऑथोरिटी है, वह प्रारम्भिक न्याय देती है ताकि लोगों को एक्सपर्ट्स की राय मिल सके। जैसा मेरे पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि गांव वालों को सस्ता न्याय मिलना चाहिए इसलिए यह जरूरी है कि अपीलेट ऑथोरिटी में वे व्यक्ति हों जो कानून जानने वाले हों; इसके साथ ही पंचायत यह देख सके कि इसके फैक्ट्स क्या हैं। जिस तरह रीविजन की पॉवर्स डिस्ट्रिक्ट जज के पास रखी हैं, वे केवल कानूनी फैक्ट्स को देखते हैं। वे दूसरे फैक्ट्स में नहीं जाते, इसकी रीविजन में कमी रहती है, इससे लोगों को संतोष नहीं होता है। इसलिए अलग अपील सुनने वाली शक्ति होनी चाहिए और अपील सीधी अपीलेट ऑथोरिटी के पास नहीं जानी चाहिए क्योंकि रीविजन से वह कमी दूर नहीं होती है। इसलिए अपील सुनने वाली शक्ति हो, जो इन्डिपेंडेंट हो, जनता के द्वारा चुनी हुई नहीं हो, कानून में माहिर हो और वह शक्ति हो सकती है मुन्सिफ, मजिस्ट्रेट, क्योंकि वह इन्डिपेंडेंट है और हाई कोर्ट के मातहत है, और उस पर जनता के चुने हुए व्यक्तियों का प्रभाव नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो आकस्मिक तरीके से, बमविस्फोट के तरीके से अमेंडमेंट रखा गया है उसको वापस ले लिया जाय, इस प्रकार का संशोधन रखा जा सकता है। मैं मानता हूं कि कभी साधारण मन और बुद्धि में नई

(श्री दयाकृष्ण विजय)

बात आती है, कभी दूसरों की सलाह से कोई बात आती है, लेकिन उसमें तर्क नहीं रहता हो, वजन नहीं रहता हो तो उसको वापिस लेने में प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं आता। मैं समझता हूं कि दा साहब बुजुर्ग हैं, समझदार हैं, वे इस पर गम्भीरता से विचार करें क्योंकि सदन के बहुत से माननीय सदस्य इसके खिलाफ हैं ' यह नई चीज़ है, नई परम्परा है, और जो शिक्षित नहीं है, जो न्याय देने के मामले में ट्रेन्ड नहीं हैं उनके हाथ में आप सत्ता दे रहे हैं, जिससे किसी प्रकार मैं न्याय-संगत नहीं समझता। इसलिए इस पर गम्भीरता से विचार करते हुए, सारे माननीय सदस्यों के विचारों का ख्याल रखते हुए, इस पर गम्भीरता से विचार करें और इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना कर जो आपने संशोधन रखा है उसको वापिस ले लीजिये, यही मेरा निवेदन है।

(श्री मोतीलाल के मन्त्री महोदय के पास बैठने पर)

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या केबिनेट में कुछ एक्सटेन्शन और हो गया है?

श्री उपाध्यक्ष : How is that ?

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : Hon'ble Member Shri Moti Lal Chaudhary is there...

श्री उपाध्यक्ष : That is a temporary phase which is now vanishing.

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : No explanation please.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन पर काफी बहस हुई है और कई माननीय सदस्यों ने विचार रखे। एक मुख्य विचार यह है कि सेपरेशन ऑफ एग्ज़ीक्यूटिव और जुडिशियरी होना चाहिए लेकिन अगर ठीक तरह से संशोधन को देखा जाय तो उसके अन्दर यह सिद्धान्त निहित है। इसमें न्याय पंचायत के कॉन्स्टीट्यूशन, उसके इलेक्शन आदि का जो कुछ इसमें समावेश किया है उन प्रोविजन्स को देखें तो यह प्रोविजन है और वह प्रोविजन है, दोनों में साम्यता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर न्याय पंचायत के सदस्यों के इलेक्शन का जो तरीका है उसको देखें तो जो पंचायतें बनाई गई हैं वे तो विकास के लिऐ बनाई गई हैं, उसके पास एग्जीक्यूटिव पॉवर्स हैं, लेकिन जो वे न्याय पंचायत के पंचों को चुन लेते हैं तो उसके बाद न्याय पंचायत के सदस्य, वे सारे सदस्य, जो न्याय पंचायत के रूप में आते हैं वे बिल्कुल इन्डिपेंडेंट हैं, वे अपना वर्क इन्डिपेंडेंटली करेंगे, केवल उनका इलेक्शन पंचायत समिति के सदस्यों से होगा, उससे फर्क नहीं होने वाला है। जिस तरह न्याय पंचायत का इलेक्शन पंचायत से हो रहा है, इसी प्रकार इसमें भी है, इलेक्टेड बॉडी पंचायत समिति अपीलेट ऑथोरिटी को चुनेगी। उसके बाद उसमें साम्यता आ जायगी। जो अपील कमेटी चुन ली जाती है, वह स्वतन्त्र है। उसके बाद पंचायत समिति का अपील कमेटी पर अधिकार नहीं रहेगा। वह किसी भी मामले के अन्दर, अपील कमेटी के काम के अन्दर इन्टरफिअर नहीं कर

(श्री सोहनलाल भटनागर)

सकेगी। इसलिए मेरे ख्याल से यह कहना कि पंचायत समिति इन्टरफिअर करेगी, यह ठीक नहीं है क्योंकि इसमें किसी तरह के इन्टरफिअरेन्स की व्यवस्था नहीं है । इस दृष्टिकोण से मेरे ख्याल से, जब हमने न्याय पंचायत के सिद्धान्त को मान लिया है, जो पंचायत के सदस्य हैं वे न्याय पंचायत के सदस्यों को चुनेंगे, इसे मानने से जो सेपरेशन का सिद्धान्त है उस पर कहीं धक्का नहीं लगता है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक इलस्ट्रेशन और देना चाहूँगा। आप सब जानते हैं कि जज का अपॉइन्टमेंट होता है। वह प्रेसीडेन्ट करता है। लेकिन प्रेसीडेन्ट का चुनाव सारी पॉर्लियामेंट के मेम्बर्स और असेम्बली के मेम्बर्स मिल कर करते हैं। लेकिन इस तरह चुनाव कर देने का मतलब यह नहीं हुआ कि जज इन्डिपेंडेंट नहीं होगा....

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : गवर्नमेंट नोमीनेट कर दे, फिर क्या बात है ?

श्री सोहनलाल भटनागर : इस दृष्टिकोण से एक दफा चुनाव हो जाता है, उसके बाद इन्डिपेंडेंटली काम करेगी और उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।

दूसरा ऑब्जेक्शन, उपाध्यक्ष महोदय, जो इसमें बताया गया है कि अपील के अन्दर फेक्ट्स में जाते हैं, यह विदाउट जुरिस्डिक्शन है, इल्लीगल है, हमारी रीविजन की पॉवर्स जो जुडिशियल कोर्ट को है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दे दी गई है लेकिन फेक्ट्स के बारे में कहा जाता है कि पंचायतों को जुडिशियल अधिकार देना, मूलभूत सिद्धान्त है; उसके विपरीत होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आसपास गांव में रहनेवाले लोग हैं वे अच्छी तरह जानते हैं कि वे जल्दी से जल्दी क्या न्याय है और क्या अन्याय है, इसकी जांच कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से अपील के अन्दर जो फेक्ट्स चाहिए, तो जो जनता के लोग हैं, उनसे जल्दी अवेलेबल हो सकती है ....

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : लॉ के मामलों में अपील नहीं होती है।

श्री सोहनलाल भटनागर : लॉ के मामलों में होती है, अगर विदाउट जुरिस्डिक्शन, मेटीरियल इल्लीगेलिटी से हुई है। माननीय सदस्यों ने फेक्ट्स के लिए, उसके लिए मैं निवेदन कर रहा था। तो फेक्ट्स के ऊपर उनको न्याय मिल जाता है, इस दृष्टिकोण से यह लिखा था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अपीलेट ऑथोरिटी का सवाल है, हमारे राजस्थान में तहसील पंचायत के रूप में हम कई सालों से उसे देख रहे हैं और मेरे ख्याल से राजस्थान में बहुत सी मुन्सिफी टूट रही हैं, काफी दूर दूर तक मुन्सिफी नहीं है। इस ख्याल से ठीक है और जो व्यवस्था इस संशोधन में की है उसको मानना चाहिए।

३. म. प.

श्री उपाध्यक्ष : श्री महेन्द्रसिंह पंवार।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : श्रीमन्, प्रस्तुत विषय पर, मुझे खुशी है कि सदन में काफी गम्भीरता से विचार हो रहा है। श्रीमन् जब पंचायतों द्वारा न्याय करने

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

की व्यवस्था पर विचार किया जाता है तो हम कभी कभी कुछ पुरानी उनझनों में फंस जाते हैं। पंचायतों को न्याय करने की शक्तियां दी जायं, इसके पीछे कईसिद्धान्त हैं। कौनसा ऐसा तत्व है जिसको बुनियादी और महत्वपूर्ण मान कर इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं कि पंचायतों को न्याय की शक्ति दी जाय ?

एक दलील यह है कि पंचायतों को न्याय करने की शक्ति दी जाय क्योंकि न्याय का काम करना पंचायतों का ही काम है। एक तो इसे बुनियादी उसूल मान कर लोग चलते हैं। दूसरी दलील यह हो सकती है कि गांवों में रहने वाले लोगों को गांवों में ही अपने दरवाजे के ऊपर सहज सुलभ न्याय मिल सके और इस सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए गांवों में जो संगठन हैं उन्हीं को न्याय की शक्ति दी जाय। क्यों उन्हें दूसरी जगह न्याय की भीख मांगने जाना पड़े ? तीसरी दृष्टि यह हो सकती है कि हमने जनतंत्र की परिपाटी को माना है, इसलिए उजला या स्याह कोई भी काम करना है वह जनतन्त्र की दृष्टि से करना चाहिये। तो कौन सी दृष्टि से यह स्वीकार कर रहे हैं, यह जान नहीं पड़ता। यदि पहला सिद्धान्त कि क्योंकि पंचायतें हैं न्याय करना पंचायतों का काम रहा है, इसलिए पंचायतों को न्याय करने की शक्ति दी जानी चाहिये, यह मान कर यह शक्ति देते हैं तो यह गलत है। भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। दलील दी जाती है कि पंचायतों के द्वारा भारतवर्ष में पहले न्याय होता था, पर आप उनसे पूछिये उन पंचायतों की रूप-रेखा क्या थी ? वे पंचायतें आज की तरह इलेक्टेड कभी नहीं होती थीं, वह गांवों के मुखियाओं की जमातें थीं, गांव में जितने कुटुम्ब रहते थे, उन कुटुम्बों के मुखियाओं की एसोसियेशन्स थीं संस्थाएं थीं जो अपने अपने आश्रित लोगों के हित की दृष्टि से बैठ कर फैसले आपस में निबटा लेते थे। परिपक्व लोग जिनसे उनके आश्रित आशा करते थे कि ये बच्चों की तरह लालन-पालन करने की दृष्टि रखते हैं उन लोगों के संगठन का नाम पंचायत था। आज उस नाम को दूसरी संस्था के नाम से करके यह आशा करें कि वही प्रतिष्ठा इनकी रहे, तो यह ठीक नहीं।

दूसरा सिद्धान्त है, उसका मैं कायल हूं। गांव वालों को घर से दूर, इतना दूर जाना पड़े कि जिस कीमत का न्याय मिले उससे ६ गुनी कीमत तो उसकी खर्च हो जाय, नष्ट हो जाय, उसके खेती के धन्धे में नुकसान हो, उसको घर के दूसरे कामों से दूर रहना पड़े, इन बातों से देखें तो वह न्याय इतना मंहगा पड़ता है कि वह अन्याय से भी बुरा है। तो गांवों ही में यह न्याय की शक्ति दें, चाहे न्यायलय को दें, चाहे पंचायत को दें, किसी को दें। यह दृष्टि मानने योग्य है कि हर जगह सुविधा से, बिना खर्चे के न्याय मिले।

तीसरी दृष्टि से यदि कर रहे हैं तो मैं निवेदन करूं। अपीलेट ऑथोरिटी का संशोधन मन्त्री महोदय ने रखा। मैं समझता हूं उन्होंने आपस में बातचीत करके रखा होगा पर इसमें बुनियादी गल्ती है। जहां से यह चीज़ उठी उससे ठीक विपरीत में हम चले जाते हैं। जुडिशियरी और एग्ज़ीक्युटिव को सेपरेट करने के लिए यह किया गया। सबसे पहले सदन में मैंने यह दलील उठाई कि पंचायतों को न्याय का अधिकार देते हैं, किस सिद्धान्त से उनको न्यायाधीश बना रहे हैं, यह

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

तो हमारे संविधान के बुनियादी उसूल के खिलाफ है। यह नारा सबसे पहले मैंने लगाया, इसके बाद और सदस्यों ने भी यह नारा लगाया, लगाना ही चाहिये, बुनियादी उसूल का सवाल है। मगर उस बात के आधी दूर जाकर, केवल आंसू पोंछने की दृष्टि से कुछ अपना कर आखिरी कदम ऐसा उठाया बिल्कुल उसके विपरीत, यह कोई शोभनीय बात नहीं है। जुडिशियरी और एग्ज़ीक्युटिव को सेपरेट करने के लिए न्याय पंचायतों को अलग बनाते हैं पर जुडीशियरी और एग्ज़ीक्युटिव का क्या भेद है, इसको जाने बगैर, असली भेद क्या है, इसको बिना समझे कहीं हाथ-पांव मारते हैं, जहां जाते हैं एग्जीक्युटिव में फंस जाते हैं। जुडीशियरी और एग्जीक्युटिव का भेद यह है कि एग्ज़ीक्युटिव के किसी आदर्श विशेष के आशय से, उसकी भरती करने के नियम दूसरे होते हैं। उसके ऊपर दूसरी संस्था है एडमिनिस्ट्रेशन, उसको उसके प्रशासन में रहना पड़ता है, पर जुडीशियरी अपॉइन्ट-मेंट के बाद आजाद होती है। उस पर एडमि-निस्ट्रेटिव या प्रशासनिक कन्ट्रोल नहीं होता, केवल उसकी आत्मा का कन्ट्रोल है उस पर, उसके फंक्शन्स हैं कानून पर, जिसे अंग्रेजी में जुडीशियल कॉन्शियस कहते हैं। उसके अलावा और कोई नियन्त्रण उस पर नहीं होता। और कोई नियन्त्रण है तो वह अपीलेट नियन्त्रण है, लेकिन वह नियन्त्रण जज पर नहीं, फैसले पर नियन्त्रण है। यह बुनियादी भेद होता है एग्ज़ीक्युटिव और जुडीशियरी का। आपकी चुनी हुई पंचायतों के ऊपर सीधा कन्ट्रोल होता है वोटर्स का। मैंने यह दलील दी थी कि चुनी हुई संस्था से आप उम्मीद करते हैं कि न्याय करेंगी तो यह गलत है, कोई आदमी चुनाव लड़ कर आता है तो पक्ष से आता है, बिना पक्ष के कोई सदस्य चुनाव जीत नहीं सकता। एक पक्ष उसके हाथ में रहता है। कोई सर्व सम्मति से चुना गया हो, ऐसा आज तक सुना नहीं। शायद सर्व सम्मति से चुना जाय। ऐसा तो वाशिंगटन या गांधीजी हो सकते हैं, बल्कि मैं तो समझता हूं गांधीजी के खिलाफ भी काफी थे, वर्ना उनको गोली का शिकार क्यों होना पड़ता? तो गांवों में आप समझते हैं, उनके खिलाफ पार्टी नहीं होगी? कोई भी चुनाव के माध्यम से आयेगा तो पार्टी का आदमी बन कर आयेगा उसके लिए आप कैसे कह सकते हैं कि वह जुडीशियल कॉन्शियनेस रखने वाला है? उस पर पार्टी का असर है, वह पार्टी को नाराज रख कर चल नहीं सकता। चाहे न्याय करने का काम उसे दे दिया जाय, चाहे म्युनिसिपल संस्था चलाने का काम हो, सड़क कुटवाने का काम हो, चाहे कुए खुदवाने का काम हो उसे दे दीजिये, चाहे दो लड़ने वालों का फैसला करने का अधिकार दे दीजिये, वह चुनाव की पृष्ठ भूमि से बच कर काम नहीं कर सकता। तो चुनाव से आये हुए व्यक्तियों से न्याय कराना चाहते हैं तो वह बुनियादी गल्ती है।

माननीय सदस्य ने बताया, विदेशों में चुने हुए होते हैं, पता नहीं किस जगह है। मुझे तो जहां तक पता है धरती पर किसी जगह ऐसा सिस्टम नहीं अमेरिका में था पर वर्षों के निर्णयों के बाद उसे हटा दिया। इंगलैंड में तो पुलिस का कॉन्स्टेबल भी चुना हुआ होता था पर इंग्लैंड ने वह सिस्टम छोड़ा कि चुने हुए आदमियों की व्यवस्था कर्मचारी वर्ग में नहीं चल सकती, न्याय की संस्था

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

में नहीं चलेगी,चुने हुए आदमियों की व्यवस्था विधान भवनों मे चल सकती है ।

तो मज़ाक के तौर पर आप इस दलील को आगे ले जाना चाहें कि चुने हुए ही अच्छा न्याय कर सकते हैं तो हाई कोर्ट भी चुना हुआ होना चाहिये । हाई कोर्ट को अबोलिश करके विधान सभा को हाई कोर्ट के पॉवर दीजिये फिर हम तमाशा देखें कि किस तरह न्याय होता है । एक माननीय सदस्य ने ब्रट मेजोरिटी कह दिया और झगड़ा हुआ , एन्लॉइटन्ड मेजोरिटी कहिये और फिर देखिये कि यहां किस तरह के फैसले होते हैं । तो चुनी हुई संस्था सिद्धान्ततः अयोग्य होती है न्याय करने के, इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करते तो आप न्याय व्यवस्था की बुनियाद ही नहीं जानते । तो मुझे बड़ा ताज्जुब है कि ट्रिब्यूनल भी इलेक्टेड बनायें, इसको एक हद तक मान लें, हर गांव में जज अपॉइन्ट करने में भार पड़ता है, चुनी हुई संस्था को न्याय करने का अधिकार दें आशा तो यह करनी चाहिये कि अपनी जानकारी पर वह फैसला नहीं करेगा, जज में गुण होना चाहिये, व्यक्तिगत नॉलेज के आधार पर कोई फैसला नहीं करे । क्योंकि सच झूठ का निर्णय करना बड़ा मुश्किल काम है, नहीं तो कोई भी गवाह कटघरे में आता है और बयान देता है तो क्यों नहीं मान लें कि वह सच बोलता है ? पर बात दरअसल यह है कि कभी कभी गलत इम्प्रेशन होने से, गलत जानकारी हो जाने से, कान में बात पड़ जाने से, और कई कारणों से आदमी का ज्ञान अशुद्ध हो जाता है। इसको परखने के लिये यह रखा गया है कि एक पक्ष उसका बयान करवाता है तो दूसरा पक्ष उससे जिरह करता है और इस तरह उसके ज्ञान को, अशुद्ध ज्ञान को कुरेदा जाता है। जो जज साहब अपनी जानकारी, नॉलेज के आधार पर फैसले करने लगें तो उन जज साहब को कौन कुरेदेगा ?

एक माननीय सदस्य ने यह दलील दी कि गांव के लोग वहां के हालातों की जानकारी रखते हैं । जब वे हालातों की जानकारी रखते हैं तो जज बनने का उनको क्या अधिकार है ? जो व्यक्ति सारी बातों की जानकारी रखता है तो वह जज बनने के लायक नहीं; उसे तो गवाह बनना चाहिये । जज किसको बनना चाहिये ? जज उसे बनना चाहिये जो मामले में कुछ नहीं जानता हो और जो सारे गवाहों को सुन कर और कागजात को देख कर, नीचे से ऊपर तक सारी बातों को अच्छी तरह से देख कर, समझ कर अपना निर्णय करता हो । प्राथमिक न्याय का अधिकार चुनी हुई न्याय पंचायतों को देने की बात एक हद तक मैं मान सकता हूं । मगर फिर भी प्राथमिक स्तर परजो फैसले होते हैं और उनकी अपील अपीलेट कोर्ट में होती है मगर इससे अपीलेट कोर्ट का जो फायदा उस पार्टी को मिलना चाहिये, नहीं मिल सकता और पहले नीचे की अदालत का फैसला अदालत के लिए इतनी मुश्किलात कर देता है कि उससे विशुद्ध न्याय नहीं मिल सकता । अगर आपको फैसलों में न्याय लेना है तो आप हाई कोर्ट में जावें । हम तो चाहते हैं कि गांवों में और तहसीलों में रहने वाले लोगों को सस्ता न्याय मिले मगर इसके लिए हाई कोर्ट की ब्रांचेज़ जगह जगह पर स्थापित हों । मगर हाई कोर्ट जोधपुर में रखा गया है ।

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

हमें हर चीज़ को बहुत सोच-विचार कर करना है जिससे हमें आगे आने वाली पीढ़ियें बुरा न कहें और याद रखें। वह हमारे कार्यों को इन्हीं अनुभवों के आधार पर तोलेंगी । आज तो हम इन चीजों को दलीलों के आधार पर तोल रहे हैं मगर उनके तोलने का आधार अनुभव पर होगा । गांव से आने वाले लोग गांवों की की घटनाओं पर तोलेंगे और हमारी तारीफ करेंगे कि हमारे न्याय संचालन करने वाले कितने अच्छे लोग थे । अगर हम किसी काम को बिना सोचे समझे करेंगे तो गांव गांव से आवाजें उठेंगी और उस समय लोग यह कहेंगे कि किन छोटी और अजीब भावना में आप बह गये ? मैं यह नहीं कहता कि ये मेरे ही विचार हैं मगर आपके बैस्ट एडवाइज़र्स हैं, चाहे आप किसी अमेरिकन विद्वान से पूछिये या और किसी से पूछिये, सब यही कहेंगे । अभी आप अपने एडवाइज़रों से इस संबन्ध में एडवाइस लेने के लिए गये थे, मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने आपको क्या सलाह दी ? मगर मैं यह मानता हूं कि कोई भी एडवाइज़र हो, विद्वान हो, यही कहेगा । आपने उनको फर्स्ट स्टेज पर मामलों को सुनने का अधिकार दिया है और अब आप फिर उनको रीविजन और अपील के पॉवर्स देने के लिए कहते हैं । मैं यह कहूंगा कि फर्स्ट स्टेज पर ही मान लें कि आपने गलत एविडेन्सेज़ ले ली हों, एविडेन्सेज़ पर ही सारा मामले का दारोमदार रहता है । आगे जब आप अपीलेट कोर्ट में जावेंगे और हाई कोर्ट में जावेंगे तो हाई कोर्ट और अपीलेट कोर्ट क्या करेंगे ? वे मजबूर हैं। क्योंकि हाथ कटे हुए पहले ही हैं।

इसलिए आप इन सारी बातों को गंभीरता से देखें और सोचें । यदि माननीय मंत्री महोदय यही सोचते हों कि प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों को लेकर हमें चलना चाहिये और प्रजातन्त्र में अपीलेट बॉडी, न्याय पंचायतों को रखना चाहिये ; अगर आप इसी सिद्धान्त को लेकर चलते हैं तो फिर आपको हाई कोर्ट को एबोलिश कर देना चाहिये और हमारी चुनी हुई बॉडी एसेम्बली है उसको दे देना चाहिये । अदालतों का स्थान तो पंचायत ले ले और हाई कोर्ट के स्थान पर एसेम्बली को पॉवर्स दे दें । मगर मैं यह कहूंगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते और यदि करेंगे तो आपके फैसले लिखने का काम न तो एसेम्बली करेगी और न कोई मंत्री महोदय करेंगे । नाम तो इस सदन का रहेगा और फैसला लिखेंगे कोई पी. ए. । क्योंकि जितनी भी इलेक्टेड बॉडीज होती हैं वे सब पार्टी बेसिस पर बनती हैं। इस पार्टी बेसिस को चाहे तो आप ब्लन्ट मेजोरिटी कह दीजिये या पार्टी सिस्टम कह दीजिये election system, any system... इसको आप कुछ भी कहना चाहें कह दीजिये, लेकिन न्याय को आप उन इलेक्टेड बॉडीज़ के हाथों में न दें । न्याय को उसी स्तर पर रखना चाहिये । मैं चाहता हूं कि सदन इसको गम्भीरता से सोचे और इस पर कदम उठाये और बिना सोचे समझे कदम उठावेंगे तो विशुद्ध न्याय की बुनियाद ही समाप्त हो जाएगी ।

श्री जयसिंह राणावत (आसिन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, धारा ३८ पर जो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं उनसे मैं अपनी असहमति प्रकट करता हूं । मुझे इन संशोधनों को देखने से ऐसा लगता है कि इस बिल को प्रस्तुत करते वक्त जो भावना थी उस भावना से कुछ

Page No.82

(श्री जयसिंह राणावत)

हे०–हेजार्ड वे में अलग होते जा रहे हैं और इसी लिए इस प्रकार के संशोधन किये जा रहे हैं। इसके कारण अपीलेट आँथोरिटी और न्याय को अलग करने की बात थी, वह बिल्कुल अस्पष्ट होती जा रही है। हमारे सामने चुनावों के परिणाम आये हैं उनको हम जानते हैं....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मंत्री): मैं तो विधेयक की बात सुनता हूं।

श्री जयसिंह राणावत : हमारे सामने चुनावों के परिणाम मीठे और कडुवे दोनों प्रकार के आये हैं और उनसे हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। चुनाव देश के लिये अच्छी चीज है। हमें अंग्रेजों को एक बार देश से निकालना था इसलिए हमने यह किया और इसके कटु परिणाम कुछ कुछ आज भी हमको देखने को मिलते हैं और इसका जो असर हुआ है वह हम जानते हैं। आज इस हद तक इसका असर हुआ है कि शहरों में ही नहीं बल्कि गांव गांव में और देहातों के एक एक परिवार में और यहां तक कि पति और पत्नी के बीच में भी आपस में मतभेद हो जाते हैं और इसका अच्छा परिणाम नहीं आया है।

तो मैं आपसे निवेदन करूं कि चुनावों और मत के परिणाम सिर्फ दल बनाते हैं और इससे निश्चय ही न्याय में फर्क आता है। चुने हुए लोग निश्चय ही न्याय करने की तरफ राजी होते हैं लेकिन वहां की स्थानीय परिस्थितियों को देखते उनको वही करना पड़ता है जो परिस्थितियों के अनुकूल होता है; इसलिए कभी भी सीधा न्याय नहीं होगा। हमारे यहां हम विधान सभा में ही देखते हैं कि एक पक्ष प्रबल है और जितने भी सदस्य आये हैं वे जनता के चुने हुए हैं और जनता की राय से आये हैं मगर हम देखते हैं कि दूसरे पक्ष वालों की कई मांगों में क्या वोइस है ....

श्री उपाध्यक्ष : आँर्डर! आँर्डर प्लीज़!!

श्री जयसिंह राणावत : लेकिन कई माने में उनकी क्या वोइस है? कई मानों में उनकी कोई सुनता नहीं। इसलिए जो न्याय आप न्याय अपीलेट आँथोरिटी से दिलाना चाहते हैं वे न्याय चुने हुए होने के कारण निष्पक्ष न्याय नहीं दे सकते और लोगों को कभी भी उनसे निष्पक्ष न्याय नहीं मिल सकेगा। हम यह चाहते हैं कि न्याय सस्ता मिले और सीधा और शीघ्र मिले। इसमें कोई शक नहीं कि हमें सीधा और शीघ्र व सस्ता न्याय मिले मगर चुने हुए आदमियों के हाथ में न्याय दे दिया जावेगा तो न्याय नहीं मिल पायेगा। माननीय उपाध्यक्ष, मैं बहुत ही असमंजस में हूं कि उनसे वहां की स्थानीय जनता को किस प्रकार से न्याय मिलेगा! इसलिए मेरी आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय से प्रार्थना है कि आप कई मानों में बहुत अच्छा कदम उठाते हैं तो इस पर भी सोच कर आम जनता के हित की बात करें और सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया है, इसलिये हाउस के बहुमत की कद्र करें और लोकतन्त्र में चुने हुए व्यक्तियों के हाथ न्याय नहीं दिया जाना चाहिये।

श्री किशनसिंह बाटड़ (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, न्याय पंचायतों के बारे में और न्याय पंचायतों से फैसले हो जाने के

(श्री किशनसिंह बाटड़)

बाद उनकी अपील कहां हो, उसके बारे में विचार हुआ। इस पर लोगों ने कई बातें कहीं और यह सोचा गया कि हम न्याय पंचायतों की अपील ऐसी जगह चुने हुए व्यक्तियों के हाथ में देंगे तो उसमें बहुत देर लग सकती है और जैसा हमको शक हो रहा है कि हम चुने हुए पंच पंचायत समिति में विरोधी पक्ष वालो के साथ पक्षपात करेंगे और इससे न्याय ठीक तरह से नहीं करेंगे। लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि इससे ज्यादा पक्षपात एक आदमी कर सकता है। एक आदमी फिर भी प्रभाव में आ सकता है लेकिन जो वहां पर चुने हुए आदमी होंगे वे तीन आदमी होंगे जिनकी कमेटी होगी और वे तीनों के तीनों ही उनके प्रभाव में नहीं आ सकते हैं। वे चुने हुये तीनों एक मत के नहीं होंगे। यह हो सकता है कि एक एक पक्ष का हो और दूसरा दूसरे पक्ष का। तीनों एक पक्ष के हों, यह बात नहीं है। यही तो हमको शक है। हम यहां, जितने भी सदस्य बैठे हैं एक पक्ष से नहीं आये हैं, कई पक्षों से आये हैं। जब हम यहां से गांवों में जाते हैं और गांवों में गैर पार्टी के आदमी भी होते हैं और अगर वहां पर किसी के चोरी हो जाती है हम यह नहीं सोचते की गांव में हमारी पार्टी के खिलाफ व्यक्ति के यहां पर चोरी हो गई है इसलिये अच्छा हुआ वहां पर एक के स्थान पर दो चोरियें होनी चाहिये। यही चाहते हैं कि इसके चोरी हो गई है तो इसकी चोरी का पता लगना चाहिये और इसका माल इसको जल्दी से जल्दी वापिस मिलना चाहिये। यह हमको नहीं हो सकता कि वह हमारो पार्टी का आदमी नहीं है इसलिए उसके लिये कुछ नहीं किया जाए। यह बात नहीं है कि हमको हमारे पार्टी के आदमी से ही मोह हो, जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि अपनी पार्टी के लोगों से ही मोह होगा। हमें तो सभी आदमियों से मोह है। हम ग्राम पंचायतों का चुनाव कराते हैं और पंचायत समितियों का चुनाव कराते हैं। वहां के लोग तो सभी को जानते हैं और दूसरा कोई भी जानता नहीं। आप यह चाहते हैं कि इसके लिये (न्याय देने के) बिल्कुल अनजान आदमी होना चाहिये। वह आदमी जो वहां की परिस्थितियों को जानता नहीं वह तो अच्छा न्याय करेगा और वह आदमी जो सब कुछ वहां की हालात जानता है और न्याय करना चाहे उसको आप बुरा मान लेना चाहते हैं। तो इससे मैं यह मानता हूं कि यदि आपकी यही दलील है तो आप कहां से लावेंगे आदमी? जो अनजान आदमी होंगे वे न्याय को कैसे समझेंगे? आप अपील करते हैं एस. डी. ओ. के पास। वकीलों का चक्कर होता है। अपील होगी अब न्याय पंचायत के पास। न्याय पंचायत के पंच लोगों को जानते हैं, जानते हुये उन मामलों का फैसला करेंगे। अपने दिल को नहीं दबायेंगे, जानते हुए दिल को नहीं दबोचेंगे। असेम्बली में आप बैठते हैं, लोक सभा में जाइये फिर। आप चुने हुये हैं। मैं तो कहता हूं कि आप न्याय दे नहीं सकते। कोई भी आदमी होगा वह चाहेगा कि इस पक्ष में जाऊंगा या उस पक्ष में जाऊंगा। साधु भी है, बाबाजी भी है तो भी उस या इस पक्ष में चले जावेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : पास में बैठे हुए सदस्य हैं उनको हटा दीजिए, उनका हाथ पहुँच जावेगा।

श्री किशनसिंह बाटड़ : हाथ नहीं पहुंच जावेगा।

Page No.84

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा सा माइक का ख्याल रख कर बोलिये। बस।

श्री किशनसिंह बाटड : न्याय पंचायतों की बात है। न्याय होगा वहां पर भी तो वकील नहीं जाने देंगे। न्यायाधीशों की बात सुन लेते हैं। न्याय पंचायतों के बाद पंचायत समिति होगी उसका पक्षपाती हूँ। मैं चाहता हूं कि अपील उसमें हो। वहां पक्षपात की बात देखने में नहीं आती। पक्षपात है तो वकीलों का है। वकीलों के बाप का है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वकीलों की बात करते हैं, सब के बाप वकील थे क्या? इसमें से वकीलों का शब्द निकाल देना चाहिये।

श्री किशनसिंह बाटड़ : वकीलों का शब्द वापिस लेना चाहता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : देश के बाप थे वकील गांधी।

श्री किशनसिंह : गांधीजी ने रास्ता बताया अमेरिका को, वकालत छोड़ने के बाद।

श्री उपाध्यक्ष : उनके बाद आप बने हैं।

(हंसी)

श्री किशनसिंह बाटड़: उनको वकालत छोड़नी पड़ी थी। ऐसे आदमियों को उनको साथ देना पड़ा जो वकालत नहीं करते थे। तो ऐसे आदमी भी थे उनके साथ मेरे जैसे जो कुछ नहीं जानते। तो पंचायतों में लोग सच्चाई से करते हैं, देखते हैं और सोचते हैं कि यह फैसला होना चाहिये। अच्छा लिखना न जानें तो दूसरों को बैठा कर लिखा देंगे। मैं इस संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सम्पतराज जैन।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने क्लॉज़ ३८ में जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत एक्ट, १६५३ की धारा ४६ के अनुसार पंचायत को अधिकार दिया है कि तथ्यों के आधार पर, सत्यता के आधार किसी मुकदमें या दावे का फैसला करें और पंचायत संशोधन विधेयक, ६० में भी यही धारा कायम रखी गई है जो कि मूल एक्ट में मौजूद है। ऐसी सूरत में पंचायतें तथ्यों के आधार पर फैसला करेंगी और जाब्ता दीवानी जाब्ता फौजदारी, कानून शहादत आदि कोई लागू नहीं होंगे। तो मैं समझता हूं कि उनकी अपील मुन्सिफ, मजिस्ट्रेट के पास रखी गई थी, उनकी कोई अपील होती तो वकील आते हैं, एविडेन्स के आधार पर मुन्सिफ और मजिस्ट्रेट फैसला करने की कोशिश करते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि जितने पंचायतों से होते हैं, दीवानी आदि, उन फैसलों में से ७० पर्सेन्ट अपीलें रद्द हो जाती हैं। ऐसी सूरत में संशोधन विधेयक के प्रथम वाचन पर जब बहस हो रही थी तो कई माननीय सदस्यों ने आपत्ति उठाई थी और कहा था कि अपील का अधिकार इलेक्टेड बॉडी के हाथ में होना चाहिये और सरकारी न्यायालयों को नहीं देना चाहिये। इसलिए यह संशोधन पेश किया गया। अब इसका भी विरोध किया जा रहा है। तो क्या सदन चाहता है कि जिस उद्देश्य के लिए न्याय

Page No.85

(श्री सम्पतराज जैन)

पंचायतें बनाई हैं अपील में जाकर वह उद्देश्य ही खत्म हो जाय और सस्ता न्याय लोगों को न मिल सके ? न्याय पंचायतों को कायम करने का उद्देश्य बताया गया है वह स्पष्ट है कि दीवानी, फौजदारी न्याय प्रशासन के हाथ में दिया जाय। पंचायतों के पास विकास के काम हैं, काफी अच्छा है और पंचायतें अब तक दीवानी और फौजदारी के मामलों के लिए अपना समय लगाती थी न्याय पंचायतों को अलग किया जा रहा है जिसमें वकीलों को नहीं आने दिया जावेगा और इससे पंचायतें अपने विकास के कामों को अच्छी तरह से कर सकेंगी। ऐसी सूरत में मैं निवेदन करूंगा कि यह जो संशोधन माननीय मंत्री महोदय ने पेश किया है, न्याय पंचायतों की अपीलें अपीलेट बॉडी में जावेंगी इससे सस्ता और सुलभ न्याय लोगों को मिलेगा और मैं इसका समर्थन करता हूँ। इस संशोधन को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद यादव।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ३८ में जो संशोधन रखा गया है उसका मैं स्पष्टीकरण करूंगा। स्पष्टीकरण इस प्रकार करूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय के पास यह डिपार्टमेंट नया ही नया है। जब कि २ अक्टूबर से, करीब ७ महीने हुए पंचायत समितियों के चुनाव हुए हमारे सदन के सब ही माननीय सदस्यों को अपने अपने क्षेत्र का पता है कि वहां पर यह चुनावों की पद्धति क्या कर रही है, वोट देने वालों के साथ, पक्षपात करने वालों के साथ क्या चोट उतरती है। तो किसी को न्याय की बागडोर दे दें और उस पक्ष या इस पक्ष के आदमी आ जाते हैं, किसी को जज मुकर्रर करते हैं तो वह व्यक्ति निश्चय ही बदले की भावना रखेगा। लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण सफल नहीं हो सकेगा, इसमें फूट-फजीते होकर गांव गांव में झगड़े हो जावेंगे। यदि हम राष्ट्रपिता गांधीजी की इस सदन में भी दुहाई देते हैं, उनके सत्य और अहिंसा को जिन्दा रखना चाहते हैं, सत्य और अहिंसात्मक तरीके से, सत्यमय तरीकों से राजस्थान प्रदेश के शासन को जीवित रखना चाहते हैं तो यह जो अमेंडमेंट आया है उसका मैं विरोध करता हूं। माननीय मन्त्री महोदय को कल मैंने अपने भाषण में कहा था और बताया था कि....

श्री उपाध्यक्ष : कल के भाषण आप न दोहराइये।

श्री हरिप्रसाद यादव : जब तक उदाहरण नहीं दूंगा समझ में कैसे आयगा ? उदाहरण के बिना समझ में आना मुश्किल बात नजर आती है। यहां हम पंचायत की कमेटी बना कर एस० डी० ओ० के कोर्ट और मुन्सिफ कोर्ट से फैसला करा लें। जनता कॉलेज में-श्री नागर साहब के कॉलेज में ट्रेनिंग होती है....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! आप व्यक्ति विशेष का नाम न लें।

श्री हरिप्रसाद यादव : पंचों और प्रधानों की ट्रेनिंग होती है उसके लिये मैंने निवेदन किया था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं, अगर कमेटी बना कर उनके द्वारा फैसले होते हैं तो यह हम भूल कर रहे हैं। जहां पंचायत समिति में बैठ कर

(श्री हरिप्रसाद यादव)

जो लोग न्याय करेंगे, वहां कई तरह के मेम्बर्स होंगे सभी वर्ग के लोग चुन कर आयेंगे। एक बार ट्रेनिंग के लिये आये हुए व्यक्तियों को सरकार नौकरी में प्राथमिकता देती है। इस प्रकार हम न्याय की बागडोर अनभिज्ञ लोगों के हाथों में देते हैं जो दस वोटों से चुन कर आते हैं, जिनको कानून का ज्ञान नहीं। आज जब कि हम कानून का राज्य कहते हैं कानून के अनुसार शासन चलाने को कहते हैं; जैसा कि मन्त्री महोदय अपने जोशीले भाषणों में और रंगीली बातों में कहा करते हैं कि यहां कानून का राज है, कानूनी राज्य है वही मानी जाती है। तीन व्यक्तियों को या चार, पांच व्यक्तियों को हम इस न्याय के लिये चुनते हैं। अगर उनमें राजनैतिक भावना आ जाती है तो वे किसी व्यक्ति का बुरा कर सकते हैं। जहां आप सस्ता न्याय दिलाने जा रहे हैं वहां सस्ती लड़ाई आप देने जा रहे हैं। हम जहां यह चाहते हैं कि जनता को सस्ता न्याय मिले इस तरह से मिल नहीं सकेगा। जहां आप यह चाहते हैं कि हमारा लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण सफल हो वैसी हालत में मैं इस प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं। इस तरह से आपको लड़ाई की नींव नहीं डालनी चाहिये। आज यदि हम नीचे के स्तर यानि ग्राम पंचायतों में जो जनतन्त्र की नींव है, जहां फाउन्डेशन कमजोर है, जहां हम फाउन्डेशन को इधर उधर करना चाहते हैं उससे शासन कमजोर होगा। माननीय मन्त्री महोदय को मैं सूचना देना चाहता हूं कि या तो इस प्रकार के अमेंडमेंट को वापिस ले लें जिससे जनता में खलबली हो; जनता में असन्तोष बढ़े; ऐसी चीजें हमें सदन में पास नहीं करनी चाहिये।

राजस्थान प्रदेश सारे हिन्दुस्तान में एक बड़ा प्रदेश है। यहां पर सब चीजें उपलब्ध हैं जो चीजें हम बाहर से मंगाते थे उनको भी हम यहां पैदा करने जा रहे हैं। हमारे यहां जितने भी कारोबार हैं खाने-पीने की चीजें, जितने भी उद्योग के लिये माल बाहर से मंगाते थे हम उन सब को यहां पैदा करना चाहते हैं। यहां हीरे, पन्ने, जवाहरात की खाने हैं। ऐसी सूरत में फिजूल का बखेड़ा खड़ा करना अच्छी चीज नहीं है। सस्ता न्याय मिले कायदे से, कानून से मिले लेकिन इस तरह का गलत बिल पास न करें। यही मेरा निवेदन है।

श्री परसराम मैंदरोना (आसीन): उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ३८ पर जो रिप्लेसमेंट अमेंडमेंट माननीय मन्त्री महोदय ने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। इसलिये अर्ज करता हूं कि जिस न्याय प्रणाली के बेसिक आधार को लेकर, इस पॉलिसी को लेकर कि जुडिशियरी और एग्ज़ीक्युटिव सेपरेट हो, इस सिद्धान्त को लेकर चलते हैं वहां आप अपीलेट ऑथोरिटी के गठन के बारे में सहमत नहीं हैं; यह मैं नहीं समझ सका, यह क्यों है?

उपाध्यक्ष महोदय, जहां न्याय पंचायतों के गठन का प्रश्न है उनको स्थापित करने के लिये इस सदन ने अनुमति जरूर दी है कि न्याय पंचायतों का गठन बालिग मताधिकार के आधार पर हो ताकि गांव की जनता को सस्ता, सुलभ और जल्दी न्याय मिल सके। एक तरफ न्याय पंचायतों का गठन हो रहा है उनके जो रिप्रेज़ेन्टेन्टिव्ज़ जा रहे हैं उन पर तो सदन के सदस्यों का विश्वास है और अपीलेट कमेटी बनाने जा

(श्री परसराम मैदरीना)

रहे हैं न्याय पंचायतां द्वारा उनका इन्डाइरेक्ट इलेक्शन करवा रहे हैं उनकी निष्पक्षता में, उनकी न्याय करने की क्षमता और नैतिक स्टेंडर्ड में डाउट करना एक तरह से जनतन्त्रात्मक प्रणाली में विश्वास नहीं रखने की तरफ इशारा देती है। दूसरी तरफ उपाध्यक्ष महोदय, एक मुन्सिफ है....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : जनतन्त्रात्मक प्रणाली के तीन इन्ग्रीडियेन्ट्स तो होते हैं, इसके अलावा चौथे को मैं नहीं जानता, उसे आप बता दीजिये ?

श्री परसराम मैदरीना : जब आपको इस विषय पर बोलने का अवसर मिला था, आपने अपनी इच्छा जाहिर कर दी थी।

श्री श्रीभानसिंह मैदरीना : मैंने तो, जनतन्त्रात्मक इन्ग्रीडियेन्ट्स थे, उन्ही पर कहा था। आप उसके अलावा और बता रहे हैं वह बता दीजिये ?

श्री परसराम मैदरीना : इसके लिये आप मेरा भाषण स्टडी सर्कल में रखवा दीजिये वहां मैं जानकारी दे सकता हूं।

श्री श्रीभानसिंह : वे जनतन्त्रात्मक इनग्रीडियेन्ट्स क्या हैं, जिनके आप सपोर्टर हैं, वे बता दीजिये ?

श्री परसराम मैदरीना : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा अर्ज कर रहा था कि जनतन्त्रात्मक प्रणाली के जो मुख्य उद्देश्य है वे सिद्धान्त यह है कि बालिग मताधिकार के आधार पर चुने हुए लोगों में हम विश्वास रखते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि जैसे ही वे जिम्मेवारी संभालेंगे न्याय करेंगे और निष्पक्षता से न्याय करेंगे। इसी बेसिक पॉलिसी को मान कर हमने न्याय पंचायतों का गठन किया है। फिर उसके बाद में अपीलेट कमेटी इन्डाइरेक्ट इलेक्शन से गठित होती है उसके औचित्य के सम्बन्ध में उसके न्याय प्रदान करने के सम्बन्ध में, डाउट करना, मैंने यह कहा था जनतन्त्रात्मक प्रणाली के प्रति अविश्वास का द्योतक है।

श्री श्रीभानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ठीक नहीं कह रहे हैं क्योंकि विधान बनानेवालों ने जुडीशियरी को सेपरेट रखा है। लेकिन आप जो प्रणाली बता रहे हैं वह कौनसी है ?

श्री परसराम मैदरीना: उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि मुन्सिफ, मजिस्ट्रेट कोर्ट्स को अलग से डीसेन्ट्रलाइज़ करें। अगर हम मुन्सिफ और मजिस्ट्रेट के पास अपीलें सुनने का अधिकार रखते हैं, वैसी हालत में एक एक पंचायत समिति को, न्याय पंचायत को १०० और डेढ़ सौ मील दूर जाना पड़ेगा। एक तरफ पंचायत समितियों के सिविल सूट की अपील तो मुन्सिफ के पास रखी है और क्रिमीनल केसेज़ की अपीलें मजिस्ट्रेट के पास में रखी है। मजिस्ट्रेट और मुन्सिफ का डबल जुरिस्डिक्शन रखा है, इससे सस्ता न्याय मिलने में बाधक सिद्ध होगा।

इसके साथ साथ यह भी आरोप लगाया गया है कि यह जो कमेटी है उसको हमेशा वोटों का भय रहेगा, इसलिये यह कमेटी न्याय नहीं कर सकेगी। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। पांच आदमियों की एक कमेटी है और एक मुन्सिफ और मजिस्ट्रेट द्वारा न्याय करने

(श्री परसराम मैंदरीना)

की प्रणाली है। दोनों पक्षों के वकील खड़े रहते हैं, बहस होती है, कानूनी बारीकियों में जाना पड़ेगा, सी० पी० सी० और सी आर० पी० सी० के कानून–कायदों के मुताबिक कार्य करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ नीचे की जो न्याय पंचायतें होंगी उनको तमाम प्रोसीजर से निकलना पड़ेगा। न्याय उपलब्ध होना चाहिये, इस दृष्टि से इन न्याय पंचायतों का बहुत दूरगामी असर होगा। अन्त में, मैं यह अर्ज करूंगा कि न्याय पंचायतों का गठन बालिग मताधिकार पर हो, इसके औचित्य को जब हम मान चुके हैं तो अपीलेट कमेटी के औचित्य को नहीं मानना कोई उचित प्रतीत नहीं होता। इसके लिये यह कहना कि इस प्रकार से करेंगे तो दलगत राजनीति में ये कमेटियां फंस जायेगी, यह मानना गलत है। जब कि नीचे की न्याय पंचायतों में इस तरह से राजनैतिक असर नहीं पड़ेगा तो यह कैसे माना जा सकता है कि ऊपर जो अपीलेट कमेटी बनेगी उसमें इस प्रकार असर होगा? जहां ग्राम पंचायतों को अधिकार रहता है विकास के काम करने का और उसी तरह से पंचायत समितियां कमेटीज़ का गठन करती हैं। अपीलेट के लिये स्टेंडिंग कमेटी बनती है, उसने अपने अधिकारों का आज तक किसी ने दुरुपयोग किया हो, इस तरह की मिसाल पंचायत समितियों के वर्किंग में कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुई है, इस तरह से अपीलेट कमेटी बनती है उसके न्याय के सम्बन्ध में शंका और सन्देह करना गैर मुनासिब होगा; यह कहते हुए मैं माननीय मन्त्री महोदय के अमेंडमेंट का समर्थन करता हूँ।

श्री भोलानाथ (लक्ष्मणगढ़) : मैं भी कहना चाहता हूं। सवाल यह है कि जो आज यह आपके सामने, हमारे सामने प्रस्ताव आया है, मैं समझता हूं यह उस परिस्थिति को बता रहा है जिसकी वजह से आज यह बात हमारे सामने विचाराधीन है। लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की वह स्थिति पैदा हुई और एक नया नकशा हमारे सामने आया। वह नया नकशा यह था कि हम पंचायतों द्वारा न्याय का काम कराना चाहते थे। हम बार बार जब भी अपने इलाके में जाते हैं तो इसके परिणाम देखते हैं। समझदार लोग हमें कहते हैं, आपने यह क्या काम हमें दिया है, इस न्याय के काम को लेकर गांव गांव में आज झगड़े खड़े हो गये हैं, आपस में लोगों में कटुता की भावना फैल गई है और जिस तरफ हमें आज लगना चाहिये था उस तरफ, उस विकास के काम की तरफ नहीं लगकर हम झगड़े की तरफ लग गये हैं, हमारी शक्ति उधर मोड़ दी गई है। आज इन बातों को लेकर इस कारण से इस स्थिति के कारण, इस नकशे के कारण पंचायतें बदनाम हुईं।

दूसरी तरफ हमने यह उम्मीद की थी कि हम पंचायतों के जरिये विकास का काम कराएंगे। यह नहीं हुआ, अधिकतर ध्यान न्याय की तरफ गया। इसका नतीजा अच्छा नहीं आया। डेवलपमेंट के काम में एडवाइज़री कमेटियां बनाई गईं, इस हैसियत से सरपंचों को बुलाया गया; पर उन्होंने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। इसलिये यह हुआ कि इवेल्यूएशन कमेटी बैठी। मेहता कमेटी बैठी। उन्होंने लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का नया नकशा पेश किया; न्याय की इसमें कहीं चर्चा नहीं है; बल्कि उसमें कहा गया है कि हम चाहते हैं कि हमारे देश के अधिक-

(श्री भोलानाथ)

तर लोग देश के विकास के कामों में लग जावें। इसलिये यह महसूस किया गया है कि अब विकास के काम के अलावा न्याय का यह झगड़ा इस न्याय के झगड़े के चक्करों से पंचायतों को दूर रखा जावे।

यही सवाल तहसील पंचायतों का आया। उनका कोई हिस्सा विकास के काम में नहीं था। मामूली तौर से अपीलों के झगड़े निपटाते हैं इसलिये तहसील को खत्म किया।

अब सवाल यह आया कि हम पुरानी पद्धति के हिसाब से चाहते हैं कि न्याय सस्ता हो तो यह कैसे हो, अब सिवाय इस आधार के और कोई आधार और कोई दलील न्याय पंचायतों के लिये नहीं है। इसको मान लेते हैं तो अब अपीलेट ऑथोरिटी के बारे में जो बात कही गई उस पर विचार करना है।

अब जो आपके सामने एक अमेंडमेंट माननीय मन्त्री महोदय ने रखा वह एक तरफ तो विकेन्द्रीकरण चाहते हैं, दूसरी तरफ कुछ इस तरह से दस-बारह आदमियों की एक समिति बनाना चाहते हैं कि जो पंच सरपंच हैं वही दस बारह आदमी इसमें आवें और वही अपने में से पांच-सात आदमी चुन रहे हैं और उनके सामने अपील आवेगी, वे अपील सुनेंगे और उनका निर्णय करेंगे। तो यह कौनसा लोकतान्त्रिक तरीका हुआ? इससे तो तहसील पंचायत ठीक थी जो कम से कम सीधी चुनी हुई तो थी जिसको चुनने वाले पांच-सात सौ तो होते थे। मैं मिसाल दूं अपनी कॉन्स्टिट्युएन्सी की। मेरी कॉन्स्टिट्यूएन्सी में तीस पंचायतें हैं, उनमें एक एक में पन्द्रह पन्द्रह पंच हैं। इसका मतलब कि ४५० आदमियों ने तहसील पंचायत को बनाया। ४५० आदमियों के चुने हुए लोग जाकर बैठते हैं और वे सुनते हैं। इसके बजाय आप नक्शा कर रहे हैं; तरक्की कर रहे हैं, विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं कि १० बारह आदमियों की एक साठ हजार के ब्लॉक में एक समिति बन गई। ६० हजार की एक ब्लॉक समिति बन गई और उसमें दस बारह सरपंच आकर बैठ गये। वे पांच छः आदमियों को अपीलेट कोर्ट में चुन देंगे। तो यह कौनसा नक्शा और प्रगति हुई? कोई पांच सरपंच बिठा दिये जावें दस बारह के द्वारा और कह दिया कि चुनी हुई अपीलेट कोर्ट बैठ रही है। आप सोचिये तो सही कि यह क्या नक्शा है आपके दिमाग में। आप क्या यह असम्भव मानते हैं? क्या यह सम्भव नहीं है कि वे पांच-सात आदमी किसी के भी प्रभाव में आसानी से नहीं आ सकेंगे? १२ आदमियों की समिति है, छः सात आदमी एक तरफ हो सकेंगे और वे अपीलेट कोर्ट बना देंगे और उससे फैसला अपने पक्ष-विपक्ष में या जिस किसी पक्ष में उनकी दिलचस्पी होगी आसानी से उनको मोड़ कर उसके हक में फैसला करवा देंगे; तो यह नक्शा है आपके सामने। आप सोचिये। इससे तो पहले वाला नक्शा कहीं अधिक जनतान्त्रिक था। इसके बाद दूसरा पंचायतों, तहसील पंचायतों का पेश किया गया वह भी अच्छा था। फिर मैं तो इसलिये भी इसको ठीक नहीं मानता कि अभी से हमें इन झगड़ों में नहीं पड़ना है। आज हिन्दुस्तान के नागरिकों से हमें काम करवाना है। आप उनसे विकास का काम लीजिये। विकास के बदले विनाश का काम वे करें

Page No.90

श्री भोलानाथ)

ऐसा नक्शा आप अपने दिमाग से निकाल दीजिये। हम चाहते हैं ये इस तरह के झगड़े वहां से खतम हों, लोग सुधरें, अपना विकास पहले कर लें और इस तरह से ठोस आधार पर ग्राम पंचायत बने, और फिर बाद में गांव की न्याय पंचायत बने। आज उनको सही तरह से काम करने के लिये, सही फैसले करने देने का अभ्यास करने के लिये उन पर यह देख-रेख जानकार आदमियों की रखें। उनकी अपील मुन्सिफ या मजिस्ट्रेट के पास रहने दीजिये। वहां उनकी अपीलें जावेंगी, वे फैसले ठीक करेंगे और बार बार फैसले बदलने की नौबत नहीं आवेगी। इस दृष्टि से भी यह उचित है कि अभी आप उनकी अपीलें मुंसिफ और मजिस्ट्रेट के पास रहने दें। यह कोई टेम्परेरी मामला नहीं है। हमें सुशासन लाना है। राज्य को ठोस आधार पर चलाना है। मुंसिफ और मजिस्ट्रेट भी आपके हैं। जब टेम्परेरी मामला नहीं है तो स्थायी तौर से इनको ठीक करिये। हम इससे निष्कर्ष निकालें कि कितने फैसले न्याय पंचायत के मुंसिफ और मजिस्ट्रेट के यहां से लौटकर आये और आगे इस आधार पर निर्णय लें। इससे उनको भी ट्रेनिंग मिलेगी। अब जगह जगह से फैसले लौटें और आखिर उस आदमी को वहीं जाना पड़े तो यह कौनसा तरीका है ?

दूसरी बात और है, यह कह सकते हैं मुंसिफ मजिस्ट्रेट दूर पड़ते हैं और उसमें वकीलों का खर्चा ज्यादा आता है। यह ठीक है। इसमें दूरी का जहां तक सवाल है, यह अभी भी है, तहसील पंचायतें भी दूर दूर हैं। ६० हजार के एक ब्लॉक के लिये दूर ही पड़ती है। इसलिये इस दूरी का कोई रीज़न नहीं दिया जा सकता। अब रहा सवाल वकील के खर्चे का। तो इसके लिये आप यह कर सकते हैं कि उनका फीस देने का कोई सिस्टम बैठ जावे या वकीलों को हटाया भी जा सकता है। आप इसका प्रबन्ध करें। वकील साहब खुद यह तय करें कि वे ज्यादा पैसा नहीं मांगेंगे। पचास के मुकदमे में जहां पचास रुपया जुर्माना होता है समझिये इसमें कितना बड़ा वकील आप करेंगे १५,२० रु० की फीस हो सकती है। कोर्ट फीस का कानून आप बना सकते हैं। तो ये ऑल्टरनेट आपके सामने हैं। आप अपीलेट कोर्ट ही बनाना चाहते हैं तो फिर वह तहसील पंचायतें ही अच्छी थीं जो साढ़े चार सौ, पांच सौ आदमियों द्वारा तो चुनी जाती थीं। पर इस तरह से-पांच छः आदमियों के हाथ में सारे अधिकार देना यह कौनसा लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण आपका है। यह मैं नहीं समझ पाया।

मैं फिर निवेदन कर दूँ कि पंचायत समितियों को ठीक तरह से चलाना है तो उनके सामने आप विकास का काम रखिये। उनको विकास में लगाइये। उनके सामने एक लक्ष्य आप स्थापित करिये कि इतना विकास उनको करना ही है। उनके सामने झगड़े आपस में निपटाने का काम हो ही नहीं। आप उनको इस तरह के झंझट में न डालिये। नतीजा इसका आज तक का आपके सामने है। कोई अच्छा नतीजा नहीं निकला है। करोड़ों अरबों रुपयों का खर्चा इन ब्लॉक्स में आपने किया है। पर नतीजा कोई अच्छा नहीं आया है। आप आज पंचायत समितियों के स्टेन्डिंग कमेटियों के चुनाव करते करते ही परेशान हो गये हैं।

(श्री भोलानाथ)

बराबर चुनाव बाकी रह जाते हैं और बहुत बड़े झगड़े इनमें ही हैं। तो आप इनकी शक्ति को इस तरह विकास के लक्ष्य रखकर उस तरफ लगावें उनको आप विकास के कामों में कम्पीटीशन में डालें। यह कम्पीटीशन अच्छे नतीजे लावेगा; पर यह कौनसा कम्पीटीशन है। इससे यह होगा झगड़े और बढ़ेंगे लोग चाहेंगे कि अपने अपने हिमायती इसमें आ जावें। वे आदमी न्याय करेंगे जिनको तमीज नहीं है, पेपर की स्क्रूटिनी करने का होश नहीं है। तो इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो मुंसिफ और मजिस्ट्रेट का जो प्रोवीज़न पहले रखा है वही रहना चाहिये। पंचायत समितियों के द्वारा इलेक्टेड कोर्ट होने चाहिये यह बिल्कुल गलत, एक दम गलत। लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से भी गलत, न्याय की दृष्टि से भी गलत, सही वातावरण बनाये रखने की दृष्टि से भी गलत, विकास के काम की दृष्टि से भी गलत और जिस पहलू से भी आप सोचें हर हालत में यह बात गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बी० एन० जोशी।

श्री बी० एन० जोशी (बांदीकुई) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय द्वारा जो संशोधन पेश किया गया है उसका विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में विगत आठ नौ वर्षों की अवधि में पंचायतों द्वारा जिस प्रकार का न्याय राजस्थान की जनता को दिया गया और जिस प्रकार की कार्यवाही उन्होंने अपनी न्याय शक्तियों के प्रयोग करने में की, मैं समझता हूं कि सदन का प्रत्येक माननीय सदस्य, उससे बिल्कुल परिचित है। यह एक असलियत की बात है कि हमारे प्रान्त में हमने रिफॉर्मिस्ट ज़ील यानी सुधारवादी उत्साह की ओर जरूरत से ज्यादा कदम उठाकर प्रजातंत्र की प्राथमिक बेला में ही इतने बड़े अधिकार पंचायतों को दिए कि जिनका सही माने में सही उपयोग करने की क्षमता हमारे देहात के नागरिकों में नहीं है। इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि पंचायतों ने जो फैसले किये हैं उनके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां जितने भी मामले आये अगर हम उनमें देखें कि कितने प्रतिशत मामलों में संशोधन किया गया या उनको सैट असाइड किए गए तो उससे भी यह सिद्ध हो जाता है कि पंचायतों के फैसले राजस्थान में बहुत ज्यादा संतोषजनक नहीं होते। साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि पंचायतों की जो कार्यप्रणाली है या उनका काम करने का जो तरीका है या पंचायतों के बहुत से मामलों के तरीकों के बारे में राजस्थान में बहुत बड़ी तादाद में रिटें पेश हुई हैं और वे हाईकोर्ट में चेलेन्ज किये गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यदि हाईकोर्ट के फैसलों को एनेलाइज़ करके देखें तो मैं यह कहने को तैयार हूं कि पंचायतों के जो मामले हाई कोर्ट के सामने आये उनमें यह तय पाया गया कि उन्होंने मामलों में गलत फैसले दिए हैं और उन्होंने नागरिक अधिकारों का पूर्णतया हनन किया है और बहुत बड़ी तादाद में रिटें मन्जूर की गई हैं और राज्य सरकार ने जो यह अमेंडमेंट पेश किया है इसके पीछे जो भावना है वह यह है कि राज्य सरकार ने यह स्वीकार किया है कि हमारी न्याय की व्यवस्था जो अब पंचायतों द्वारा दिलवाने की है वह दोषपूर्ण है, उसमें

(श्री बी. एन. जोशी)

कुछ कमियां हैं जिनको सुधारने की आवश्यकता है। इसलिए उन खाराबियों को दूर करने के लिए ही यह अमेन्डिंग बिल सदन में पेश करने की आवश्यकता पड़ी। मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार ने जो यह एक्शन लिया यह सही था कि जो आज पंचायतों द्वारा न्याय मिल रहा है वह सही नहीं मिल रहा है और अब सही न्याय मिलने के लिए उसको अमेन्ड किया जाये। हो सकता है कि कुछ पंचायतें अच्छा न्याय दे रही होंगी। अपवाद स्वरूप इस प्रकार की पंचायतें राजस्थान में हो सकती हैं और हो सकता है उनमें किसी प्रकार का कोई झगड़ा न हो लेकिन आम तौर से जो पंचायतों का काम है और जिसके लिए हम कल्पना करते थे कि वह बहुत अच्छा न्याय देंगी और वह सुलभ होगा और जिस न्याय की कल्पना महात्मा गांधी करते थे उसके अनुरूप हमारा न्याय होगा पर आज बिल्कुल उसके विपरीत न्याय मिल रहा है। इसके अलावा मैं एक और चित्र आपके सामने पचायतों का उपस्थित करूंगा। यह सत्य है कि हमारी अधिकांश पंचायतें आज पार्टीबाजी का और जातिवाद का अखाड़ा बनी हुई हैं। आज कोई भी वहां मैजोरिटी पार्टी होगी वह दूसरों की बात नहीं सुनती और हर तरह से अपनी हुकूमत को थोपना चाहती है। इस प्रकार की आज की हमारी पंचायतें बनी हुई हैं। ऐसी सूरत में जनता के सारे नागरिक अधिकारों की सुरक्षा किस प्रकार से रह सकती है और जनता के मामलों के फैसलों को शुरू से लेकर आखिर तक चुने हुए ट्रिब्यूनल के हाथ में छोड़ दें और हमारे भारतीय संविधान में जो मूलभूत अधिकार जनता को प्रदान हैं उन अधिकारों को एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से छीन लें तो यह किसी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता। साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, यह भी कहना चाहूंगा कि भारत के संविधान में यह पहले ही माना हुआ सिद्धान्त है और डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में यह सम्मिलित किया हुआ सिद्धान्त है कि इस देश में जुडीशियरी और एग्ज़ीक्यूटिव को यथासम्भव अलग रखा जायेगा। आज जो केन्द्रीय स्तर पर बड़ी बड़ी कमेटीज़ बैठी हुई हैं वह इस बात के डिटेल्स को वर्क आउट करने के लिए हैं कि किस प्रकार से इनको अलग अलग किया जाना चाहिए। तो अब हम नये सिरे से जो इकाइयां कायम करने जा रहे हैं, जो नये सिरे से न्याय की इकाइयां कायम करने जा रहे हैं उनमें पहले से ही यह संविधान क्यों न डाला जाये कि शुरू से ही एग्ज़ीक्यूटिव को जुडीशियरी से अलग रखा जाये और इसके लिए इस दृष्टि से मैं यह कहूंगा कि जो हमारा ओरीजिनल अमेन्डिंग एक्ट था उसमें यह प्रावधान था कि न्याय पंचायतें अलग होंगी, विकास पंचायतें अलग होंगी यह स्थिति है कि जो पिछला एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्गन है उसमें विकास के कामों को करने की पूरी जिम्मेदारी पंचायत समितियों को है और न्याय दूसरे के हाथ में है। पर एक अपीलेट ऑथोरिटी की स्टेज इस अमेन्डिंग बिल के द्वारा लाकर हमने दोनों को फिर सम्मिलित कर दिया है। वैसे विकास कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी पंचायत समितियों के ऊपर आयेगी और उसके द्वारा निर्मित एक पंचायत समिति को जो कि किसी प्रकार उसके प्रभाव में नहीं रह सकती और अगर पंचायत समिति द्वारा ही बनी हुई एक सब-कमेटी को अपील सुनने

(श्री बी. एन. जोशी)

का अधिकार दे देते हैं तो इसका मतलब यह है कि एग्ज़ीक्यूटिव और जुडीशियरी का सेपरेशन हमने पहली स्टेट पर कर दिया लेकिन आगे जाकर मिला दिया। तो यह भारतीय संविधान के मूलभूत सिद्धान्तों के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह हम नई परम्परा डालने जा रहे हैं, तो मेरा विचार है कि हमको ऐसी गल्ती नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहूंगा कि हमारी बदकिस्मती है कि हम नारों के पीछे बहुत दौड़ते हैं। चुने हुए आदमियों के ऊपर हमेशा विश्वास करना चाहिए, उनके ऊपर कोई डाउट नहीं होना चाहिए और अगर इनके खिलाफ कुछ कहा जाता है तो वह अप्रजातांत्रिक है, ऐसा मानते हैं। मैं कहता हूं कि प्रजातंत्र को अपनाने वाला कोई अकेला हिन्दुस्तान ही देश नहीं है। भारतवर्ष के अलावा प्रजातंत्र आज बीसियों और दर्जनों देशों में कायम है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि सिवाय एक देश के, जो कि युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, संसार में बता दीजिए कि कौन सा दूसरा देश है कि जहां जुडीशियरी इलेक्टेड हो....

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : वहां भी अब इसको छोड़ दिया।

श्री बी० एन० जोशी : वहां भी वह अब सीमित दायरे में है। डेमोक्रेसी सारे देशों में है लेकिन अमेरिका के अलावा संसार में कोई भी दूसरा देश नहीं है कि जहां जुडीशियरी भी इलेक्टेड रखी गई हो।

एक माननीय सदस्य : भारतीय संविधान अमेरिका से ही तो लिया गया है।

श्री बी. एन. जोशी : भारत का संविधान कोई अमेरिका के ऊपर नहीं है। जितने सारे अच्छे अच्छे संविधान हैं उनमें जो भी अच्छी बातें हैं उनको भारतीय संविधान में लिया गया है। यह सब का निचोड़ है। किसी की नकल नहीं की गई है। दोनों देशों के संविधान में और परिस्थितियों में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए यह कहा जाये कि अमेरिका की जैसी प्रणाली ही यहां लागू की जा सकती है यह बहुत बुरी बात है और ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह प्रजातंत्र के नारे देने की बात नहीं है कि वह चुने हुए हैं इसलिए वे जो कुछ करें, शाह करें सफेद करें उनको करने दिया जाये। मैं कहना चाहता हूं कि आज जितना असन्तोष हमारी सरकार के खिलाफ है उसमें से कम से कम रुपये में ८ आना इन पंचायतों की धांधलेबाजी के कारण है और राज्य सरकार के खुद के कामों से इतनी जनता को नाराज़गी नहीं है जितनी कि पंचायतों के कामों से है। क्योंकि पंचायतों के कामों के लिए जनता सीधे रूप में सरकार को जिम्मेदार समझती है क्योंकि पंचायतों का गठन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये कानून के अन्तर्गत हुआ है और उन्हीं के द्वारा पंचायतें काम करती हैं। इसलिए होता क्या है कि जो पंचायतें गल्तियां करेंगी और उससे भ्रष्टाचार पनपेगा और उसका शिकार होना पड़ेगा हमको। तो मैं यह कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह विश्वास है कि यदि आज की सी हालत हमारे देश में चलती रही तो हमारी सरकार के खिलाफ याने कांग्रेस के खिलाफ रेवोल्यूशन होगा और जो रेवोल्यूशन होगा वह दो वजह से होगा एक तो

Page No.94

(श्री बी. एन. जोशी)

होगा राज्य कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के कारण और दूसरा होगा पंचायत की धांधलेबाजियों से। इसलिए जो हम सही कदम उठाने जा रहे थे उससे हमें किसी तरह के दबाव में नहीं आना चाहिए और जो सही कदम हो उसके ऊपर ही बढ़ना चाहिए और अपने कदमों पर मजबूत रहना चाहिए। जो भी हमारे ऑरीजिनल अमेंडिंग बिल में प्रोवीजन था कि जो फैसले न्याय पंचायतों में हुए हैं उनके लिए अपील दीवानी मामलों में मुन्सिफ के यहां और फौजदारी मामलों में मजिस्ट्रेट के यहां होनी चाहिए वह बहुत ही समझदारी का प्रावधान था, उसको हटाने की आवश्यकता नहीं है और पंचायतों में जो कुछ धांधलेबाजी चल रही है जिसकी वजह से नागरिकों के अधिकारों पर कुठाराघात होता है उससे बचना है तो इसको उसी रूप में रखना आवश्यक है और इसको वापिस ले लेना चाहिए।

इसके अलावा यह भी अर्ज करूंगा कि हमने अपने विकास के कार्यों पर करोड़ों और अरबों रुपया पानी की तरह बहाया है और बहा रहे हैं विदेशों से कर्ज लेकर और देश के नागरिकों से अपील करके कि अपनी पसीने की कमाई का पैसा विकास के कामों में लगा दो उस सब की कामयाबी बहुत हद तक पंचायत समितियों के ऊपर रह गई है। क्योंकि विकास के कार्यों के लिए पंचायत समितियां ही जिम्मेदार हैं और उन्हीं के जिम्मे यह काम है। क्योंकि रूरल सेक्टर में उसको कामयाब करना पंचायत समितियों की जिम्मेदारी हो गई है। पंचायत समितियों के पास तो इतना बड़ा विकास का काम भी बहुत ज्यादा है उसको वह पूरा कर लें वही बहुत ज्यादा है पर इसके अलावा तीसरी जिम्मेदारी और उसके ऊपर डाल रहे हैं तो इसका नतीजा क्या होगा कि उनके द्वारा बनाई हुई सब- कमेटी काम नहीं कर पायेगी और जब वह सब-कमेटी काम नहीं कर पायेगी तो उसकी जिम्मेदारी पंचायतों के ऊपर होगी और फिर इसके अलावा मुकदमों का काम ऐसा है कि एक आदमी सब को खुश नहीं कर सकता। जो भी फैसला होगा वह एक के तो खिलाफ होगा और दूसरे के पक्ष में होगा तो पंचायत समिति की सब कमेटी ने खिलाफ डिसीज़न दे दिया तो उसका कोप-भाजन पंचायत समितियों को बनना पड़ेगा और इसका नतीजा यह होगा कि हर गांव में पंचायत समिति के खिलाफ पार्टीबाजी खड़ी हो जायेगी और फल यह होगा कि जो दूसरी दूसरी योजनाओं के काम जिनको पूरा करने की आवश्यकता है और जिनमें जनता का सहयोग लेना पड़ेगा वह नहीं मिल पायेगा। वह पंचायत समिति, जैसा हम चाहते हैं कि मामलों से मुक्त होकर केवल विकास के काम में अपनी शक्ति को केन्द्रित कर सकेगी वह अपने उद्देश्य से खत्म हो जायेगी और गिर जायेगी उससे। मैं अर्ज कर दूं कि उससे हम पंचायत समिति के पंचों को मुकद्मे बाज़ी के गड्ढे में घसीट ले जायेंगे। इससे वे जन सहयोग प्राप्त नहीं कर सकेंगे और हमारी योजना का काम फेल होगा। हमको इन्हें दरअसल इससे मुक्त रखना चाहिए। अगर मुक्त नहीं रखते हैं तो पंचायत समिति के सदस्य निष्पक्ष नहीं बनेंगे और जहां काम करेंगे वहां नेकनामी से नहीं कर सकेंगे और पंचायत समिति को बदनामी सहन करनी पड़ेगी।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि

Page No.95

(श्री बी. एन. जोशी)

न्याय पंचायत का निर्माण करना चाहते हैं। तो उसके निर्माण के लिए पंचायत समिति के पंच जो कि अक्सर सरपंच होंगे उनके द्वारा इन्डाइरेक्ट इलेक्शन होगा। पंचायत समिति के पंच जिनमें सरपंच भी शामिल होंगे वे ओरीजिनल ट्रिब्यूनल बनेगी उसमें भी पंचायत समिति में चूंकि ग्राम पंचायतों के सरपंच होंगे इसलिए सरपंच होने के हिसाब से वे वोट देंगे और अपीलेट ट्रिब्युनल में पंचायत समिति के पंच होने के नाते वोट देंगे। इसलिए ओरीजिनल ट्रिब्युनल और अपीलेट ट्रिब्युनल दोनों ट्रिब्युनल इस तरह की होंगी कि एक बॉडी का असर उन दोनों पर रहेगा। They will be commonly amenable to the influence of the common body of electors. यह अपील के लिहाज़ से सही सिद्धान्त नहीं है।

चौथी बात मैं कहना यह चाहूंगा कि हमने यह भी देखा है कि आज इसकी वजह से हमको शक्तियां मिलती हैं तो पंचायत के प्रशासन में अवांछनीय तत्व घुस जाते हैं। वे तत्व हजारों रुपया खर्च करके पंचायतों में घुसते हैं, वे इसी वजह से घुसते हैं कि वे लोग यह समझते हैं कि मुकद्दमों के फैसले देते हैं तो पंचायतों को अपने स्वार्थों की पूर्ति का साधन बनाया जा सकता है। यह बिल्कुल सही बात है कि विकास का काम पंचायतों के पास रहेगा तो अवांछनीय तत्व पंचायतों में घुसपैठ नहीं करेंगे, क्योंकि विकास के कामों में रिश्वत नहीं मिल सकती है, क्योंकि किसी गांव में एक कुंआ बनवाना है या सड़क बनवानी है तो उससे एक आदमी का फायदा नहीं होता है। वह तो गांव का काम है। उसमें न तो कोई रिश्वत मांग सकता है और न कोई दे सकता है और न कोई ले सकता है। इसलिए इसको हटा देने से क्या होगा कि जब तक हम पंचायत समिति और ग्राम पंचायत से अपील और मुकद्दमों के मामले अलग रहेंगे तब तक वे सफल होंगी और हम भ्रष्टाचार कम कर सकेंगे। उसमें भ्रष्टाचार की कोई गुन्जाइश नहीं होगी और भ्रष्टाचारी तत्व अपने आप किनारा करते जायेंगे। उसमें रिश्वत लेने की गुन्जाइश नहीं रहेगी। उसमें रुपया खाने की गुन्जाइश नहीं रहेगी। इसलिए ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के चुनावों से लोग इतना रुपया खर्च नहीं करेंगे और शामिल नहीं होंगे। लेकिन जब यह होगा कि विकास का हो काम नहीं अपील पर भी अपना असर रहेगा। अगर सरपंच हो जायेंगे तो उसके ज़रिये ऐसे आदमियों को नोमीनेट कर सकेंगे न्याय पंचायत में कि अपने इशारे से फैसला दे। अपील की स्टेज में पंचायत समिति की सब कमेटी में जाने पर उसके इशारे से फैसला कर सकेगा। कोई रिश्वत दे देगा तो इशारा दे देंगे। इससे भ्रष्टाचारी तत्वों को आकर्षण बना रहेगा और हमारा भ्रष्टाचार से मुक्त करने का जो विचार था पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों को वह मकसद हमारा फैल हो जायगा, और जो भी अच्छी सारी स्कीम थी, सुधार करने जा रहे थे और जन सहयोग लेने की जो स्कीम थी वह सारी अपने आप खतम हो जायगी। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, आपके ज़रिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन सारी बातों पर पुनर्विचार करके राज्य सरकार ने ओरीजिनल एमेंडिंग बिल में जो प्रोविज़न रखा था वह समझदारी का था। पंचायत के प्रशासन में भ्रष्टाचार,

Page No.96

(श्री बी. एन. जोशी)

त्रुटियां बाकी रहती थीं उनको दूर करने के लिए और उनमें मज़बूती कायम रहे, इसलिए इन सारी बातों के लिए इसको डेफर कर दिया जाय और आज के बजाय कल तक कानूनी सलाह लेकर तैयार रहें। अपील का मामला इम्पोर्टेन्ट है। इसमें सोच विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए उस पर विचार करने के लिए उसको डेफर कर दें और ओरीजिनल एमेंडिंग बिल में जिस तरह का एमेंडमेंट था वह पेश किया जाय, और एमेंडमेंट माननीय मंत्री महोदय ने पेश किया है उसको विथ्ड्रॉ कर लें, वापिस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सिद्धान्तशास्त्री, I mean you gentleman. श्री भैरवलाल 'कालाबादल'।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो संशोधन रखा है मैं उसका विरोध करता हूं। न्याय पंचायत की अपील के बारे में जो एक्ट में मूल प्रस्ताव था, मैं समझता हूँ वही सही था। हमारे यहां एक नारा था कि पंचायत राज्य हो! तो पंचायत राज्य, इसका मतलब यह था कि यहां पंचायत राज्य करे; ऐसा नहीं था। पंचायत राज्य है तो अपने नौकरों से कराये राज्य। खुद राज्य नहीं करे बल्कि पंचायत दूसरों से राज्य कराये। तो जो हमारा नारा कि पचायत राज्य करे वह ऐसा नहीं था। पंचायत राज्य है तो उसका मतलब है कि पंचायत की देखरेख में राज्य चले, पंचायत के इशारे पर राज्य चले। राज्य करें नौकर और देखरेख हो पंचायत की : अब इस बिल में ऐसा आ गया है कि पंचायत ही राज्य करे। जहां पर पंचायत राज्य करने लग जायगी तो पंचायत के बारे में अविश्वास बढ़ जायेगा। हमारे यहां पुरानी मिसाल थी। यों कहते थे कि गांव का जोगी जोगना और आन गांव का सिद्ध यानी गांव का जोगी ओगुणी है और आन गांव को जोगी आवे तो गुणवान है। न्याय करवा वाला गांव का लोग होवेगा तो न्याय नहीं होगा....

एक माननीय सदस्य : उसी भाषा में चलने दें।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल': इसके पहले ५ वर्ष पहले पंचायत बनी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में और पंचायतों ने अपने बहुमत के आधार पर फैसला किया तो बहुमत के आधार पर फैसला करते हैं तो अल्पमत वाले चाहे न्याय की बात कहते हों तो भी चूंकि बहुमत की ताकत है उनके पास इसलिए वह अल्प मत की न्याय की बात को भी मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो इसी तरह से हम पहले कहते थे कि सामन्तशाही के शासन में डंडे की ताकत थी तो अब उसकी जगह बहुमत का डंडा होगा तो न्याय जिनके साथ में बहुमत है तो बहुमत कह दे कि यही न्याय है तो यही न्याय होगा। इससे गांवों में क्या हुआ कि गांव के पंच मुकदमेबाजी में उलझे। मैं भी सरपंच रहा हूं पंचायत समिति का। जब मैं तारीख पेशी पर अपील सुनने जाता था तो गांव के लोग रास्ते में मिलते थे और यह कहते थे कि हमने वोट थांकू दिया है और हमारे बारे में फैसला नहीं करोगे तो आइन्दा गांव में आने नहीं देंगे। बड़ा भय होता था कि अकेला न्याय करने जा रहा हूं तो रास्ते में कोई लाठी नहीं मार दे। आखिर हम लोगों को बड़ा डर होता

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

था और डर के कारण, माननीय उपाध्यक्ष, मैं समझता हूं कि वहां जाकर पंचों से सलाह करते थे कि इस बारे में क्या करें । बड़ा झंझट पैदा होता है । पंच गांव में रहते हैं, रात दिन गांवों में । तो मुकद्दमेबाजी की उलझन के कारण बड़े पशोपेश में रहते हैं । जब मैं पंचायत से घर आता था तो गांव की औरतें रास्ते में गालियां देती थीं, 'बाप खावणो सरपंच बणयो है'... ये शब्द थे, "यूं ही अन्याय करे छै मांग का छोरा छोरी परा" तो इस तरह से गांव की पंचायत के बारे में अविश्वास बढ़ेगा । अगर आप नहीं मानते हैं तो एक निष्पक्ष जांच कमीशन बैठा कर गांव के लोगों की भावनाओं को मालूम करें तो कहेंगे कि पंचायतों ने अन्याय कर दिया । तो हमें पंचायतों के हाथ में से मुकदमेबाज़ी को हटा देना चाहिए और इनको रचनात्मक काम, गांधी के विचारों के अनुसार गांव की पंचायत को रचनात्मक कामों के लिए छोड़ देना चाहिए । रचनात्मक काम करेंगे, इसी आधार पर हमने पंचायत समितियां बनाईं और इनको विकास का काम सौंपा । न्याय के कामों में दो पार्टियां बन जाती हैं । जो हारता है वह गाली सुनाता है और जो जीतता है वह तारीफ करता है । इसमें दो दल बन जाते हैं और हमें जनमत बनाना है तो जनमत से विकास पंचायत बनेगी । अब विकास पंचायत की एक समिति को आप अपील सुनने का अधिकार देते हैं तो होगा क्या कि विकास पंचायत के प्रति भी गांवों में अविश्वास बढ़ेगा क्योंकि वह विकास पंचायत की एक समिति होगी इसलिये उसके प्रति गांवों में अविश्वास बढ़ेगा । डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के प्रति भी शंका होना स्वाभाविक है क्योंकि कितनी ही जगह वकील, एडवोकेट कानून के जानकार होते हैं वे कानून के द्वारा मुकद्दमा जीतते हैं लेकिन आज के नये नये वकील कानून जानते नहीं हैं इसलिये वे मजिस्ट्रेट साहब से और मुंसिफ साहब से मिल कर मुकदमा जीतते हैं क्योंकि मुंसिफ साहब और मजिस्ट्रेट साहब भी नये नये लड़के गये हैं, उनको पुराना अनुभव नहीं है, नये नये नौकर हुए हैं और वकील साहब भी....

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर—सु०) : कोटा से आपको पता लगा होगा, पंचायत का सवाल है, हमने नजीर दी पंचायत समितियों के बारे में.......

श्री उपाध्यक्ष : जुडीशियरी पर आरोप नहीं लगाना चाहिये, यही मतलब है शायद आपका ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं बल्कि हमारे चुनाव की कमी है, मजिस्ट्रेट किसको बनाया जाय और वकील कैसे हों, ये सारी बातें हैं । अनुभव कानून की बिना पर होगा और मजिस्ट्रेट भी अच्छे बनाने होंगे तभी न्याय मिलेगा । लेकिन आज होता क्या है कि नये नये वकील हो जाते हैं, कानून जानते नहीं हैं, न मजिस्ट्रेट जानते हैं और न वकील जानते हैं....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : आप कॉन्ट्राडिक्टरी बात कह रहे हैं ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : लोगों को शंका हो रही है कि अपील कौन सुनेगा ?

Page No.98

श्री उपाध्यक्ष : आप उनको मत एड्रेस करिये ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : कितने ही ऐसे वकील हैं जो कहते हैं कि यह कानून है, मजिस्ट्रेट कहते हैं कि कौन से पृष्ठ पर है, निशान लगा कर दे दीजिये, रात को देखेंगे। पृष्ठ में १०० रू. का पत्ता डाल कर कानून की किताब रात को देखने के लिये दे देते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रसंग पर आइये । मैं इन बातों को प्रसंग से परे समझता हूं, इसलिये आप प्रश्न पर आइये ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल': अब तक पंचायत के प्रति लोगों की जो भावना है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आपको पत्र की बात कैसे मालूम पड़ी ?

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : कहीं कहीं पर पक्षपात होने के कारण हमने नई व्यवस्था कायम करने के लिये पंचायत समितियां बनाई थीं और रचनात्मक काम दिया था। गांव के लोग रचनात्मक काम में लगे रहें । यह नया मुकदमेबाजी का काम देकर गांवों में पार्टीबाजी का नया सवाल शुरू कर दिया। गांव के लोगों को न्याय करना है तब तो अपील आगे करने का काम नहीं है ! यदि वे अन्याय करेंगे तो अपील कहां जानी चाहिये ? मुन्सिफ या मजिस्ट्रेट के पास जानी चाहिये । पहले का प्रस्ताव सही था । यदि शंका हो तो ३ व्यक्तियों की कमेटी को देना चाहिये । अपील का मामला है उसको तीन व्यक्तियों को देना चाहिये जिसमें एक तो गैर सरकारी कोई एडवोकेट हों, एक जिला परिषद के अध्यक्ष हों और एक मुन्सिफ मजिस्ट्रेट हों । इन तीनों का बोर्ड बना दीजिये जिससे न्याय अच्छा होगा। गैर सरकारी एडवोकेट होंगे, जिला परिषद के अध्यक्ष और मुन्सिफ मजिस्ट्रेट तीनों बैठ कर फैसला करेंगे । यह मान लिया जाय तो अच्छा होगा ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने को खड़े हुए)

कार्य-सलाहकार समिति की सिफारिशों में परिवर्तन करने सम्बन्धी वाद-विवाद

श्री उपाध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम २१८ के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

"कार्य सलाहकार समिति के बारहवें प्रतिवेदन में जो सिफारिशें की गई हैं और जिनको सदन द्वारा स्वीकार किया गया है उसमें निम्न परिवर्तन किया जाय :

१. राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १६६० के द्वितीय व तृतीय वाचन के लिये जो समय निर्धारित किया गया है उसे कल दिनांक १४. ४. ६० को पांच बजे सायं तक और बढ़ा दिया जाय ।

२. शासकीय विधायी कार्य जो १४.४.६० को लिया जाने वाला है वह १५ अप्रेल, १६६० को अशासकीय कार्य के स्थान पर लिया जाय ।

३. शासकीय विधायी कार्य जो १५ अप्रेल को लिया जाने वाला है यदि उसमें से कोई विधेयक शेष रहे तो वह १६ अप्रेल,

Page No.99

(श्री सोहनलाल भटनागर)

१६६० को राजस्थान लैंड रेवेन्यू संशोधन विधेयक, १६६० सहित लिया जावे ।"

श्री अपनूसिंह (बालोतरा) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : किस सम्बन्ध में बोलना चाहते हैं ?

श्री अनूपसिंह : क्लॉज ३८ के सम्बन्ध में ।

श्री उपाध्यक्ष : पहले मैं इस मोशन को हाउस की सम्मति के लिये रखना चाहता हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह मोशन उन्होंने सेक्शन २१८ की तहत रखा है । १४ तारीख का बिज़नेस १५ तारीख को लिया जायेगा । जहां तक आज का बिज़नेस कल तक बढ़ाने का सवाल है उससे मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन परसों के लिये जो सुझाव है-अनऑफिशियल डे को ड्रोप करने का, उसका मैं विरोध करता हूँ क्योंकि वह इम्पोर्टेन्ट मसला है । लैंड रेवेन्यू बिल के लिये हम कल रात को १० बजे तक बैठ कर कर लें । लेकिन नाथद्वारे का मामला बड़ा इम्पोर्टेन्ट है, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : I would like to put it to the vote.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इससे कवर नहीं होता है । इसमें लिखा है : "No variation in the allocation of time order shall be made except on a motion made, with the consent of the Speaker, and accepted by the House:

Provided that the Speaker may, after taking the sense of the House, increase the time, not exceeding one hour, without any motion being moved."

मैं यह निवेदन करूंगा कि आपका प्रस्ताव यह है कि बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी के प्रतिवेदन को, जिसे कल हाउस ने पास किया था उसको सारे के सारे को चेन्ज कर दिया, टाइम ऑर्डर को चेन्ज नहीं किया । ३ घंटे की बजाय ५ घंटे कर सकते हैं, लेकिन यह नहीं हो सकता कि जो अनऑफिशियल डे है उसको भी मेजोरिटी से चेन्ज कर दिया जाय, रखा ही न जाय, क्योंकि इसमें यह भी रखा है कि २ दिन महीने में अनऑफिशियल बिज़नेस के लिये रखे जायं । यह मेन्डेटरी प्रोविजन है : "There shall be two days allotted for non-official business." दो दिन रखने के लिये Shall शब्द को काम में लिया गया है । यदि यह अनऑफिशियल डे नहीं रखते हैं तो हमेशा जब जब ऐसे विषय आवेंगे, चाहे नाथद्वारा का आ जाय चाहे पानरवा का आ जाय, इसको हटा देंगे । २१८ का यह मतलब नहीं है कि अनऑफिशियल डे को चेन्ज कर सकें । टाइम लिमिट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अनऑफिशियल बिज़नेस को खतम नहीं कर सकते । मैं यह निवेदन करूंगा कि अनऑफिशियल डे को चेन्ज नहीं किया जाय । कल रात तक बैठ जायेंगे, १६ को बैठ जायेंगे, १७ को बैठ जायेंगे किसी और दिन भी बैठ जायेंगे, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): उपाध्यक्ष महोदय, टाइम ऑर्डर के वेरियेशन को, चाहे वह टाइम का हो, दिन का हो, उसको कन्सीडर करते हैं, मेरे ख्याल से यह रिलेवेन्ट है, रेगूलर है, उचित है और इस ख्याल से इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : रेगुलर कैसे है ?

श्री सोहनलाल भटनागर : Time-order covers all the days. यह मतलब नहीं है; एक घंटा, दो घंटे, चार घंटे बढ़ाये जायेंगे, तो कॉन्सीक्युएन्स यह होगा कि दूसरे वर्किंग डे में परिवर्तन होगा ही।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह का प्रस्ताव माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है और उस प्रस्ताव के द्वारा विचार व्यक्त किये हैं कि यह जो बिल इस समय सदन में विचाराधीन है, वह महत्वपूर्ण बिल है और इसके ऊपर विचार करने के लिए सदन को एक दिन का अवसर और मिलना चाहिए, इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हो सकती। सवाल यह आता है कि १५ तारीख प्राइवेट मेम्बर्स डे निश्चित किया गया है, और जिसके सम्बन्ध में सदन ने कल निर्णय दे दिया है, उस डे को स्थगित किया जाकर दो बातें हो सकती हैं, एक तो १५ तारीख के स्थान पर १६ तारीख रख दी जाय, या १५ के स्थान पर १७ तारीख रख दी जाय, पर यह नहीं हो सकता कि जो एक दिन के लिए टाइम फिक्स-अप किया हुआ है, वह एक दिन का टाइम, प्राइवेट मेम्बर मेम्बर्स रिज़ोल्यूशन्स को ड्रोप कर दिया जाता है, उसको ड्रोप किया जाता है, तो इसका मतलब यह है कि सरकार इस सदन के अन्दर नाथद्वारा के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई बहस हो सके, इस प्रकार का चान्स सदन को कभी नहीं देना चाहती है। इस स्थिति के अन्दर मैं चाहूंगा कि इस प्रकार का जो प्रस्ताव आया है, इसमें एकोमोडेट करने की और एडजस्ट करने की सरकार की भावना है, हमारी भी एकोमोडेट करने की और एडजस्ट करने की भावना है, लेकिन प्राइवेट मेम्बर्स रिज़ोल्युशन डे को ड्रोप करने की दृष्टि से यह प्रस्ताव किया जाता है, तो उसको किसी प्रकार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं और दूसरी स्थिति के अन्दर रूल्स के विपरीत जो मोशन आया है, उस पर हाउस का निर्णय लिया जाता है, वोट के लिए पुट-अप किया जाता है, तो वह रूल्स के अगेन्स्ट होगा।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : I draw your attention to Rule 23. It says :

"The Speaker may, after considering the state of business of the House, allot as many days as may be possible for private members' business, and may allot different days for the disposal of different classes of such business, and on days so allotted for any particular class of business, business of that class shall have precedence :

Provided that two days in a month shall be allotted for the transaction of private members' business, subject to such variations as the Speaker may consider necessary or convenient."

So this 'shall' is not mandoatry.

(श्री पी. के. चौधरी)

It is subject to such variations as the Speaker may consider necessary. This is the interpreation of the rule and there is no legal or procedural difficulty in making that variation without even taking the sense of the House it may be done.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रूल २३ के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि जो इन्टरप्रिटेशन दिया है उसका मतलब यह है कि वेरियेशन यह कर सकते हैं कि टू डेज़ माने हैं, टू डेज़ में १५ दिन का इन्टर्वल रखा जाय, पहले डे के लिए चाहें तो १० दिन का इन्टर्वल रख दिया जाय, दूसरे डे के लिए २० दिन का इन्टर्वल रख दिया जाय, यह जरूरी नहीं है कि इक्वल इन्टर्वल हो "Provided that two days in a month shall be alloted for the transaction of private members' business subject to such variations as the Speaker may consider necessary or convenient." तो वेरियेशन का मतलब यह नहीं है, दो दिन उड़ा दिये जायं। यह मतलब है कि १५ तारीख के बजाय १६ तारीख रख दी जाय, १६ के बजाय १७ तारीख रख ली जाय, १७ के बजाय १८ तारीख रख ली जाय। मान लीजिये आज बजट पास करना है तो नॉन ऑफिशियल डे को आगे सरका दिया जाय। अगर वेरियेशन का मतलब यह होता कि नॉन ऑफिशियल डे को खत्म कर देंगे, तो टू डेज़ के बारे में लिखा है, वह सब्जेक्टिव क्लॉज़ है, जो मेन क्लॉज़ है, वह मेन क्लॉज़ लैंग्वेज से बाइन्ड नहीं करता है। मैं समझता हूँ कि जो मोशन दिया है, उसके सम्बन्ध में नोटिस के बारे में भी निवेदन करूंगा कि इस तरह कोई मोशन कभी भी हाउस के सामने One fine morning, without notice, by surprise नहीं दिया जा सकता है, उसको हाउस में पेश नहीं कर सकते हैं। मैं चेयर से प्रोटेक्शन सीक करूंगा कि इस प्रकार जो मोशन विदाउट नोटिस पढ़ा गया है, मूव किया गया है, उसको मूव करने की इजाजत नहीं दी जाय, इसके लिए हमें समय दिया जाय। इस पर कल डिबेट कर सकें। अभी जो इस विषय का ताल्लुक है, यह चल सकता है। मैं निवेदन करूंगा और चेअर से प्रोटेक्सन सीक करूंगा कि नाथद्वारा के मामले पर डिबेट का ताल्लुक है, इस पर डिबेट करने का समय मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : पहली आपत्ति उठाई गई है कि रूल २१८ के अन्तर्गत समय को परिवर्तित करने का अधिकार है या नहीं है ? उस सम्बन्ध में व्यवस्था है, सिद्धान्ततः इस सदन को पूर्णतया अधिकार समय में परिवर्तन करने का, बतलाने का है ? यद्यपि इस संबंध में यह अधिकार किसी अवस्था में बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी को दिया जाता रहा है फिर भी यदि वहां से भी समय का निर्धारण किया गया है तो भी सदन को अधिकार है उसमें परिवर्तन करने का। २१८ नियम की भाषा स्पष्ट है कि मोशन के सदन के सामने आने पर यह सदन समय के सम्बन्ध में वैसा कर सकता है और इस इन्टरप्रिटेशन को सहायता रूल २३ से भी मिलती है, इसलिए मैं मोशन को उपयुक्त समझता हूं और जो आपत्ति उठाई गई है उसको उचित नहीं मानता।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक point of order raise करना चाहता हूं........

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): How can there be a point of order ? There can be no point of order on the ruling.

श्री भैरोंसिंह: दूसरा point of order है, इस सम्बन्ध में नहीं है। कल जिस समय मंत्री महोदय ने बिजनेस एडवाइज़री कमेटी का प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया था उस समय एक माननीय सदस्य ने संशोधन प्रस्तुत करना चाहा था और संशोधन इसलिए प्रस्तुत नहीं किया जा सका था क्योंकि उस पर अध्यक्ष महोदय की कन्सेन्ट नहीं ली गई थी और दूसरी ओर जो prior notice according to rules मिलना चाहिए था वह नहीं मिला था। उस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय ने अमेंडमेंट को प्रस्तुत करने की आज्ञा नहीं दी थी। आज माननीय उपाध्यक्ष महोदय बिना नोटिस के एक संशोधन इस सदन में प्रस्तुत करने की आज्ञा देते हैं, तो मेरे सामने एक इस प्रकार की कठिनाई है कि हम लोग अध्यक्ष महोदय ने जो रूलिंग दी है उसका पालन करें या दूसरे दिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने जो रूलिंग दी है उसका पालन हमें करना चाहिए। इस स्थिति को स्पष्ट कर दिया जाय तो ठीक होगा।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : They are not contradictory, I suppose. The decision given yesterday and today are not contradictory. With the Speaker's consent anybody can move it. That was subject to the Speaker's consent. He has given his consent. If the Chair has permitted it, it can be moved.

श्री भैरोंसिंह : The Speaker said that notice is required for every motion.

श्री उपाध्यक्ष : I understand the implications of both the rulings.

श्री पी. के. चौधरी : He has allowed it, that means he has consented.

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें with the consent of the Speaker है। क्या इस मामले को मूव करने के पहले स्पीकर महोदय की कन्सेन्ट ली गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री): Implied That is implied.

श्री पी. के. चौधरी : The consent has been given.

श्री उपाध्यक्ष : जहां तक अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था का सम्बन्ध है कि कोई मोशन बिना पूर्व नोटिस के नहीं लाया जा सकता, उस व्यवस्था और मैंने जो व्यवस्था दी है उसमें अन्तर है। उनकी उस व्यवस्था का पूरा सम्मान अब भी होता है। रूल २१६, जो मैंने आपके सम्मुख अभी उपस्थित किया है, उससे स्पष्ट होगा कि जो व्यवस्था है, जिस रूल के अन्तर्गत दी है, उसका इस पर कोई प्रभाव नहीं है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : २२० है नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : २१६ स्वतंत्र रूप से अलग है, यह उसकी भाषा से स्पष्ट होता है

(सम्बन्धित नियम का अवलोकन)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : २१६ सिलेक्ट कमेटी का है।

श्री उपाध्यक्ष : २१८. I correct myself.

"No variation in the allocation of time order shall be made except on a motion made, with the consent of the Speaker, and accepted by the House."

दो कन्डीशन्स इस रूल २१८ के अन्तर्गत निश्चित की जानी चाहिए। पहली कन्सेन्ट ऑफ दी स्पीकर, उसके बाद consent of the House. जहां तक कन्सेन्ट ऑफ दी स्पीकर का प्रश्न है, मेरे सामने मोशन पहले प्रस्तुत हो चुका है, इसलिए कन्सेन्ट पूर्व ही दे दी है; संकल्प प्रस्तुत करने के लिए, यह कन्डीशन यहां पूरी हो जाती है। दूसरी कन्डीशन है, consent of the House. हाउस की कन्सेन्ट के सम्बन्ध में मैं यहां यह संकल्प रखता हूं। मैंने निवेदन किया कि माननीय अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था दूसरे रूप की है, यह व्यवस्था २१८ के अन्तर्गत पूर्णरूपेण स्वतंत्र है। दोनों भिन्न हैं। जो पूर्व व्यवस्था है, वह प्रभावशील अपने रूप में अलग है। ऐसी स्थिति में जो पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर श्री भैरोंसिंहजी ने उठाया है, उसको मैं मान्यता नहीं देता।

श्री भैरोंसिंह : On a point of order माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : जो माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने रूलिंग दे दी है, उसको चेलेंज कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : This point of order is something different?

श्री भैरोंसिंह : Quite different, Sir. २१८ में है कि समय के बंटवारे के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा, जब तक कि अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत न किया जाय। दूसरा सवाल है, प्रस्ताव प्रस्तुत न किया जाय, इन रूल्स के अन्दर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के नियम निर्धारित हैं और उन नियमों के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय ने कल रूलिंग दी थी कि चाहे किसी प्रकार का मोशन हो, चाहे किसी प्रकार का रिज़ोल्यूशन हो, वह प्रोपर नोटिस के बिना सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता और प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्रोसीजर इन रूल्स में ले डाउन है। उसके अनुसार पहले नोटिस मिलना चाहिए। यह एक प्रकार का प्रोविजन है, जिसको दरगुजर नहीं किया जा सकता ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी यह आपत्ति पूर्णरूपेण उन्हीं आधारों पर है, और मैंने इस सम्बन्ध में अपनी व्यवस्था दे दी है, स्पष्टतया व्यवस्था दे दी है कि consent of the Speaker उनके साथ है उस व्यवस्था को कन्वेस नहीं किया जाय।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय ने कल रूलिंग दी थी उसको आज माननीय उपाध्यक्ष दूसरे रूप में सदन के सामने

(श्री भैरोंसिंह)

उपस्थित कर रहे हैं और इस तरह गलत परम्परा डाल रहे हैं। मेरा दल इस स्थिति में अनुभव करता है कि इस रूलिंग के अगेन्स्ट में हाउस से वाक आउट....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! ऑर्डर ! ऑर्डर !! ....

श्री भैरोंसिंह : कर जाय तो अच्छा है। इस आधार पर इस रूलिंग के प्रोटेस्ट में हम सदन से वाक आउट करते हैं।

(बहिर्गमन करने हेतु श्री भैरोंसिंह, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल आदि के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : I would request the Hon' ble Members not to convass the ruling of the Chair.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस तरह ....

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !! This is a clear interpretation of the rules and I cannot help it. I cannot go beyond the rules.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किया जायगा तो। we shall go back and move a vote of no-confidence.

श्री उपाध्यक्ष: Order! Order !! You will not intimidate the Chair. The Chair does not mind their intimidations. This is a very unhappy event in the House and I do not approve the expressions of the Hon' ble Members. If such traditions are allowed to grow within the House, we will have no respect for traditions at all.

श्री बी० एन० जोशी (बांदीकुई) : We equally resent the unfortunate remarks made by some of the Hon'ble Members.

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार के अतिरिक्त अन्य विरोधी पक्ष के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री बी० एन० जोशी : The decision of the Chair was perfectly justified.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सदस्य बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस तरह के रिमार्क पास करना बिल्कुल बेजा बात है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९६० के द्वितीय व तृतीय वाचन के लिये जो समय निर्धारित किया गया है उसे कल दिनांक १४-४-६० को पांच बजे सायं तक और बढ़ा दिया जाय।

(२) शासकीय विधायी कार्य जो १४-४-६० को लिया जानेवाला है वह १५ अप्रेल, १९६० को अशासकीय कार्य के स्थान पर लिया जाय।

(३) शासकीय विधायी कार्य जो १५ अप्रेल को लिया जाने वाला है यदि उसमें से कोई विधेयक शेष रहे तो वह १६ अप्रेल, १९६० को राजस्थान लैंड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९६० सहित लिया जावे।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपसे जरा निर्णय चाहूंगा। अभी राजस्थान पंचायत अमेंडमेंट बिल के द्वितीय वाचन का समय बढ़ाया है कल के लिये, थर्ड रीडिंग के लिये कोई समय नहीं बताया है, इस तरह प्रस्ताव पास कर दिया है। The House will not be bound to pass the Bill tomorrow in the third reading. So I will request the Chair that it will be all right सैकन्ड रीडिंग को कल बढ़ाने के लिये, लेकिन थर्ड रीडिंग के लिये मैं समय चाहूंगा।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : This point does not arise. When the third reading will come, it will be done. It is understood. The m tion is only for second reading. Why do you want a clarification?

श्री उपाध्यक्ष : Whatever interpretation the House may take, it is free to take. Yes, we will proceed with the debate.

Shri Shanker Lal

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १६६०

(पूर्व क्रम से खण्डशः विचार-विमर्श)

श्री शंकरलाल (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने जो क्लॉज़ ३८ का संशोधन माननीय मंत्रीजी की तरफ से आया है और जो बिल के अन्दर मूल धारा रखी हुई है, मैं इन दोनों का विरोध करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन दोनों का विरोध इसलिये करता हूं कि जिस प्रकार न्याय की व्यवस्था हम करना चाहते हैं वह इन दोनों धाराओं से पूरी नहीं होती। न मंत्री महोदय ने संशोधन रखा है उससे न्याय पा सकते हैं और न बिल की मूल धारा में अपील का प्रोविजन रखा है उससे पूरा न्याय पा सकते हैं।

जहां तक अपीलेट कमेटी का सवाल है, उसके लिये बहुत से सदस्यों ने अपने विचार रखे। कारण यह है कि हमने न्याय पंचायतें बनाई हैं वह ओरिजिनल पंचायत के लिये जो प्रावधान रखा है उसके अन्दर चुनाव रखा है और पंचायतों से उनका चुनाव रखा है, इस कारण संशोधन आया कि अपील भी चुने हुए लोगों से हो। मेरी व्यक्तिगत विचार-धारा यह है कि पंचायतें चुनेंगी, वहां थोड़ी गलती महसूस करता हूं। जिस प्रकार बलवन्तराय मेहता कमेटी में और यू० पी० के पंचायत एक्ट में प्रावधान है पंचायतें पैनल भेजती हैं और उनमें से सरकार अपॉइन्ट करती है। पैनल गांवों में पंचायतें बनाती तो न इलेक्टेड होतीं और न अपॉइन्टेड होतीं। और इसके बारे में हमें कोई सन्देह नहीं हो सकता था। पर जिस प्रकार की न्याय पंचायतें हमने मानीं, उनकी अपील का प्रावधान दिया है मुन्सिफ, मजिस्ट्रेट के पास। पहले जो मुकदमें होते थे वे न्याय पंचायतों के द्वारा नहीं होते थे, पहले मुकदमें मुन्सिफ और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने होते थे। मुंसिफ और मजिस्ट्रेट के पास कानून में कभी अपीलेट पॉवर नहीं रहे हैं,

(श्री शंकरलाल)

उनके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रहा है। अब न्याय पंचायतों को ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन दे दिया है तो मजिस्ट्रेट को अपीलेट पॉवर दे रहे हैं, बाद में वह वापिस मुंशिफ और मजिस्ट्रेट से काम शुरू होता है तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन न्याय पंचायतों के पास रखा है, और उसकी अपील अदालत में रखते हैं तो यह चीज़ सिद्धान्ततः गलत है। 'मुंसिफ' और 'मजिस्ट्रेट' दोनों शब्द हमने रखे हैं, सिविल केसेज़ की अपील मुन्सिफ के पास और क्रिमिनल केसेज़ की अपील मजिस्ट्रेट के पास जायेगी तो वह एस. डी. ओ. भी होगा जिसके पास अपील जायेगी। एस. डी. ओ. के पास एग्जीक्युटिव पॉवर्स भी हैं, तो इस तरह जुडिशियरी और एग्जीक्युटिव के सेपरेशन का सिद्धान्त है उसके यह विपरीत पड़ेगा। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि किस तरह सेपरेशन एग्जीक्युटिव और जूडिशियरी का कर रहे हैं; क्रिमिनल केसेज़ की अपील का पॉवर एस. डी. एम. को दे रहे हैं, जिसे कि एग्जीक्युटिव के भी पॉवर्स हैं। मुन्सिफ के पास अपील जायेगी। मेरा ख्याल है कि जो पंचायतें जिस प्रकार सच्चाई से इन्साफ करना चाहती हैं उनकी अपील मुन्सिफ और मजिस्ट्रेट के पास जायगी तो मुन्सिफ और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास इतना परिपक्व दिमाग अपील सुनने के लिये नहीं होता क्योंकि उनके पास कभी अपील के पॉवर्स नहीं रहे। उनके पास तो शुरू से ही ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रहा है, उनको अपील का अनुभव नहीं है। तो मेरी तो राय है कि मजिस्ट्रेट, मुन्सिफ के पास अपील का रखा वह भी गलत है और जिस प्रकार की अपीलेट कमेटी रखी है वह भी गलत है, क्योंकि अपीलेट कमेटी पंचायत समिति के पंचों द्वारा चुनी हुई होगी तो पंचों का प्रभाव अपीलेट कमेटी पर होगा। न्याय करने वाले आदमियों की वहां पंचायत समिति द्वारा चुनते समय सौदेबाजी होगी कि किस आदमी का चुनाव किया जाय। जैसा कि पहले कहा गया है पंचायत समिति को जिस सिद्धान्त को मद्देनजर रखते हुए बनाया है, विकास के कार्यों के लिये बनाया है, उसको वापिस चुनावों में डाल रहे हैं। पंचायत समिति के जिम्मे विकास का काम रखें, उनको न्याय की अदालतें चुनने का काम सौंपते हैं तो यह तो एक्जीक्युटिव और जुडिशियरी के सेपरेशन के सिद्धान्त के विपरीत पड़ता है।

जहां तक मेरा सुझाव है न्याय पंचायतों की अपील सीधी डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज के पास रखनी चाहिये। और इसके लिये एक तरफ तो यह कहा जाता है कि लोगों को सस्ता और जल्दी न्याय मिले, गांवों में मिले और अगर वे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जावेंगे तो उनको देर लगेगी और उनको महंगा न्याय मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज के जमाने में अगर हम न्याय चाहते हैं तो न्याय को सस्ताई के साथ नहीं जोड़ना चाहिये। मौजूदा अदालतों में कानून की जो व्यवस्था है उसके लिये आप यह चाहते हैं कि वहां पर न्याय महंगा मिलता है और आपको सस्ता न्याय चाहिये तो मैं यह कहूंगा कि आपको अगर आप न्याय पाना चाहते हैं तो आपको सस्ता शब्द को छोड़ देना चाहिये और इस सस्ते शब्द को इसके साथ-न्याय के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिये। सबसे अच्छा न्याय

(श्री शंकरलाल)

हमको उच्च अदालतों में मिलता है और हाई कोर्ट में मिलता है और उसके लिये हमें कितने रुपये खर्च करने पड़ते हैं, और जब हम हाई कोर्ट के आगे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वहां पर हमको बहुत रुपया खर्च करना पड़ता है। हमको हाई कोर्ट में न्याय मिलता है, यह हम जानते हैं। लेकिन वह सस्ता न्याय नहीं मिलता। अगर आपको सस्ता न्याय देना है तो आपको चाहिये कि जगह जगह हाई कोर्ट की बैंचेज़ हों। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो हमें महंगाई में पड़ना पड़ता है। इसलिये मौजूदा जमाने में न्याय को सस्ताई के साथ जोड़ना बिल्कुल गलत चीज होगी। वास्तव में न्याय जो मिलेगा वह तो महंगा मिलेगा। हमको न्याय के लिये हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। इसलिये न्याय पंचायतों का संगठन अच्छी तरह करें और उनके फैसले की अपील डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज के पास हो, क्योंकि वहां वास्तव में पुराने और परिपक्व दिमाग के आदमी होते हैं और आज तक का जो अनुभव डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज कोर्ट का रहा है वह यह साफ जाहिर करता है कि पंचायतों की जो भी अपीलें जाती हैं उनको वे इस प्रकार से देखते हैं कि वास्तव में अन्याय तो नहीं हुआ है और बहुत कम अपीलें मंजूर करते हैं। वहां पर यह देखा जाता है कि वास्तव में उनके साथ अन्याय हुआ हो तो उसको मंजूर करते हैं। अगर उनकी अपीलें मुंसिफ या किसी अन्य मजिस्ट्रेट के पास जाती तो आपको मालूम होता कि बहुत सी अपीलें मंजूर की जातीं और वे यही देखते कि यहां पर कानून के प्रोसीजर में गल्ती हुई है।

—

मैंने क्लॉज़ ३८ में अपना संशोधन रखा था, जो समय पर नहीं आ सका। मैं यह निवेदन करूंगा कि पंचायतों की अपील सीधी डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज के पास रखी जावे और अगर वहां से ऊपर कोई जाना चाहे तो हाई कोर्ट में जावे। अगर कोई वास्तव में न्याय चाहता है तो वह तो महंगा ही मिलेगा। सस्ती चीज आप चाहते हैं तो न्याय सस्ता मिलने वाला नहीं है।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर आप यह नहीं चाहते कि पंचायतों की अपील डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स कोर्ट में हो आप उनको रिविजन का पॉवर देना चाहते हैं और अपीलेट कोर्ट दूसरी रखने का विचार हो और इस तरह की कोई बात माननीय मंत्री महोदय के दिमाग में हो कि रीविजन उसकी डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज की अदालत में रखनी चाहिये तो मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम अपील के लिये सिविल जज या डिजिस्ट्रक्ट मजिस्ट्रेट अवश्य रखिये। उसकी अपील ऑर्डीनेरी मजिस्ट्रेट के पास या थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट या सेकिन्ड क्लास मजिस्ट्रेट के पास न रखें। अगर आप थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट जिनको ओरिजिनल केस सुनने का अधिकार है उनको अपील सुनने का अधिकार देंगे तो इसका मतलब होगा कि आप पंचायतों के ओरिजन जुरिडिक्शन को नहीं मानते। इसलिये आपको अपील के लिये मुंसिफ कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अधिकार देना चाहिये ताकि वे अपनी फर्स्ट रिविजन डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स कोर्ट में पेश करेंगे। इसलिये आपने जो अपीलेट कमेटी की व्यवस्था रखी है वह भी ठीक नहीं है।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : उपाध्यक्ष

(श्री नाथूराम)

महोदय, जो संशोधन धारा ३८ पर रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ। वैसे देखा जावे तो उसकी अपील तहसील पंचायत में हुआ करती थी वहां पर देखा गया तो गांवों के लोग बहुत कम अपील करते थे और जो फैसले वहां हो जाते थे उनकी अपील आगे नहीं कर सकते थे। इसका कारण यह है कि जितने रुपये की डिग्री होती थी उससे ज्यादा रुपया उनको अपील करने में खर्च हो जाते थे। अगर १००) की डिग्री हुई और गलत ढंग से हो गई तो वह अपील करता तो उसको बहुत से पैसे तो वकील को देने में और इधर-उधर आने-जाने में ही खर्च हो जाते थे। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं। मेरा अपने क्षेत्र का व्यक्तिगत अनुभव है कि ५०) अर्थ दंड एवं १००) रु० की डिग्री की अपील तहसील पंचायतों में होती थी; उन्हें संतोषजनक फैसले मिलते थे। अगर कुछ पंचायत, गलत फैसला करतीं तो और कई ऐसे मौके आये कि किसान लोग अपील करना भी चाहते थे मगर वे लोग नहीं करते थे। उन्होंने देखा कि इतने रुपये की डिग्री है और वकील को ज्यादा पैसे देने होंगे और इतना आने जाने का खर्चा होगा और वे गरीब होने के कारण नहीं दे सकते तो अपील नहीं करते थे। इसके अलावा मैंने यह भी अनुभव किया है कि पंचायतें काम कर रही हैं वहां पर वकील को भी मौका नहीं मिलता है। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि जहां पर वकील नहीं जाते वहां पर अच्छे फैसले नहीं होते हैं और वहां पर अपील में कोई वकील का प्रावधान नहीं होता है। परन्तु मैं आपके द्वारा उन माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि हमारे यहां छोटी २ पंचायतें बनने वाली हैं और अब नई न्याय पंचायतें भी बनने वाली हैं जिससे लोगों को अब सस्ता न्याय मिलेगा जो अदालतों में नहीं मिलता है। माननीय सदस्य शहरों को छोड़ कर गांवों में सचाई का भी पता लग जाता है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, एमेंडमेंट के बारे में क्या कह रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : आपको बोलने दें। आपका प्रथम भाषण है।

श्री नाथूराम : कुछ माननीय सदस्य यह समझते होंगे कि गांवों में अच्छे न्याय करने वाले लोग नहीं हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि तहसील पंचायतों में ऐसे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं जो बहुत अच्छा फैसला दे सकते हैं। अब आप तहसील पंचायतों के बजाय न्याय पंचायतें कायम कर रहे हैं, मैं इसका स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि गांवों में रहने वालों को, गरीब किसानों को सस्ता न्याय दिलाना है तो इस संशोधन को पास करना चाहिये ताकि उन लोगों को सस्ता न्याय मिल सके और अगर अपील अदालतों के जिम्मे रखी तो उन लोगों को बड़ी परेशानी उठानी होगी और उनका जो खेती का धन्धा है उसको छोड़ कर अदालतों में उनको आना-जाना पड़ेगा और उनको सस्ता न्याय नहीं मिलेगा। इसलिये मैं माननीय उपाध्यक्ष, माननीय मंत्री महोदय ने जो यह दूसरा संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं सदन से और निवेदन करता हूं कि इसको पारित किया जावे ताकि गरीब लोगों को सस्ता न्याय मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Minister please.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन पर जो मैंने खास तौर से पेश किया है उसमें बहस हुई, इससे ऐसा मालूम होता है और जो सुझाव भिन्न २ रूप में इसमें आये हैं उनसे मैं यह महसूस करता हूं कि इस पर फिर एक दफा विचार करने का मौका दिया जावे।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : On a point of information, Sir, the Minister should not give his reply today.

श्री उपाध्यक्ष : He is only explaining the reasons to defer it. It is a sort of passing reference.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : तो इसमें जो संदेह प्रकट किया गया है, इसमें जो आशंका प्रकट की गई है वह यह है कि पार्टीबंदी, गुटबंदी बढ़ेगी और अगर पहलेवाली योजना है वह कायम रखी जाती है तो शुद्ध न्याय मिलेगा। इसके सम्बन्ध में यह भी सुझाव दिया गया कि पचायतों को थोड़ा वाइडर कर दिया जाय तो ठीक है। कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि दो, तीन किस्म के सुझाव इस तरह के दिये गये हैं जिन पर विचार करने की जरूरत है कि आया पहलेवाली स्कीम को रखा जाय या संशोधन को रखते हैं तो ये विचार आये कि उनको किस प्रकार से रखा जाय। थोड़े समय में यह निर्णय कर लेना सम्भव नहीं है, अतः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि आज स्थगित करके कल इसको ले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Clause 38 is thereby deferred.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : ४० और डेफर्ड है, वह भी इससे कनेक्टेड है।

Clause 40 is also deferred.

श्री उपाध्यक्ष : We now adjourn to meet to-marrow at 11 A. M.

[तदुपरान्त सदन की कार्यवाही दिनांक १४ मार्च, १६६० के म० पू० ११ बजे तक के लिए, म० प० ४.५० पर, स्थगित हुई)

———

संक्षिप्त–विवरण

(बुधवार, १३ अप्रेल, १६६०)

स्तम्भ स्तम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक ७७३६

बड़ी सादड़ी, उदयपुर की अवैध पंचायत चलाना।

हेमावास बांध से सिंचाई हेतु वितरित जल।

कृषि विभाग के सर्वे व इन्वेस्टीगेशन ब्रांच को हार्डड्युटी एलाउन्स

जोधपुर नगरपालिका के क्षेत्र की बस्तियों में बच्चों को दूध देने की व्यवस्था।

पाली जिले की पंचायत समितियों के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाएं।

कल्याण हॉस्पिटल, सीकर।

पाली जिले के चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को बकाया वेतन की व्यवस्था।

सवाई माधोपुर जिले की पंचायतों व तहसील पंचायतों के रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु चुनाव।

नीम का थाना का बिहार सीमली बांध।

चम्बल नहर।

माताजी के गुढा के बजाय गजनीपुरा में पंचायत स्थापित करने की मांग।

रानीखास में अस्पताल की मांग।

म्युनिसिपल बोर्ड, रतनगढ़ को भंग करने की मांग।

स्वास्थ्य सर्वेक्षण की मांग।

खारची व देसूरी तहसीलों में अनुसूचित तथा अन्य पिछड़ी जातियों की जन संख्या।

मालगुजारी वसूल करने के अधिकार पंचायत समितियों को देने के सम्बन्ध में।

विधायी कार्य

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १६६० ७७७१

उपरोक्त विधेयक पर आज भी खंडशः विचार किया गया।

खण्ड ४८ :–बिना किसी संशो-

स्तम्भ

धन के स्वीकार किया गया।

आस्थगित खंड ;-

खण्ड ४ :-विलोपित किया गया।

खण्ड ८ :-बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया।

खण्ड १० :-विलोपित किया गया।

खण्ड ३७ :-आज भी आस्थगित रहा।

खण्ड ३८ :-इस खंड पर प्रभारी मंत्री द्वारा एक संशोधन प्रस्तुत किया गया जिस पर २७ सदस्यों ने भाग लिया।

खण्ड आस्थगित रहा।

समय के बंटवारे के आदेश में परिवर्तन

श्री सोहनलाल भटनागर, सदस्य, विधान सभा ने निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ :-

१. राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९६० के द्वितीय व तृतीय वाचन के लिये जो समय निर्धारित किया गया है उसे कल दिनांक १४-४-६० को पांच बजे सायं तक और बढ़ा दिया जाय।

२. शासकीय विधायी कार्य जो १४-४-६० को लिया जाने वाला है वह १५ अप्रेल, १९६० को अशासकीय कार्य के स्थान पर लिया जाय।

३. शासकीय विधायी कार्य जो १५ अप्रेल को लिया जाने वाला है, यदि उसमें से कोई विधेयक शेष रहे तो वह १६ अप्रेल, १९६० को राजस्थान लैंड रेवेन्यू संशोधन विधेयक, १९६० सहित लिया जाय।

सदन की बैठक ४ बजकर ५० मिनट पर गुरूवार, दिनांक १४ अप्रेल, १९६० को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

वृहस्पतिवार दिनांक १४ अप्रेल, १९६० की कार्य-सूची

(१) विभिन्न समितियों के लिये मनो-

स्तम्भ

नीत सदस्यों की घोषणा।

(२) प्राक्कलन समिति (१६५६-६०) के चौदहवें व पन्द्रहवें प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

(३) राजस्थान पंचायत (संशोधन)

स्तम्भ

विधेयक, १६६० (अग्रेतर खंडशः विचार-विमर्श)

(४) कार्य सलाहकार समिति के चौदहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर सहमति।

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६९५ का उत्तर देखिये)

सूची पाली जिले की प्रत्येक पंचायत समिति के अन्तर्गत जिन सिंचाई योजनाओं की सर्वे होने के बाद स्वीकृति हो चुकी है

	नाम योजना	नाम पंचायत समिति
१.	राजेपुरा	देसूरी
२.	उंगटी	बाली
३.	मुठानी	देसूरी
४.	मनिहारी	पाली
५.	नीमली झाणी	पाली
६.	दांसी बाडा	पाली
७.	सारण	सारची

सूची जो योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं।

१.	काना	देसूरी
२.	डिगोर	सोजत
३.	लटारा	पाली

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १००१ का उत्तर देखिये)

ग्राम पंचायतों की सूची जिनका चुनाव हो चुका है

क्र० सं०	नाम पंचायत	तहसील	निर्वाचन दिनांक	विशेष विवरण
१.	केमला	नादोती	२३-१२-५६	
२.	बरदाला	,,	६-२-६०	
३.	फतहपुर	सपोटरा	२२-११-५६	
४.	मन्डावर	महुवा	६-३-६०	

सूची तहसील पंचायत एवं ग्राम पंचायत जिला सवाई माधोपुर जहां स्थान रिक्त हैं

क्र० संख्या नाम ग्राम० । त० पंचायत १ २	तहसील ३	रिक्त स्थान पड़े रहने का कारण ४
ग्राम पंचायत		
१. देकवा (ज० निर्वाचन)	सवाई माधोपुर	३१ जनवरी, सन् ६१ तक राज्य सरकार द्वारा अवधि बढ़ाई गई है।
२. केमला वार्ड नं०८	नादोती	निर्वाचन दिनांक ११-४-६० निश्चित् किया गया है।
३. गुढा चन्द्रजी (ज० निर्वाचन)	,,	५,०००से अधिक जनसंख्या होने के कारण राज्य सरकार द्वारा, ३१ जनवरी, ६१ तक अवधि बढ़ाई गई।
४. केमरी (जनरल निर्वाचन)	,,	,, ,,
५. गढमोरा ,,	,,	,, ,,
६. नारोली (सरपंच)	सपोटरा	निर्वाचन दिनांक २५-४-६० निश्चित् किया जा चुका है।
७. अमरगढ़ (२ पंच)	,,	पंचायत से रिक्त स्थानों की जानकारी की जार ही है। रिक्त स्थान होने पर उसी माह में चुनाव करवा दिये जावेंगे।
८. पाखर (जनरल निवर्चान)	महुवा	इस पंचायत का निर्वाचन दिनांक २२-१२-५६ को काश्तकारान की फसल का समय होने के कारण व दिनांक २५-३-६०

१	२	३	४
			को फसल काटने का समय होने के कारण राज्य सरकार द्वारा चुनाव स्थगित किया गया। अब दिनांक ३०–४–६० को निर्वाचन करवाने की कार्यवाही की जा रही है।
९. मन्डावर (उपसरपंच)	महुवा		निर्वाचन कराने हेतु निर्वाचन तिथि ३०–४–६० निश्चित् की जा चुकी है।
१०. खेड़ला बुजुर्ग (जनरल चुनाव)	,,		५,००० से अधिक जनसंख्या होने के कारण राज्य सरकार द्वारा ३१ जनवरी, १९६१ तक अवधि बढ़ाई जा चुकी है।
११. खंडार (२ पंच)	खंडार		निर्वाचन दिनांक १–५–६० निश्चित् किया जा चुका। है
१२. वालेर (सरपंच)	,,		निर्वाचन दिनांक २५–४–६० निश्चित् किया जा चुका है।
१३. पाड़ला खालसा (ज० चुनाव)	टोडाभीम		इस पंचायत के वार्ड बनवाये जा रहे हैं। वार्ड तैयार होने पर शीघ्र निर्वाचन कराया जावेगा।
१४. मोरड़ा जहांनगर ,,	,,		इस पंचायत की रिट के फैसले की प्रतिलिपि दिनांक २५-३-६० को प्राप्त हुई है: कार्यवाही निर्वाचन जारी है।

१	२	३	४
१५.	पदमपुरा (ज० चुनाव)	टोडा भीम	राज्य सरकार द्वारा ३१ जनवरी, ६१ तक अवधि बढ़ाई गई है ।
१६.	कोटड़ी ,,	हिन्डोन	,, ,, ५,००० से अधिक आबादी होने के कारण ।
१७.	खेड़ा (जनरल-नि०)	,,	अवधि ३१ जनवरी, १६६१ तक बढ़ाई गई है राज्य सरकार द्वारा क्योंकि जनसंख्या इस पंचायत की ५,००० से अधिक है ।
१८.	घमीरा ,,	बौंली	राज्य सरकार द्वारा ३१ जनवरी तक अवधि बढ़ा दी गई है ।
१९.	पिपलाई ,,	बामनवास	,, ,, ५,००० से अधिक जनसंख्या होने के कारण ।

तहसील पंचायत

१	२	३	४
१.	हिन्डोन स(रपंच)	हिन्डोन	पंचायतों में कई स्थान रिक्त होने के कारण सरपंच का चुनाव राज्य सरकार द्वारा स्थगित हुआ । अब पंचायतों के उप चुनाव शीघ्र करवाये जा रहे हैं । सरपंच का चुनाव माह मई तक करवा दिया जावेगा ।
२.	सपोटरा (१ पंच)	सपोटरा	निर्वाचन दिनांक ५-४-६० निश्चित किया जा चुका है ।
३.	करोली (सरपंच व १ पंच)	करोली	चुनाव शीघ्र करवाने के लिए

परिशिष्ट

	२	३	४
			जिलाधीश को आदेश भेजा जा रहा है।
४. नादोती (३ पंच)	नादोती		इस तहसील पंचायत के ३ पंचों के स्थान रिक्त हैं। मतदाता सूची भिजवाने हेतु कई पत्र कलेक्टर द्वारा तहसील पंचायत को लिखे गये लेकिन मतदाता सूची प्राप्त नहीं हुई है। अब मतदाता सूची विकास अधिकारी से मांगी गई है। सूची प्राप्त होने पर शीघ्र चुनाव की व्यवस्था की जावेगी।
५. गंगापुर (सरपंच व १ पंच)			तहसील पंचायत गंगापुर के चुनाव के लिए कलेक्टर ने तहसील पंचायत को कई पत्र मतदाता सूची भेजने के लिए लिखे मगर सूची प्राप्त नहीं हुई। अतः चुनाव नहीं हो सका। अब विकास अधिकारी, गंगापुर को मतदाता सूची भेजने के लिए लिखा गया है। प्राप्त होने पर शीघ्र निर्वाचन करा दिया जावेगा।

————

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १००५ का उत्तर देखिये)

जून, १६५६ के अन्त तक चम्मल नहर की खुदाई तथा पुलिया आदि की ब नवाई मुख्य २ सरकारी रेट निम्न प्रकार थे :

१. अर्थ वर्क इन हार्ड सोयल लोम और ब्लेक कले

(अ) दाईं मुख्य नहर के लिए २७।।) प्रति ०।०० घन फीट

(ब) बाईं मुख्य नगर बूंदी ब्रांच कापरेन ब्रांचऔर पाटन ब्रांच २५) प्रति ०।०० घन फीट

(स) उन नहरों के लिए जिनका डिस्चार्ज १८० क्युबेक से कम है २३) प्रति ०।०० घन फीट

२. लाइम कंक्रीट ४५) प्रति ०।० घन फीट

३. सीमेन्ट कंक्रीट (१:२:४) १६४) प्रति ०।० घन फीट (आर० सी० सी० वर्क के लिए)

४. स्टोन मेसोनरी इन लाइम (फाउन्डेशन) ५६ प्रति ०।० घन फीट

५. स्टोन मेसोनरी इन लाइम सुपर स्ट्रेक्चर ६५) प्रति ०।० घन फीट

उपरोक्त कामों के वर्त्तमान रेटस निम्नलिखित हैं :—

१. अर्थ वर्क इन हार्ड सोयल लोम और ब्लेक कले

(अ) दाईं मुख्य नहर के लिए २७।।) प्रति ०।०० घन फीट

(ब) बाई मुख्य नहर बूंदी ब्रांच, काप्रेन ब्रांच, पाटन ब्रांच के लिए २५) प्रति ०।०० घन फीट

(स) उन नहरों के लिए जिनका डिस्चार्ज १०० से कम है २३) प्रति ०।०० घन फीट

२. लाइम कंक्रीट ५३ प्रति ०।० घन फीट

३. सीमेन्ट कंक्रीट (१:२: ४) आर.सी. सी. वर्क के लिए १८२) प्रति ०।०

परिशिष्ट

टोन मेसोनरी इन लाइम इन फाउन्डेशन ६१) प्रति ०।० घन फीट

२. स्टोन मेसोनरी इन लाइन सुपर स्ट्रेक्चर ७०) प्रति ०।० घनफीट

————

शुद्धि-पत्र।
(बुद्धवार, १३ अप्रैल, १९६०)

स्कम्भसंख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
७७४४	३	व बजट	व बजट
७७४७	१६	सरपंच क	सरपंच का
७७४९	२१	की धृद्धि	की वृद्धि
७७५६	अन्तिम से २	समितियों ही	समितियों को ही
७७६०	४-५	सोस इटी	सोसाइटी
,,	अन्तिम से ४	बिरंदरी	बिरादरी
७७७१	अन्तिम से ३	विधेयक,....समय ब्रृद्धि	विधेयक....समय-वृद्धि
७७७२	शीर्षक	पंचातत विधेयक	पंचायत विधेयक
,,	२५	सैकराड़ सेन्डिग	सैकिन्ड रीडिंग
७७८१	१	श्री अध्यत्न	श्री अध्यक्ष
७८००	४	जेल भी	जेल भेज
७८०५	२६	पुनिशमेंट	पनिशमेंट
७८०७	२६	चायतें	पंचायतें
७८०९	८	एक्सक्ल्युवज़िली	एक्सक्ल्युज़िवली
७८१०	११	नहीं । इस	नहीं, इस
७८१०	१७	कलीग्स कमीग़	केबीनेट कलीग्स
७८११	शीर्ष	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
७८१५	२३	suitst o	suits to
७८१७	२७	देख(कर)	देख कर)
७८२२	२४	श्री परसराम मदेरणा	श्री परसराम मैदरीना
७८२८	२०	इसी दृष्टि	इसको दृष्टि
७८३०	अन्तिम से ४	हनने पंचायतों	हमने पंचायतों
७८३६	५	(उनियार)	(उनियारा)
७८४०	१६	अपोलेट कमेटी	अपीलेट कमेटी
७८४२	२४	वा-दविवाद	वाद-विवाद
,,	अन्तिम से ४	एग्ढीक्यूटिव	एग्ज़ीक्युटिव
७८५०	४	औरल गान	और लगान
७८५१-५२	शीर्षक	१६ अप्रैल, ६०	१३ अप्रैल, ६०
७८६४	७	मेकटी बना	कमेटी बना
,,	अन्तिम से ५	On paoint	on a point
७८६६	२१	श्री परसराम मैदरीना	श्री परसराम मैदरीना
७८६७	१	ये व र्डस	ये वर्ड्स

(२)

१	२	३	४
७८६७	७	notbe	not be
७८६९	२१	गया हैं	गया है
७८७०	१८	ऑरिटी	ऑथोरिटी
७८७२	७	,,	,,
७८७६	अन्तिम	×अध्यक्ष से आदेशानुसार पीठ निकाला गया	××अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया
७८७७	१०	क्य हुआ !	क्या हुआ !
७८८०	१४	सबएक्ट्स के	सब एक्ट्स के
७८९३	४	कईं सिद्धान्त	कई सिद्धान्त
७८९६	१५	कॉन्शियनेस	कॉन्शियसनेस
७८९७	१०	ने ब्रट मेजोरिटी	ने ब्रूट मेजोरिटी
७८९९	८	गांव की की घटनाओं	गांव की घटनाओं
७९०७	१४	मानीय	माननीय
७९२८	२५	आर	और
७९३६	शीर्षक	की सिफारिशों विवाद	की सिफारिशों पर विवाद
७९४०	शीर्षक	सिफारिशों मह विवाद	सिफारिशों पर विवाद
७९४७	१८	Them tion	The motion
७९५२	१९	मस्ट्रिट	मजिस्ट्रेट
७९६९	३	ब नवाई	बनवाई